खण्ड-144, अंक-3
गुरूवार, 29 आश्विन, शक संवत् 1876
(21 अक्टूबर, 1954 ई0)

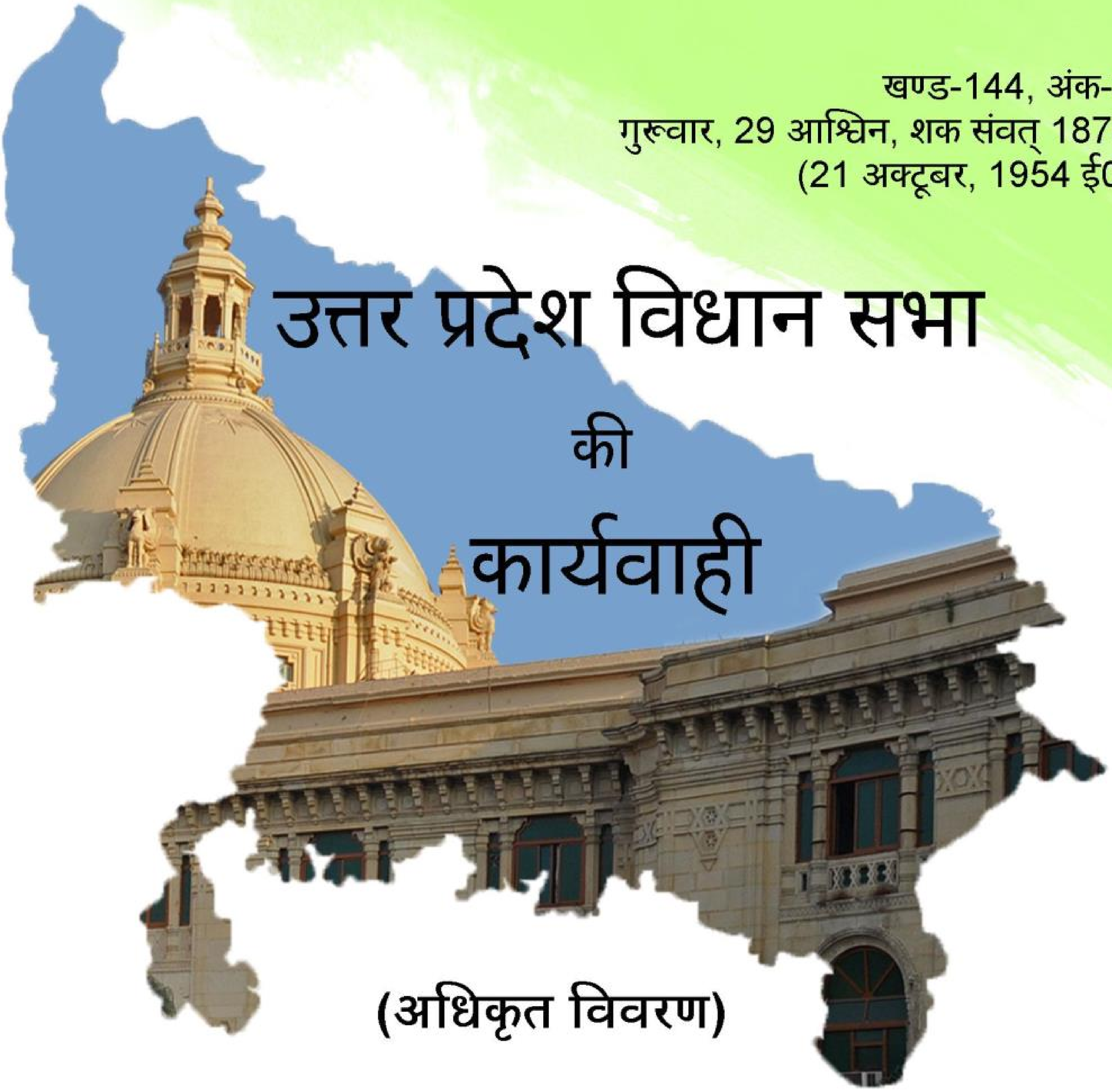

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 144 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, २१ अक्तूबर, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७९)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जू राम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री

गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारिकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री

फज़लुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनाप्रसाद, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री

रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री

श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलालदास, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

*१—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—[स्थगित किया गया।]

हमीरपुर जिले के बुनकरों की रजिस्टर्ड सहकारी समितियां

*२—श्री जोरावर वर्मा—क्या उद्योग मंत्री बतायेंगे कि हमीरपुर जिले में बुनकरों की कुल कितनी संख्या है ?

उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)—लगभग २,३२६ ।

*३—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हमीरपुर जिले में बुनकरों की कितनी रजिस्टर्ड सहकारी समितियां हैं और कहां-कहां हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—इस जिले में रजिस्टर्ड सहकारी समितियों की संख्या ७ हैं। यह समितियां निम्नलिखित स्थानों में हैं :—

राठ, जैतपुर, महोबा, कारेला, मंडलिया, हमीरपुर ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के दूसरे जिले के बुनकरों की भांति जिला हमीरपुर के बुनकरों को भी इस प्रकार की कुछ सहायता देने का विचार वे रखते हैं ? यदि हां, तो क्या ?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुमसिंह)---अवश्य रखते हैं, जैसा सबों को मिलता है वैसे ही इनको भी मिलेगा ।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो सहायता दी जाने वाली है वह डाइरेक्टली उन बुनकरों को दी जायगी या जो रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैं इनके द्वारा ?

श्री हुकुमसिंह---रजिस्टर्ड सोसाइटीज के द्वारा ।

श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो संख्या बुनकरों की बतलायी गयी है प्रश्न २ के उत्तर में वह पुरानी गणना के आधार पर है और यदि ऐसा है तो फिर सर्वे कराने का कोई इन्तजाम सरकार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह---मई सन् ५४ में यह तादाद बतलायी गयी थी । मई से इधर कुछ इजाफा हो तो उसकी कोई फिगर नहीं है ।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि संख्या तो ७ बतलायी गयी लेकिन यहां पर नाम ६ के ही लिखे हुए हैं, तो सातवीं जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है वह कहां है ?

श्री हुकुमसिंह---महोबा में दो हैं ।

कोसी नदी में राजा के तालाब तथा डोबा पर पुल बनवाने की मांग

*४---श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार को यह पता है कि तल्ली तिखून अल्मोड़ा की जनता गत १४ वर्षों से कोसी नदी में राजा का तालाब तथा डोबा के पुल की मांग कर रही है ?

नियोजन मंत्री (श्री फूलसिंह)---जी हां, तल्ला तिखून की जनता राजा के तालाब (राजघाट) पर पुल बनवाने के लिये सन् १९२६ ई० के शासन से अनुरोध कर रही है । डोबा पर पुल बनाने की मांग भी गत ४ व ५ वर्षों से की गयी है ।

*५---श्री गोवर्धन तिवारी---क्या यह सही है कि जिला नियोजन समिति ने इन पुलों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इनके लिये आवश्यक धनराशि स्वीकार किये जाने की सिफारिश की है ?

श्री फूलसिंह---जी हां, जिला नियोजन समिति ने राजा के तालाब के पुल के लिये पांच हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की है ?

श्री गोवर्धन तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९२६ से मांग करने के बावजूद भी सरकार ने उनकी मांग क्यों नहीं मंजूर की ?

श्री फूलसिंह---सन् १९२६ में इस पुल के लिये सरकार ने ३० हजार रुपये मंजूर किये थे और वह रुपया जिला बोर्ड, नैनीताल को दिया गया था । उसके बाद किसी और गांव के व्यक्तियों ने एतराज किया कि पुल दूसरी जगह बनना चाहिये । उस पर जिला बोर्ड नैनीताल तैयार नहीं था । उसके बाद दूसरी रकम अदा नहीं की गयी और पी०डब्ल्यू० डी० ने यह निश्चय किया कि अगली पंचसाला योजना में पुल को लिया जा सकता है । इसलिये यह पुल अब तक नहीं बन सका ।

श्री गोवर्धन तिवारी---क्या मंत्री जी पट्टी तल्ली तिखून के लोगों की तकलीफ को देखते हुए इस पुल को अब जल्दी बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री फूल सिंह—जिला नियोजन समिति ने ५ हजार रुपया मंजूर किया है। मैं आशा करता हूं कि बाकी हिस्सा श्रमदान से पूरा होगा।

श्री गोर्धन तिवारी—क्या मंत्री जी दोनों पुलों का इस्टीमेट बताने की कृपा करेंगे ?

श्री फूलसिंह—इस्टीमेट मेरे पास इसका भी नहीं है लेकिन जहां पिछला पुल नैनीताल जिले में बनने वाला था उसका इस्टीमेट ४० हजार रुपया था।

नैनीताल तहसील में पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत विकास कार्य

*६—श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पंच-वर्षीय योजना के अनुसार नैनीताल तहसील में विकास सम्बन्धी कौन-कौन से कार्य किये गये हैं ?

श्री फूलसिंह—पंचवर्षीय योजना के अनुसार नैनीताल तहसील में विकास सम्बन्धी जो कार्य किये गये हैं उनका विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २४८-२४९ पर।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह १३ मील लम्बी नई गूल खोदी गयी है वह किस-किस स्थान पर खोदी गयी है ?

श्री फूलसिंह—यह तो तफसील बतलाना बड़ा मुश्किल है। इसके लिये अलग से प्रश्न करें तो बतला सकूंगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या यह सही है कि पंचवर्षीय योजना के अनुसार जिन मोटर-मार्गों के निर्माण में जनता ने श्रमदान से सहायता दी थी वह मोटर मार्ग अभी तक पड़ा है और सरकारी सहायता अभी तक नहीं दी गयी है ?

श्री फूलसिंह—माननीय सदस्य जिला प्लानिंग कमेटी के स्वयं मेम्बर है और उनको इसका ठीक ज्ञान होगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या पंचवर्षीय योजना में नैनीताल तहसील में आलू के उत्पादन को बढ़ाने की कोई योजना रखी गयी है ?

श्री फूलसिंह—इसकी तफसील का ब्योरा मैं फौरन नहीं दे सकूंगा। अगर आप सवाल करेंगे तो मैं बाद में जवाब दे सकूंगा।

आगरा के उद्योगों का विकास

*७—श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या सरकार को विदित है कि जिला आगरा में हाल में ही आगरा विकास केन्द्र सम्मेलन हुआ था जिसमें सर्वसम्मति से आगरा के उद्योगों के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास हुआ था ? यदि हां, तो सरकार उस प्रस्ताव पर क्या विचार कर रही है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—(अ) जी हां।

(च) सरकार इस प्रस्ताव पर आवश्यक विचार कर रही है।

श्री देवकी नन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस प्रस्ताव में जो चूड़ी और चमड़े के व्यवसाय के सम्बन्ध में मांग की है क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से बात की है ?

नहरों के किनारे कीकर के पेड़ लगवाना

*८---श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि नहरों के किनारे कीकर के पेड़ मुहकमा जंगलात की ओर से लगवाने का क्या कारण है ?

वन उप-मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---नहरों के किनारे की भूमि पर कीकर के अतिरिक्त अन्य उपयोगी वृक्ष सफलतापूर्वक नहीं लग सकते। इस कारण इस भूमि पर कीकर के ही वृक्ष अधिकतर लगाये जाते हैं।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कीकर के अतिरिक्त और कोई अन्य परीक्षण इन नहरों पर किया गया या नहीं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---नहीं, अभी तक तो नहीं किया गया मगर किया जायगा।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या यह सत्य है कि कीकर लगाने की योजना के पूर्व नहरों की दोनों पटरियों पर शीशम और आम के उपयोगी वृक्ष हुआ करते थे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---चूंकि नहरों की पटरियों की भूमि अच्छे किस्म की नहीं होती, इसलिये उसमें कीकर ही होता है और पहले शीशम या आम के पेड़ नहीं हुआ करते थे।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या यह सही है कि कीकर के पेड़ नहरों के किनारे पर इसलिये लगाये जाते हैं कि नहरों के किनारे कटने से बचें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी हां, पेड़ तो इसीलिये लगाये जाते हैं लेकिन चूंकि कीकर का पेड़ खेती के सामान के लिये, हल वगैरह के लिये बहुत फायदेमंद होता है और दूसरे वह चमड़े की रंगाई में बहुत काम आता है, इसलिये उसी को ज्यादातर लगाया जाता है।

श्री अध्यक्ष---कीकर माने बबूल से हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी हां।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सभी नहरों की पटरियों पर कीकर के पेड़ लगाये जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---यह तो व्यर्थ सा सवाल है। उन्होंने जवाब दे दिया है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या सरकार इस बात का परीक्षण करने के लिये तैयार है कि नहरों की पटरियों की जमीन अधिक उपजाऊ है और इसलिये उस पर अच्छे पेड़ भी सफल हो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब दिया जा चुका है कि इसका परीक्षण होने वाला है।

*९-११---श्री श्याममनोहर मिश्र (जिला लखनऊ)---[स्थगित किये गये।]

जिला एटा की जेलसर तहसील में बर्तन तथा घुंघरू उद्योग को सरकारी सहायता

*१२---श्री चिरंजी लाल जाटव (जिला एटा)---क्या सरकार को विदित है कि तहसील जलेसर, जिला एटा में पीतल व फूल के बर्तनों का काम बहुत बड़े पैमाने पर होता है ? उस काम को करने वालों को सहायता देने के सरकार के क्या नियम हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---जी हां, इस उद्योग में यहां लगभग १,००० व्यक्ति लगे हुये हैं जो लगभग ४ लाख रुपये का माल बनाते हैं।

इस सरकार की ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत कुटीर उद्योगों को चालू करने अथवा विकास करने के लिये आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के नियमों के अनुसार एक निर्धारित फार्म पर जो निःशुल्क मिलता है प्रार्थनापत्र संचालक, उद्योग विभाग, कानपुर को देना पड़ता है। एक व्यक्ति को अधिक से अधिक ५,००० रुपया ऋण तथा २,००० रुपया अनुदान के रूप में दिया जा सकता है। सहकारी समितियों को अधिक से अधिक १०,००० रुपया ऋण तथा ६,००० रुपया अनुदान दिया जा सकता है। आवश्यक जांच के बाद ऐसे प्रार्थना-पत्र एक कमेटी द्वारा विचार किये जाते हैं और योग्य व्यक्ति को उनकी कार्यकुशलता तथा क्षमता के आधार पर उचित सहायता स्वीकृत की जाती है।

जलेसर के पीतल तथा फूल के बर्तन बनाने वाले भी इस योजना के अन्तर्गत लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा टेक्निकल परामर्श भी दिया जाता है जिसके सम्बन्ध में उद्योग विभाग के संचालक, कानपुर से पत्र-व्यवहार किया जा सकता है।

*१३—श्री चिरंजीलाल जाटव—क्या सरकार को विदित है कि तहसील जलेसर, जिला एटा में घुंघुरू बनाने का कार्य बड़े पैमाने पर होता है और वह माल विदेशों को जाता है ? क्या सरकार वहां उद्योग केन्द्र खोलने का विचार कर रही है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफ़री—इस स्थान में लगभग ३,००० व्यक्ति घुंघुरू बनाने का कार्य करते हैं और लगभग १२ लाख रुपये वार्षिक का माल बनाते हैं जिसमें से कुछ माल विदेशों को भी जाता है। यहां उद्योग केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में विशेष जांच की जा रही है।

आगरा में शरणार्थियों की फ़ाइलों का गायब होना

*१४—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा से शरणार्थियों की कई सौ फाइलें गायब हो गयीं हैं ? यदि हां, तो सरकार ने ऐसी घटनाएं रोकने के लिये क्या व्यवस्था की है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जी हां, जो फाइलें गायब हुई हैं उनका संबंध सीधे Claims Commissioner दिल्ली से है जिलाधिकारियों से इसका कोई संबंध नहीं है।

*१५—श्री देवकीनन्दन विभव—[स्थगित किया गया।]

बिजली के बल्ब बनाने के कारखाने को सरकारी सहायता

*१६—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के बिजली के बनाने के कारखाने कहां-कहां हैं और क्या सरकार उन्हें सहायता देती है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफ़री—इस प्रदेश में बिजली के बल्ब बनाने का एक कारखाना शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी में है। सरकार इस कारखाने को कच्चा माल कोयला तथा टेक्निकल सहायता देती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस कारखाने के प्रोप्राइटर कौन हैं ?

श्री हुकुमसिंह—इसमें चार-पांच कम्पनियां मिल करके काम कर रही हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि यह चारों-पांचों कम्पनियां डच हालैंड की हैं ?

श्री हुकुमसिंह—बाहर हा की हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे इन बाहरी कम्पनियों का सम्बन्ध किन देशों से है ?

श्री हुकुमसिंह--फिलिप्स तो हालैंड की है बकिया के बारे में नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस कारखाने में सालाना कितने बिजली के बल्ब बनाये जाते हैं ?

श्री हुकुमसिंह--९० लाख ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या यह सही है कि सरकारी टेक्निकल सहायता दिये जाने के बावजूद भी इस कारखाने के मालिकों ने वहां का फर्नेंस सेक्शन बन्द कर दिया है ?

श्री हुकुम सिंह--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

जिला बरेली के एन० इ० एस० ब्लाकों पर खर्च

*१७--श्री रामचरणलाल गंगवार (जिला बरेली)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बरेली में कितने N. E. S. ब्लाक खोले गये हैं और कब ?

श्री फूलसिंह--जिला बरेली में केवल एक राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड भोजीपुरा में खोला गया है । ब्लाक का उद्घाटन २६ जनवरी, १९५४ को हुआ था ।

१८ श्री रामचरण लाल गंगवार--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन N.E.S. ब्लाकों में अब तक कितना रुपया खर्च हो चुका है और वहां क्या-क्या कार्य हो चुका है ?

श्री फूलसिंह--इस ब्लाक में ३१ अगस्त, १९५४ तक होने वाले कामों तथा उन पर किये गये खर्च की सूचियां सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गयी हैं ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ .. २५०-२५१पर)

श्री रामचरण लाल गंगवार--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस साल एन० ई० एस० ब्लाक्स पर कितना खर्च करने का निश्चय किया गया है ।

श्री फूलसिंह--एन० ई० एस० ब्लाक्स पर तीन साल में सात लाख खर्च होने वाला है, जिसमें से तीन लाख कर्जे की शकल में और चार लाख इमदाद की शकल में ।

श्री रामचरण लाल गंगवार--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन-कौन से मार्ग हैं जिनकी मरम्मत की गई ।

श्री फूलसिंह--अब यह सड़कों की बहुत तफसील का सवाल है । इसका तो अलग से जवाब दे सकूंगा ।

*१९-२१--श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)--[स्थगित किये गये ।]

बिजनौर फ़ारेस्ट डिवीजन के डी० एफ० ओ० का दफ्तर

*२२--श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जमींदारी विलीन होने के पश्चात् उसने बिजनौर जिले के अन्तर्गत स्थित बन के लिये बिजनौर फारेस्ट डिवीजन स्थापित किया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी हां ।

*२३--श्री रतनलाल जैन--क्या उपर्युक्त फारेस्ट डिवीजन के डी० एफ० ओ० व उनका दफ्तर बिजनौर जिले के अन्दर स्थित नहीं है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी नहीं ।

*२४--श्री रतनलाल जैन--क्या सरकार उपर्युक्त दफ्तर को जिले के मुख्य स्थान बिजनौर में स्थानान्तरण करने का विचार रखती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी नहीं ।

श्री रतनलाल जैन--क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि वन के निकट रहने वाली बिजनौर जिले की जनता को परिमिट आदि लेने में बड़ी असुविधा होती है ?

श्री अध्यक्ष--यह किस प्रश्न से सम्बन्धित है ।

श्री रतनलाल जैन--इन्हीं प्रश्नों से सम्बन्धित हैं, २२ और २३ ।

श्री अध्यक्ष--मुझे असंगत सा मालूम होता है ।

श्री रतनलाल जैन--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि दफ्तर कोटद्वार में है और कोटद्वार बिजनौर जिले के बाहर है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी हां । बिजनौर जिले के जो जंगलात हैं वह बिलकुल उसके उत्तर की तरफ हैं। अकबरगढ़ से हरिद्वार तक मिले हुए हैं और उसी के निकट उनका दफ्तर है ।

जिला बदायूं में भरकुइयां आदर्श ग्राम बसाने के हेतु सरकारी सहायता

*२५--श्री चुन्नी लाल सगर (जिला बदायूं)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आदर्श ग्राम भरकुइयां, जिला बदायूं बसाने के लिये सरकार की ओर से कुल कितना रुपया व्यय करने को दिया गया है और उसमें कितना रुपया हरिजन बस्ती को दिया गया ?

श्री फूलसिंह--आदर्श ग्राम भरकुइयां, जिला बदायूं बसाने के लिये कुल १५,६०० रुपया सरकार की ओर से दिया गया । मकानों के सुधार के हेतु १,२०० रुपया हरिजन बस्ती में व्यय किया गया है ।

*२६--श्री चुन्नी लाल सगर--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इन रुपयों में से कितना-कितना रुपया अब तक व्यय हो चुका है और कितना-कितना शेष है ?

श्री फूलसिंह--उन रुपयों में से ८,३९७ रुपया ८ आना व्यय हो चुका है और ७,२०२ रुपया ८ आना शेष है ।

*२७--श्री चुन्नीलाल सगर--क्या यह सच है कि उपर्युक्त आदर्श ग्राम बसाने के लिये २६ एकड़ जमीन ली गई थी और बाद में उसमें से कुछ जमीन वापिस कर दी गई ?

श्री फूलसिंह--जी हां ।

श्री चुन्नीलाल सगर--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो १,२०० रुपये हरिजनों के मकानों के लिये दिये गये हैं उसमें से कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्री फूलसिंह--१,२०० का १,२०० ही खर्च हो गया है ।

*२८--राजा वीरेन्द्र शाह जिला (जालौन)--[स्थगित किया गया ।]

स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन को भेजे गए सुझाव

*२९--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार ने States Reorganization Commission के विचारार्थ कुछ सुझाव भेजे हैं ? अगर हां, तो क्या सरकार उनका सारांश सदन में प्रस्तुत करने की कृपा करेगी ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्दवल्लभ पन्त)---सरकार की राय का सारांश यह था कि उत्तर प्रदेश, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रत्येक दृष्टि से अविभाज्य है और इसकी एकता को किसी तरह से भी ठेस पहुंचाने से सर्वथा हानि ही होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि सरकार की यह राय स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन की प्रश्नावली के उत्तर में भेजी गई थी या सरकार ने स्वतः अपनी ओर से यह राय भेजी थी ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---सरकार से रिआर्गेनाइजेशन कमीशन ने भी राय मांगी थी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या कमीशन ने सरकार की राय मांगते समय ऐसे आवेदन-पत्रों की प्रतिलिपियां सरकार के पास भेजी थीं कि जिसमें उत्तर प्रदेश के विभाजन की मांग की गई थी ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---जी नहीं।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार को विदित है कि उत्तर प्रदेश के विभाजन की मांग कुछ व्यक्तियों ने की और ऐसी मांग का उत्तर प्रदेश की जनता ने पूर्ण रूप से विरोध किया ?

श्री अध्यक्ष---यह इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री शिवनाथ काटजू---क्या स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन के सामने उत्तर प्रदेश के कुछ व्यक्तियों ने उत्तर प्रदेश के विभाजन की मांग की है जिसका कि उत्तर प्रदेश की जनता ने विरोध किया है।

श्री अध्यक्ष---यह भी उत्पन्न नहीं होता। किसी कमीशन के पास कुछ व्यक्तियों ने क्या मत पहुंचाया वह आप पूंछ रहे हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि यह सरकार की राय कमीशन को कब भेजी गई ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---मैं समझता हूं शायद आखीर दिसम्बर में भेजी गई

*३०---श्री शिवमंगल सिंह कपूर (जिला बस्ती)---[स्थगित किया गया।]

जिला बस्ती में कम्युनिटी प्रोजेक्ट योजना के अन्तर्गत कार्य

*३१---श्री शिवमंगल सिंह कपूर---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती में कम्युनिटी प्रोजेक्ट की योजना में अब तक क्या-क्या काम हो चुका है और आगामी वर्ष में क्या-क्या होगा ?

श्री फूल सिंह---इस ब्लाक में ३० सितम्बर, १९५४ तक किये गये और सन् १९५५-५६ में प्रस्तावित कामों की सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ..२५२-२५३ पर)

श्री शिवमंगल सिंह कपूर---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील डुमरियागंज में ग्राम सोहना में कम्युनिटी प्रोजेक्ट का काम करने का पहले सरकार की मंशा थी ?

श्री फूल सिंह---माननीय, उस जिले की कमेटी के मेम्बर हैं, उनको ठीक मालूम होगा। इस सवाल से तो मुझे मालूम होता नहीं है।

श्री शिवमंगलसिंह कपूर--क्या विधान सभा के माननीय सदस्य सरकार के पास यह प्रार्थना-पत्र दिये थे कि सोहना ग्राम से कम्युनिटी प्रोजेक्ट का काम न हटाया जाय ?

श्री फूलसिंह--मेरे पास तो कोई ऐसा कागज नहीं आया। माननीय सदस्य कहते हैं तो जरूर भेजा गया होगा।

*३२-३३--श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)--[स्थगित किये गये।]

ब्लाक डेवलपमेंट आफीसरों में हरिजनों की संख्या

*३४--श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर इस वर्ष नियुक्त किये गये हैं और उनमें हरिजनों की संख्या कितनी है ?

श्री फूलसिंह--इस वर्ष अभी तक १९ ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर नियुक्त किये गये हैं जो कि विभागीय अधिकारी थे। इनमें कोई हरिजन नहीं है। भारत सरकार की स्वीकृति के अनुसार १५ ब्लाक बचे हैं। जो व्यक्ति ट्रेनिंग के लिये चुने गये हैं उनमें ५ हरिजन हैं। सफलतापूर्वक ट्रेनिंग के बाद उनकी नियुक्ति जैसे-जैसे ब्लाक खुलेंगे उनमें की जायगी।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो व्यक्ति ट्रेनिंग में चुने गये हैं उनकी कुल संख्या कितनी है ?

श्री फूलसिंह--ट्रेनिंग में कुल १०४ व्यक्ति भर्ती किये गये हैं मगर ब्लाक कुल १५ खुलने बाकी हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितने हरिजनों की दरख्वास्तें आई थीं ?

श्री फूलसिंह--यह तो इस वक्त नहीं कह सकता मगर हमने हरिजनों के लिये खास रियायत रखी थी।

*३५--श्री मथुराप्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)--[स्थगित किया गया।]

चमड़े की रंगाई का कार्य करने वालों को सुविधायें

*३६--श्री रामदास आर्य--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में जो लोग चमड़े की रंगाई का कार्य करते हैं उनको क्या सुविधायें सरकार दे रही है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--जिन स्थानों में चमड़ा रंगने वालों की संख्या अधिक है और जहां संभव हो सकता है, वहां सरकारी चर्म कला शिक्षा सेंटर खोले गये हैं जहां निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और माल भी तैयार किया जाता है। कई स्थानों में सहकारी समितियां भी खोली गई हैं जिनको ऋण तथा अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है। टेक्निकल एडवाइस भी दी जाती है।

श्री रामदास आर्य--क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले ३ सालों में हमारे प्रदेश में कितने नये सेंटर खोले गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार नये सेंटर्स खोलने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह--जी हां।

श्री रामदास आर्य---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन सेंटर्स को पिछले वर्ष कितनी आर्थिक सहायता दी गई ?

श्री हुकुमसिंह---यह इस वक्त नहीं बतलाया जा सकता। इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री महीलाल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार के सेंटर्स खोलने के लिये सरकार किस प्रकार के स्थान चुना करती है ?

श्री अध्यक्ष---यह तो उत्तर में दिया जा चुका है ?

श्री रामदास आर्य---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि देहाती क्षेत्रों में जो रंगाई के कारखाने हैं उनको पर्याप्त सहायता नहीं मिलती है, इसलिए उनका कारबार बन्द हो गया है ?

श्री हुकुमसिंह---जी नहीं।

मुजफ्फरनगर नियोजन कार्यालय के कर्मचारी

*३७---श्री रामदास आर्य---क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरनगर नियोजन कार्यालय में कितने क्लर्क व चपरासी कार्य कर रहे हैं और उनमें हरिजनों की संख्या कितनी है ?

श्री फूलसिंह---मुजफ्फरनगर नियोजन कार्यालय में २७ क्लर्क व १८ चपरासी कार्य कर रहे हैं। इन में कोई भी हरिजन नहीं है।

श्री रामदास आर्य---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्ष में कितने क्लर्क और चपरासी नियोजन कार्यालय मुजफ्फरनगर में भर्ती किये गये हैं ?

श्री फूलसिंह---यह सब क्लार्क्स तथा चपरासी फूड डिपार्टमेंट के हैं जो यहां आये हैं।

*३८-४०---श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)---[स्थगित किये गये।]

तहसीलदार, हाकिम परगना आदि के अदालत में पहुंचने के समय का रेकार्ड

*४१---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसीलदार, हकिम परगना तथा अन्य मजिस्ट्रेटों का अदालत में पहुंचने के समय का कोई रेकार्ड रखा जाता है ? क्या निश्चित समय के पश्चात् आने वाले अधिकारियों के सम्बन्ध में पूछताछ करने का कोई नियम है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---जी हां। आनरेरी मजिस्ट्रेटों के इजलास को छोड़कर हर इजलास में हाजिरी का एक रजिस्टर रखने का नियम है जिसमें हर मजिस्ट्रेट व असिस्टेंट कलेक्टर को इजलास में अपने आने तथा जाने का समय रोजाना नोट करना पड़ता है।

जी हां, सरकार के आदेश हैं कि जिलाधीश तथा अतिरिक्त जिलाधीश (न्याय) अपने अधीनस्थ सभी फौजदारी तथा माल के इजलासों का महीने में कम से कम दो बार प्रातः १०-३० बजे से ११-० तक के बीच आकस्मिक मुआइना करें तथा हर पन्द्रहवें दिन इन इजलासों के हाजिरी के रजिस्टरों की भी जांच करें।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एस० डी० एम० और तहसीलदार कभी-कभी ४ बजे शाम से रात के ८-९ बजे तक बैठते हैं ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---जब आप कहते हैं तो कहीं पर ऐसा भी हो जाता होगा।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यदि जिलाधीश हाजिरी रजिस्टर की जांच करते हैं तो फिर ठीक समय पर इजलास क्यों नहीं होते हैं ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---जिस हद तक वह ठीक वक्त पर इजलास नहीं कराते हैं यह उनकी गफलत है, उनको कराना चाहिये।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एस० डी० ओज० दौरे पर भी रहते हैं ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--- जी हां, दौरे पर भी रहते हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एस० डी० ओज० जिस दिन देर से आते हैं उसका कारण भी कुछ लिखते हैं ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---वे कारण लिखते हैं या नहीं, मैं ठीक कह नहीं सकता।

डिवीजनों में कमिश्नरों की नियुक्तियां

*४२ श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या वह फिर से प्रत्येक डिवीजन में एक कमिश्नर रखने जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--- प्रत्येक डिवीजन में एक कमिश्नर नहीं रखा जायगा जो प्रबन्ध किया गया है उसकी सूचना प्रश्न संख्या ५९-६१ के उत्तर में गये सप्ताह १४ तारीख को दी गई थी।

*श्री बलवन्तसिंह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो अरेन्जमेंट अब किया गया है उसमें कमिश्नर के बजाय और कुछ नाम दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष---यह तो पहले उत्तर में आ चुका है।

*४३-४४---श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---[स्थगित किये गये।]

*४५-४६---श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)---[स्थगित किये गये।]

*४७-४९---श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---[स्थगित किये गये।]

प्रदेश में राजकीय सहायता प्राप्त व्यायामशालाएं

*५०---श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सदन में जो व्यायामशाला सम्बन्धी संकल्प १९-२-१९५४ को पारित हुआ था, उसके अनुसार अब तक कहां-कहां कौन सी कार्यवाही हुई है ?

श्री फूल सिंह---इस सम्बन्ध में हर जिले में दो व्यायामशाला, एक बच्चों के खेलकूद का केन्द्र और एक राइफिल क्लब खोलने की योजना बनाई गई है और वह अभी विचाराधीन है।

*५१---श्री रणंजयसिंह---क्या यह सच है कि लखनऊ में एक उच्चकोटि की व्यायामशाला खोलने का निर्णय कर लिया गया है ? यदि हां, तो वह कब तक खुल जायेगी तथा उसका अनुमानित व्यय कितना है ?

श्री फूल सिंह--- जी नहीं।

*५२—श्री रणंजयसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कुल कितनी राजकीय अथवा राजकीय सहायता प्राप्त व्यायामशालायें हैं ?

श्री फूलसिंह—२४ राजकीय सहायता प्राप्त व्यायामशालायें हैं । इसके अलावा काशी व्यामशाला, बनारस, रामपुर स्टेडियम, भारत सेवा मंडल, बनारस, लक्ष्मी व्यायाम मन्दिर झांसी को भी राजकीय सहायता दी जाती है ।

श्री रणंजयसिंह—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि इन सब सहायता प्राप्त व्यायामशालाओं को कुल कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है ?

श्री फूलसिंह—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय नियोजन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार दारुलशफा में एक व्यायामशाला माननीय रणंजय सिंह जी की देखरेख में खोलने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

(हंसी—कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री रामदास आर्य—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन व्यायाम-शालाओं का जिक्र मंत्री जी ने किया है इनमें से कितनी देहाती क्षेत्र में हैं ?

श्री फूलसिंह—इनमें से आधे देहाती क्षेत्र में हैं और आधी शहरों में हैं ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो व्यायामशालाओं से सम्बन्धित योजना सरकार के विचाराधीन है वह कब तक चालू हो जायगी ?

श्री फूलसिंह—१२ जिलों में तो वह योजना चालू है और अगले वर्ष भी १२ और जिलों में खोलने का विचार था मगर अब उसको पूरे प्रान्त में खोलेंगे जो इस साल तय हो जायगा ।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन व्यायामशालाओं के इन्चार्ज सरकारी आदमी हैं या गैर-सरकारी आदमी ?

श्री फूलसिंह—ये व्यायामशालायें गैर-सरकारी लोगों के हाथ से चलती हैं । सर-कारी सहायता इनको मिलती है और इनके एकाउन्ट आडिट किये जाते हैं । कुछ जिलों में हमने यह कर दिया है कि सरकारी आदिमयों को भी कमेटी में रहना चाहिये ।

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि रामपुर स्टैडियम को कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है और उसका प्रबन्ध शिक्षा विभाग के अन्तर्गत है या नियोजन विभाग के ?

श्री फूलसिंह—रामपुर स्टैडियम को ५०० रुपये की सहायता दी गयी है ।

श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या यह रुपया वार्षिक अथवा मासिक सहायता के रूप में दिया गया और दूसरा प्रश्न यह था कि प्रबन्ध किसके अधीन है ?

श्री फूलसिंह—५०० रु० इस साल में दिये गये हैं, वार्षिक और मासिक का प्रश्न पैदा नहीं होता और उसको मुकामी कार्यकर्ता चलाते हैं, पी० आर० डी० वालों का उसमें हाथ है ।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—क्या सरकार इन व्यायामशालाओं में कुछ पूर्ण अनुभवी व्यक्तियों की, जो व्यायाम की शिक्षा दे सकते हैं, सवैतनिक नियुक्ति करने पर विचार करेगी ?

श्री फूलसिंह—इन व्यायामशालाओं से जो लड़के अच्छा काम करके पास होते हैं उनको सरकार व्यायामशालाएं खोलने के लिये नौकर रख लेती है ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन व्यायामशालाओं में किन किन व्यायामों की ट्रेनिंग दी जाती है ? उनके भेदों पर प्रकाश डालेगी ?

श्री फूलसिंह—पैरेलल बार, सिंगिल बार और मलखम्भ इत्यादि ।

श्री हरदयालसिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी के पास इस तरह की कोई शिकायत आई है कि ये सहायता प्राप्त व्यायामशालाएं सुचारु रूप से कार्य नहीं कर रही हैं ?

श्री फूलसिंह—आमतौर से तो कोई शिकायत नहीं आई है ? एक व्यायामशाला का हमने हिसाब देखा था, उसका एकाउंट ठीक नहीं है, उसको सहायता नहीं दी गई और अब तय कर दिया गया कि व्यायामशालाओं में डी० पी० ओ० का आदमी रहेगा ताकि उसके हिसाब की जांच कर सके ।

विलीन रियासतों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सीनियारिटी

*५३—श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने विलीन रियासतों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सिनियारिटी किस आधार पर निर्णय की है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—इस विषय की सरकारी विज्ञप्ति की एक नकल मेज पर रक्खी है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ. . २५४–२५६ . . पर)

*५४—श्री हरदयालसिंह पिपल—(स्थगित किया गया ।)

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ग्राम तम्बौर, जिला सीतापूर में राष्ट्रीय प्रसार सेवा ब्लाक की स्थापना

*५५—श्री सुरेशप्रकाशसिंह (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)— क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सीतापुर जिला नियोजन कमेटी ने यह निश्चय किया है कि जिले की तहसील बिसवां के तम्बौर ग्राम में राष्ट्रीय प्रसार सेवा ब्लाक स्थापित किया जाय ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—जी हां ।

*५६—श्री सुरेश प्रकाशसिंह (अनुपस्थित)—यदि उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर हां में है तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस ब्लाक का कार्य कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—यह ब्लाक २ अक्तूबर, १९५४ को खोला गया । काम शीघ्र ही शुरू हो जायगा ।

बस्ती के तीसी रेशा-केन्द्र का तोड़ा जाना तथा इसके सामान का वितरण

*५७—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो तीसी रेशा-केन्द्र बस्ती में खोला गया था, वह तोड़ दिया गया है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफ़री—जी हां, तोड़ दिया गया है ।

*५८—श्री राजाराम शर्मा—यदि उत्तर हां में है तो उक्त केन्द्र की मशीनरी वगैरह का क्या हुआ ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफ़री—उक्त केन्द्र की मशीनरी चर्म शिक्षालय केन्द्र, बस्ती में मौजूद है । एक मशीन जो डायरेक्टर आफ एग्रीकल्चर जूट रिसर्च इन्स्टीटयूट बैरकपुर से उधार ली गई थी, वापस कर दी गई है। कुछ मशीनें हरकोर्ट बटलर टक्नोलाजिकल इंस्टीटयूट, कानपुर की थीं जिनको वापस किया जा रहा है।

श्री राजाराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि यह केन्द्र कब तोड़ा गया ?

श्री हुकुमसिंह—यह सन् ५२ में तोड़ा गया था।

श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार इस केन्द्र के स्थान पर कोई दूसरा कुटीर उद्योग केन्द्र खोलने का विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह—इसकी जगह पर नहीं, लेकिन और उद्योगों के बारे में विचार जरूर गवर्नमेंट कर रही है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि इस केन्द्र को बदलने का क्या मुख्य कारण था ?

श्री हुकुमसिंह—यह लाभदायक नहीं था।

श्री शिवनारायण—क्या यह सही है कि इस केन्द्र में आग लग गयी थी, इसलिए सरकार ने तुड़वा दिया है ?

श्री हुकुमसिंह—यह वजह नहीं है, लेकिन आग जरूर लगी थी।

*५९—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—[स्थगित किया गया।]

कानपुर जिले में पेन्शन प्राप्त राजनीतिक पीड़ित

*६०—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर शहर व जिले में राजनीतिक पीड़ित होने के कारण किन किन को पेंशन दी जाती है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—मांगी गई सूचना संलग्न नक्शे में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २५७ पर.)

कानपुर शहर में रजिस्टर्ड कोआपरेटिव सोसाइटीज के भागीदारों की परेशानियां

*६१—श्री हमीद खां (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि शहर कानपुर में कौन-कौन रजिस्टर्ड कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—कृपया संलग्न सूची देखिये।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २५८-२६१ पर)

*६२—श्री हमीद खां (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि शहर कानपुर में बहुत सी कोआपरेटिव सोसाइटियां मृतप्रायः सी हैं और उनके भागीदार परेशान हैं कि उन्हें न मुनाफा मिलता है और न उनका रुपया ही लौटाया जाता है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--- यह सत्य नहीं है कि कानपुर नगर की बहुत सी कोप्रापरेटिव सोसाइटियां मृतप्रायः सी हैं। केवल उपभोक्ता भंडारों ने ही कंट्रोल हटने के बाद अपना काम सुचारु रूप से करना बन्द कर दिया है जिनकी संख्या १३९ में केवल २४ है। यह सत्य है कि उनके हिस्सेदारों को कोई मुनाफा सन् १९५१ से कार्य सुचारुरूप से न चलने के कारण नहीं दिया गया। जहां तक हिस्सों के रुपयों की वापसी का सम्बन्ध है अभी तक केवल ६ भंडारों के कुछ सदस्यों द्वारा ही मांग की गई है।

बलरामपुर (जिला गोंडा) राज्य में सहकारी सिंचाई समितियों को नलकूप खरीदने के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता

*६३---श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)---क्या मुख्य मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि कि गोंडा जिला में बलरामपुर राज्य द्वारा निर्मित प्रत्येक नलकूप के क्षेत्र में सहकारी सिंचाई समिति का निर्माण और अधिकांश की रजिस्ट्री भी हो चुकी है और उन समितियों की ओर से नलकूपों को खरीदने के लिये आर्थिक सहायता की मांग की गई है ?

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)---बलरामपुर राज्य द्वारा निर्मित नलकूपों के क्षेत्र में १२ सहकारी समितियां और १ सेंट्रल सिंचाई सहकारी संघ की रजिस्ट्री हो चुकी है। अभी तक उन समितियों की ओर से नलकूपों को खरीदने के लिये आर्थिक सहायता के लिये कोई मांग नहीं की गई है।

श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इन सहकारी सिंचाई समितियों के पास कुल कितना धन है और उनका मुख्य उद्देश्य क्या है ?

श्री अध्यक्ष---यह तो इससे उत्पन्न नहीं होता। मूल प्रश्न केवल यह था कि सहायता मांगी है या नहीं।

गोंडा जिले में सहकारी बैंक के स्थापित न होने के कारण

*६४---श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोंडा जिला में जिला सहकारी बैंक की स्थापना हो गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंगलाप्रसाद---जी नहीं। कारण यह है कि उस जिले में एक सेंट्रल सहकारी बैंक पहले से मौजूद है, जिसका मुख्य कार्यालय बलरामपुर में है। वही बैंक जिले के समस्त सहकारी आन्दोलन के लिये केन्द्रीय फाइनेंशल एजेन्सी का कार्य करता आ रहा है।

इसके अतिरिक्त उसका एक पे आफिस गोंडा में भी है। जिसके कारण जिला सहकारी बैंक की स्थापना की समितियों द्वारा मांग भी अभी तक नहीं हुई है।

श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि गत वर्ष १९५३ में जिला सस्कारी बैंक की स्थापना के लिये मीटिंग बुलायी गयी थी और उसकी रूपरेखा निश्चित की गयी थी ?

श्री मंगलाप्रसाद---जब माननीय सदस्य इस बात को कह रहे हैं तो शायद उन्होंने मीटिंग की होगी। मुझे इसकी कोई इत्तिला नहीं है। लेकिन उनकी खबर के लिए यह बता देना चाहता हूं कि हमारी तरफ से इसकी फिक्र है कि गोंडा में कोई सेंट्रल बैंक खुल जाय, नहीं तो प्रान्तीय बैंक की कोई शाख वहां खोलने की कोशिश की जाय।

बस्ती जिले में सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन

*६५—श्री रामसुन्दर राम (जिला बस्ती)—क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती में जुलाई सन् १९५४ तक चालू वर्ष के कुल कितनी सहकारी समितियों की रजिस्ट्री हो चुकी है ?

श्री मंगलाप्रसाद—इस समय में २९९ समितियों की रजिस्ट्री हुई है।

श्री रामसुन्दर राम—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन सोसाइटियों को संगठित करने के लिये बस्ती जिले में काफी स्टाफ है ?

श्री मंगलाप्रसाद—अभी तक तो है ही क्योंकि अप्लीकेशन पड़ी और रजिस्ट्री भी हो गयी। इसके मानी तो यही हैं ?

श्री रामसुन्दर राम—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन सोसाइटियों को संगठित करने के लिये कुल कितना स्टाफ बस्ती जिले में है ?

श्री मंगलाप्रसाद—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

चीनी मिलों के सुरक्षित गन्ना क्षेत्रों का पुनर्विभाजन

*६६—श्री गेंदासिंह—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गत वर्ष उद्योग मंत्री के आश्वासन के अनुसार अगले सीजन के लिये चीनी मिल के गन्ना क्षेत्रों का पुनर्विभाजन करने की व्यवस्था सरकार कर रही है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफ़री—ऐसा कोई निश्चित आश्वासन तो दिया गया नहीं जान पड़ता कि चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्रों का पुनर्विभाजन अगले वर्ष कर दिया जायेगा, किन्तु इस प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है और आशा करती है कि वह निकट भविष्य में इस सम्बन्ध में समुचित निर्णय कर सकेगी।

*६७—श्री गेंदासिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चीनी मिलों के गन्ना क्षेत्रों का बटवारा कब हुआ था और उस समय गन्ना की उपज और क्षेत्र कितना था और अब कितना है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफ़री—चीनी मिलों के लिये गन्ने के क्षेत्रों को सुरक्षित करने का नियम १९३८-३९ से लागू है। उस समय के इन क्षेत्रों का क्षेत्रफल तथा उपज के आंकड़े सरकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं। चीनी मिलों के लिये इस समय के गन्ने के सुरक्षित क्षेत्रों का अनुमानित क्षेत्रफल लगभग १४-१८ लाख एकड़ तथा अनुमानित उपज लगभग ४२.५ करोड़ मन है।

श्री गेंदासिंह—क्या उद्योग मंत्री महोदय इसे बताने की कृपा करेंगे कि ३८-३९ की गन्ने की पैदावार और रकबे में और आज के गन्ने की पैदावार और रकबे में काफी अन्तर पड़ गया है ?

श्री हुकुमसिंह—पहले के आंकड़े न होने की वजह से यह निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता है।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय उद्योग मंत्री इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि जिसमें जल्द से जल्द मिलों को ठीक से इतना गन्ना मिल सके कि उनके क्रशिंग सीजन में कोई कठिनाई न हो और काश्तकारों को भी कोई दिक्कत न उठानी पड़े ?

श्री हुकुमसिंह--प्रश्न संख्या ६६ के जवाब में यह आश्वासन दिया गया है कि इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने की कोशिश की जायगी।

श्री शिवव्रचन राव (जिला देवरिया)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि भटनी शुगर मिल को कई वर्ष पूर्व उसका क्षेत्रफल निश्चित किया गया था क्या सरकार भटनी मिल को चलवाने के लिये वह क्षेत्रफल उसको देगी ?

श्री हुकुमसिंह--पहले मिल चलने दीजिये फिर यह सवाल पैदा होगा ।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)--क्या सरकार को ज्ञात है कि बिहार प्रान्त के कुछ जिलों से अपने प्रान्त की कुछ फैक्टरीज को गन्ना प्राप्त होता है।

श्री हुकुमसिंह--जी हां।

श्री रामेश्वरलाल--क्या सरकार को इसकी सूचना मिली है कि वहां के गन्ने के काश्तकार अपने प्रान्त को जो गन्ना देते हैं उसमें मिल वालों को धांधली करने का अवसर रहता है ?

श्री हुकुमसिंह--ऐसी कोई निश्चित इत्तिला मुझे नहीं है।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय उद्योग मंत्री भटनी मिल के सम्बन्ध में पहल जो बयान इस सदन में दिया जा चुका है, उसको ध्यान में रखते हुये इस वर्ष मिल को चलवाने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह--मिलों को तो उनके ओनर्स चलाते हैं।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन क्षेत्रों में गन्ना बोया जाता है, उनके पुनःक्षेत्रीकरण की मांग आयी है ?

श्री हुकुमसिंह--जी हां, मांग आयी है।

श्री केशव पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी उन मांगों का संक्षिप्त विवरण बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह--इसके बारे में कई मर्तबा श्री गेंदा सिंह ने पूछा है, श्री केशव पांडेय ने भी पूछा है और रामकोला फैक्टरी की तरफ से भी दरख्वास्त आयी है ?

*६८--श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--[हटा दिया गया।]

हाटा जुडिशियल आफिसर के इजलास के सम्बन्ध में परिप्रश्न

*६९--श्री रामसुभग वर्मा--क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि वर्तमान जिलाधीश ने हाटा के जुडीशियल अफसर के इजलास को तोड़ दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--जुडीशियल अफसर, हाटा का इजलास नहीं टूटा है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री रामसुभग वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कुछ दिनों से हाटा एस० डी० एम० देवरिया में कचहरी कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--यह प्रश्न आ चुका है, इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि हाटा जुडीशियल मजिस्ट्रेट के सामने जो मुकदमे पहले चल रहे थे, वे मुकदमे देवरिया एस० डी० एम० के इजलास में चल रहे हैं ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—मैं नहीं कह सकता। हो सकता है किसी कारण से कुछ मुकदमे इधर से उधर भेज दिये गये हों।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात की सूचना मिली है कि हाटा जुडीशियल मजिस्ट्रेट के इजलास में से बहुत से मुकदमे एस० डी० एम० देवरिया के इजलास में इसलिये भेज दिए गये हैं कि उनकी उचित कार्यवाही कसिया में नहीं हो पाती ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—जब गेंदा सिंह जी इसे कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे, मुझे इसकी ठीक इत्तला नहीं है।

श्रमदान द्वारा बनाई गई सड़कों की देखभाल

*७०—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्रमदान द्वारा बनाई गई सड़कों की जिम्मेदारी भूमि प्रबन्धक कमेटी को दी जाने वाली है ?

श्री फूलसिंह—इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक श्रमदान द्वारा जो नयी सड़कें बनायी गयी हैं, उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी किन अधिकारियों को दी गयी है ?

श्री फूलसिंह—जिन सड़कों को इस तरह से बनाया जाता है, बरसात के बाद ग्राम सभा उनकी मरम्मत करती है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सड़कें श्रमदान से बनायी गयी हैं, उनको सरकारी काग़ज़ात में भी दर्ज करने का हुक्म दिया गया है ?

श्री फूलसिंह— जी हां।

राजा वीरेन्द्र शाह—जो सड़कें श्रमदान द्वारा बनायी गयी हैं उनकी मरम्मत के वास्ते क्या सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्डस को आदेश देगी कि उनकी मरम्मत हर साल करा दिया करें ?

श्री फूल सिंह— यह सड़कें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की नहीं हैं।

*७१—श्री शिवकुमार शर्मा—[स्थगित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

चुर्क सीमेंण्ट फैक्टरी, मिर्जापुर में सीमेंण्ट का उत्पादन

१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी मिर्जापुर में सीमेंट का उत्पादन सम्प्रति कितना हो रहा है ?

श्री हुकुमसिंह— चुर्क सीमेंट फैक्टरी में अब तक १०,००० टन से अधिक सीमेंट बन चुका है। अभी ३०० टन प्रति दिन का औसत है।

प्रश्न २९ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का स्पष्टीकरण

*मुख्य मंत्री (श्री गोविन्दवल्लभ पन्त)---मैंने एक सवाल के जवाब में जो श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने पूछा कि सरकार की यह राय स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमेटी को कब भेजी गयी, आखिरी दिसम्बर सन् ५३ कहा था, वह गलत था। सन् ५३ में जो रेज्योलूशन होम मिनिस्टरी का ईश्यू हुआ और मार्च सन् ५४ में हमारे पास कमीशन की चिट्ठी आयी। उसके कुछ अरसे बाद यहां से हमने कमीशन को अपनी राय भेजी है। मेरे पास यहां पर ठीक तारीख नहीं है, इसलिये मैं बतला नहीं सकता मगर नारायण दत्त जी चाहेंगे तो मैं उनको ठीक तारीख बतला दूंगा। मुझसे यह गलती हो गयी इसके लिये मुझे अफसोस है कि सदन के सामने मैंने ग़लत जवाब दिया चाहे मेरा इरादा ऐसा न रहा हो।

श्री वासुदेवप्रसाद मिश्र द्वारा सदन के बाहर कही गयी बातों के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---मेरे पास श्री राजनारायण जी ने एक काम रोको प्रस्ताव श्री वासुदेव मिश्र, जो हमारे सदन के एक सदस्य हैं, उन्होंने बाहर कोई बात कही थी और उनका जो परिणाम निकलता है उसके सम्बन्ध में विचार करने के लिये उपस्थित किया है। मैं उचित नहीं समझता हूं कि मैं उसको पढ़ूं लेकिन इस समय मैं इतना अपना मत जाहिर कर देना चाहता हूं, क्योंकि सदन में इस प्रकार के थोड़े से कारणों पर प्रस्ताव आया करते हैं। कोई माननीय सदस्य कहीं पर कोई बात कहें तो उसकी बग़ैर जांच किये हुये या बग़ैर उसके परिणाम का विचार किये हुये या उस सदस्य से बग़ैर पूछे हुये और उसके सम्बन्ध में बग़ैर मेरे पास सबूत में काग़जात पेश किये हुये यदि कामरोको प्रस्ताव भेजा जाय तो वह अनुचित है। इस प्रकार किसी व्यक्तिगत बात के सम्बन्ध में किसी तरह का भी प्रश्न अगर वैयक्तिक विषय को सदन में खींचकर लाने का प्रयत्न करेंगे तो इस सदन का वातावरण बहुत गन्दा होने की आशंका है। इसलिये मैंने कुछ कारण बता दिया कि यह बहुत अनिश्चित सा है और उठाया नहीं जा सकता, मैंने तो जिक्र भी सम्बन्धित सदस्य के नाम का कर दिया क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में बार बार गलतफहमी न हो।

शिक्षा मंत्री के कथित असत्य भाषण पर विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---दूसरे एक विशेषाधिकार का प्रश्न, सोमवार को जो भाषण यहां पर माननीय शिक्षा मंत्री जी दे रहे थे उसके सम्बन्ध में यानी जो उस संदर्भ गर्मागर्मी यहां छिड़ गई उसके सम्बन्ध में, उनके वक्तव्य के बारे में श्री राजनारायण जी ने उपस्थित किया है। इसके बारे में भी मैं इसलिये जिक्र करता हूं कि इससे सम्बन्धित सिद्धान्त को, मैं चाहता हूं कि सदन समझ ले। यहां पर सदन में जो भाषण होते हैं वे स्वतन्त्रतापूर्ण वातावरण में होते हैं और हर एक सदस्य स्वतन्त्रता के साथ भाषण दे सकता है। अनपार्लियामेंटरी भाषा जो कि सदन की प्रतिष्ठा के विरुद्ध जाती हो ऐसी भाषा का उपयोग न किया जाय, लेकिन जो ईमानदारी से किन्हीं वाक्यात के बारे में कोई जानकारी रखता हो उनको जाहिर करने में कोई रोकटोक नहीं हो सकती है। जब तक कि कोई बात विषय से असंगत न हो या किसी के ऊपर लायबिल न हो या नियम विरुद्ध

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

न हो तब तक भाषण में पूर्ण स्वतन्त्रता है। यदि कोई सदस्य किसी बात में विश्वास करते हैं कि यह बात सही है तो किसी दूसरे सदस्य को यह अधिकार नहीं है कि वह सदन में कहे कि तुम झूठ बोलते हो, बल्कि यहां की प्रथा यहां तक है जो मैं पहले एक बार कह भी चुका हूं कि सदन में किसी बात का मैंने जिक्र कर दिया और उस सम्बन्ध में आक्षेप हुआ और खड़े होकर मैं यह कह दूं कि मैंने यह बात नहीं कही यद्यपि सब के कर्णगोचर वह बात हो गई हो और वह समझते हों कि उन्होंने वही सुना है जिस सम्बन्ध में आक्षेप हुआ है, तो भी प्रथा यह है कि जैसे ही सम्बन्धित सदस्य इनकार करें वैसे ही अन्य सदस्यों को उसकी बात को स्वीकार करना चाहिये कि वह जो बात कह रहे हैं वह सही कह रहे हैं। किसी को झूठा कहना यह सदन की प्रथा के विपरीत है बल्कि ऐसे समयों में यदि ऐसा आक्षेप किया जाय तो ऐसे आरोप को वापस लेने की प्रथा सदन की है। क्योंकि किसी के कथन को 'झूठ' शब्द से सम्बोधन करना अनपार्लियामेंटरी होने के कारण ऐसे सम्बोधन को वापस लेना चाहिये। यदि एक सदस्य कहता है कि एक बात सत्य है और दूसरा कहता है कि वह असत्य है, तो इस प्रकार के वाद-प्रतिवाद पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना यह बहुत ही अनुचित सा है। इसी तरह का उस दिन का वाक़या था, प्रस्तावक कहते हैं कि फलां असत्य बात कही गई है और उसके सम्बन्ध में एवीडेंस किसी किस्म का देते नहीं हैं। एक कहते हैं कि यह बात वह सत्य समझते हैं और दूसरे कहते हैं कि यह बात गलत है और इसी बात की बुनियाद पर अगर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाय तो मैं कह सकता हूं कि सदन में वाद-प्रतिवाद हो ही नहीं सकता, भाषण भी नहीं हो सकते और भाषण स्वातंत्र्य भी खत्म हो जायगा। इसलिये मैंने आज इस विषय पर संकेत करके भविष्य के लिये सदस्यों को आगाह कर दिया जिसमें कि फिर इस प्रकार का प्रश्न न उठाया जा सके। यह अवैधानिक है, मैं उसको उपस्थित करने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---मैं आपसे जरा एक निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमन्, मैं इसमें विवाद तो नहीं करना चाहता, लेकिन आपका ध्यान नियमावली के पेज ३७ पर पृष्ठ १८२ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। दूसरी बात जो मुझे आपसे निवेदन करनी थी...

श्री अध्यक्ष---इसके सम्बन्ध मे जो बातआप कहना चाहते हों वह तो बताइये।

श्री राज नारायण---आपने आगे के लिये जो कहा है कि हम लोग किस तरह से आचरण करें...।

श्री अध्यक्ष---वह मैंने कहा लेकिन मेरे वक्तव्य के ऊपर या कोई सलाह देने के ऊपर कोई विवाद नहीं हो सकता। आप मेरे कमरे में इस सम्बन्ध में बातें कर सकते हैं। इस विषय पर चर्चा करने की इजाजत इस समय मैं नहीं देता।

सरकार से आल इण्डिया मुस्लिम जमाअत के कृत्यों से उत्पन्न परिस्थिति पर प्रकाश डालने की मांग

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, इधर अखबारों में कुछ ऐसी खबरें निकल रही हैं जिससे मालूम होता है कि हमारे प्रदेश में साम्प्रदायिक शान्ति के लिये किसी प्रकार के खतरे की सम्भावना है। गोवध विरोधी आन्दोलन जो चल रहा है उससे हम सभी परिचित हैं। इसके अतिरिक्त अभी अखबारों में निकला है कि आल इंडिया मुसलिम जमाअत के प्रेसीडेंट बदरुद्दुजा साहब आ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---इसके लिये मैं इस समय इजाजत नहीं दूंगा। क्या आप सरकार से कोई प्रार्थना करना चाहते हैं ?

श्री झारखंडे राय---श्रीमन्, मैं आपके जरिये से माननीय मुख्य मंत्री जी से और माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इसके विषय में हम लोगों को कोई प्रकाश देगी या कोई वक्तव्य देना चाहेगी कि जो स्थिति पैदा हो गई है उसके विषय में उसकी क्या नीति है ?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई विषम परिस्थिति पैदा नहीं हुई है जिसके ऊपर किसी वक्तव्य की जरूरत हो। इतना बड़ा प्रदेश है कहीं प्रदेश भर में छोटी-मोटी बातें हो जाती होंगी उनकी वजह से यह तो नहीं समझा जाना चाहिये कि कोई विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है और इसलिये किसी भी वक्तव्य के देने का कोई भी कारण नहीं है।

शिक्षा मंत्री के कथित असत्य भाषण पर विशेषाधिकार का प्रश्न

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं श्रीमन् कि जैसा आपने कहा कि मेरे पास इस समय बनारस यूनिवर्सिटी के कोर्ट की प्रोसीडिंग्ज आयी हैं।

श्री अध्यक्ष---आप मेरे कमरे में आइये और यह दिखाइए कि इसका आधार क्या है ? इस समय आप यहां यह सब बातें नहीं कह सकेंगे।

श्री राजनारायण---मैंने तो यह इसलिये यहां कह दिया है कि श्रीमन् जिससे फिर यह न हो कि अब समय बीत गया है। मैं यह कह देना चाहता हूं कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्ज मेरे पास हैं।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---श्रीमन्, मुझे केवल इस सम्बन्ध में इतना ही कहना है कि जहां तक मुझे मालूम हुआ है कि अभी उस कोर्ट की प्रोसीडिंग्ज छपी ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि जितने कोर्ट के मेम्बरान थे उन सबसे मैंने सम्पर्क स्थापित किया और मैं यह चाहूंगा कि जो वह घटना छपी है उसको मैं भवन के सामने पढ़ कर सुना दूं जिससे यह मालूम हो जाय कि जिस घटना का मैंने जिक्र किया है वह ठीक है और जैसा मैंने जिक्र किया था वैसा ही है।

श्री अध्यक्ष---मैं शिक्षा मंत्री जी से यह कह देना चाहता हूं कि वह यदि चाहेंगे कि वह इसके विषय में कोई स्पष्टीकरण देवें या राजनारायण जी चाहें स्पष्टीकरण देना तो मैं स्पष्टीकरण देने की अनुमति किसी अन्य समय दोनों को दे दूंगा लेकिन कोई विशेषाधिकार का प्रश्न यहां के भाषणों के ऊपर नहीं आ सकता जैसा मैंने इस सम्बन्ध में कहा कि इस प्रकार के विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाने की बात ऐसी है जिससे यहां के भाषण स्वातंत्र्य की समाप्ति हो जाती है। लेकिन वाकयात के बारे में वैयक्तिक स्पष्टीकरण देने का अधिकार है और जब उनके पास इतनी मालूमात हो जायें और उनके पास एवीडेंस उसके सबूत में हो उसी वक्त वक्तव्य देना उचित है। एक कहे कि यह बात सत्य है और दूसरा कहे कि वह असत्य है, इस तरह की बातों के कहने की इजाजत मैं नहीं दूंगा। और न इसकी इजाजत दूंगा कहने की कि किन्हीं अखबारों में क्या छपा है उसके सम्बन्ध में। लेकिन जो यहां के कोर्टों की प्रोसीडिंग्स है या और कोई रिलायबिल एवीडेंस हो उसे प्राप्त करने पर अगर कोई अपना भाषण या वक्तव्य देना चाहता है तो दे सकता है। आज के रोज वह बात नहीं है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यहां भी कोर्ट के मेम्बर मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष—सदन का समय इस तरह खर्च हो कि एक कहे कि सही है और दूसरा कहे कि गलत है, यह नहीं होना चाहिये। वह सब मेरे पास आ जाना चाहिये।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मुझे आपने कामरोको प्रस्ताव के संबंध में केवल इतना ही निवेदन करना है कि मेरा प्रस्ताव जो परिस्थिति पैदा हुई है उस पर है।

श्री अध्यक्ष—मेरे पास लिखा हुआ रक्खा है, मैं आपको दिखा दूं?

*इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४

† खंड १३ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार जारी। लेकिन कल मैंने कह दिया था कि जो संशोधन अब बाकी हैं उनके ऊपर मैं केवल सदन की राय ले लूंगा क्योंकि सवा बजे तक इसको समाप्त होना है। जो माननीय सदस्य खड़े हो जायंगे उनके संशोधन के बारे में मैं समझूंगा कि वह प्रस्ताव उपस्थित करना चाहते हैं और उस पर मैं सदन की राय ले लूंगा और जो खड़े नहीं होंगे, मैं यह समझूंगा कि वह अपना संशोधन मूव नहीं करना चाहते और उन पर मैं सदन की राय नहीं लूंगा।

प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित नई धारा 17 की उपधारा (1) के भाग (ix) के बाद नया भाग (ix-a) निम्नरूप में रख दिया जाय :—

"(ix-a) The Vice-Chancellors of all the other Universities established by law within the territory of Uttar Pradesh."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित नई धारा 17 की उपधारा (1) के भाग (xii) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(xii) Persons nominated by such academic and non-academic bodies and interests as may be provided in this behalf by statutes".

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा 17 की उपधारा (1) का भाग (xiv) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित नई धारा 17 की उपधारा (1) के भाग (xv) के अन्त में लिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय:—

"Provided that one of the members shall belong to the Scheduled Castes."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

---

* प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २३ अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

† २० अक्तूबर, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित नई धारा 17 की उपधारा (1) का भाग (xv) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित नई धारा 17 की उपधारा (1) के भाग (xvi) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(xvi) Representatives of the Registered Graduates to be elected according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote by the Registered Graduates from among such Registered Graduates as are not in the service of the University, a College, a Hostel or an Associated College and whose names have been on the Register of Graduates for at least three years."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित नई धारा 17 की उपधारा (1) के भाग (xix) को निम्नरूप में रख दिया जाय—

"(xix) Not more than seven persons by the Chancellor, one of whom shall be a member of the Management of an Associated College."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित नई धारा 17 की उपधारा (1) के भाग (xviii) को निकाल दिया जाय और भाग (xix) इसके स्थान पर पुनरंकित भाग (xviii) के रूप में रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की नई धारा 17 की उपधारा (1) के भाग (xix) में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"One of whom shall be a member of the Management of an associated college."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—मुझे एक निवेदन करना है कि जो मेरा संशोधन था और माननीय शिक्षा मंत्री ने जो श्यामलाल जी का संशोधन स्वीकार किया है वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरा था। तो जब मेरा संशोधन अस्वीकृत हो गया तो यह कैसे स्वीकार हो सकता है?

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि श्री अब्दुल मुईज खां वाला संशोधन गलत पास हो गया। मैं खड़ा हो गया था और आपने उसको पढ़ दिया।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—जी हां। मुईज खां साहब खड़े नहीं हुये थे और यह खड़े हुये थे . . . .

श्री अध्यक्ष—वह तो ठीक है, लेकिन बात यह है कि मैंने उस तरफ देखा कि वह नहीं खड़े हुये हैं लेकिन मैं यह समझता हूं कि डा० सीताराम साहब उधर किसी को खड़े होने के लिये कह रहे थे, वह नहीं खड़े हुये तो ये खड़े हो गये। तो मैं यह समझा कि आप उसको स्वीकार करते हैं और अब्दुल मुईज खां की तरफ से वह खड़े हुये। उस वक्त वह शायद यहां मौजूद नहीं थे।

श्री हरगोविन्दसिंह—वह मौजूद थे।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—(श्री अब्दुल मुईज खां से) उस वक्त आप मौजूद थे यहां?

श्री अब्दुल मुईज खां—जी हां। मैं यहां मौजूद था। मैं अपने संशोधन को पेश नहीं करना चाहता था और न मैंने उनको इसकी इजाजत दी कि वह पेश करें, तो क्या वह पेश कर सकते हैं?

श्री अध्यक्ष—अब तो सिर्फ यही हो सकता है कि सदन अगर चाहे और किसी को भी, एक को भी, कोई आपत्ति न हो तो उसको मैं दुबारा ले लूंगा। किसी को कोई आपत्ति है? (श्री जोरावर वर्मा के खड़े होने पर) क्या आपको आपत्ति है?

श्री जोरावर वर्मा—जी हां। मुझे आपत्ति इसलिये है कि मेरा संशोधन जो रिजेक्ट हो चुका था, वह बिलकुल वैसा ही था जैसा कि श्याम लाल जी का है।

श्री अध्यक्ष—जो बात आपने कही उसको तो मैं देख रहा हूं। उन दोनों का अर्थ एक ही है क्या? अगर एक ही है तो एक अगर रिजेक्ट हो गया तो दूसरा भी रिजेक्ट हो जाना चाहिये। आपका है खंड १३ में प्रस्तावित नई धारा १७ की उपधारा (१) के भाग (xix) को निम्नरूप में रख दिया जाय—

"(xix) Not more than seven persons by the Chancellor, one of whom shall be a member of the management of an Associated College. यानी Not more than seven persons to be appointed by the Chancellor की जगह

Not more than seven persons by the Chancellor, one of whom shall be a member of the Management of an Associated college. यह आपका है और दूसरा

Not more than seven persons to be appointed by the Chancellor one of whom shall be a member of the Management of an Associated College. तो यह टु बी एप्वाइंटेड उसमें और है।

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, वह छापे की गलती से हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप देख लीजिये कि उनका ऐक्चुअली वही संशोधन है।

श्री अध्यक्ष—बिलकुल वही होता तब जब उसमें 'टु बी एप्वाइंटेड होता'। लेकिन टु बी एप्वाइंटेड उसमें नहीं था। तो यह फर्क हो गया। इस वजह से अब वह अस्वीकार नहीं हो सकता है।

(कुछ ठहर कर)

श्री अब्दुल मुईज खां के संशोधन के बारे में मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या उसके ऊपर फिर से राय लेने के लिये सदन मुझे अनुमति देता है?

अनेक सदस्य—जी हां।

श्री अध्यक्ष—तो मैं फिर से राय ले लेता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित नई धारा 17 की उपधारा (1) के भाग (xviii) को निकाल दिया जाय और भाग (xix) उसके स्थान पर पुनरंकित भाग (xviii) के रूप में रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित नई धारा 17 की उपधारा (1) के भाग (xix) में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय :—

"Provided that out of persons so appointed by the Chancellor at least one person shall belong to the Scheduled Castes."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १४

यू० पी० ऐक्ट, ३, १९२१ की धारा १९ का संशोधन।

१४—मूल अधिनियम की धारा १९ में :—

(१) उपधारा (1) में शब्द "the acts of the Executive and Academic Councils (save when such councils have acted in accordance with the powers conferred upon them under this Act, the Statutes or the Ordinances)" के स्थान पर शब्द "such acts of Executive and Academic Councils as are not in accordance with this Act, the Statutes, or the Ordinances" रख दिये जांय।

(२) उपधारा (2) में निम्नलिखित खंड (e) के रूप में रख दिया जाय:

"(*e*) of considering and passing resolutions on any matter of general policy relating to University education and administration."

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड १४ के उपखंड (२) में प्रस्तावित खंड (e) के बाद खंड (f) निम्न रूप में जोड़ दिया जाय :

"(f) of making regulations laying down the procedure for its own meetings, etc."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४ के उपखंड (२) के पश्चात् नया उपखंड (३) निम्नलिखित रूप में बढ़ा दिया जाय:—

(३) उपधारा (२) में निम्नलिखित खंड (f) के रूप में रख दिया जाय—

"(f) of appointing auditors of the highest professional standing to audit annually the entire accounts of the University."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १४-क

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा २० का संशोधन ।

१४—क—मूल अधिनियम की धारा २० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"20. (1) The Executive Council shall be the executive body of the University and shall consist of:

(i) The Vice-Chancellor;

(ii) The Treasurer;

(iii) All Deans of Faculties;

(iv) One principal of a College or an Associated College, taking Office by rotation according to seniority;

(v) The person, if any, who, may be appointed by the Vice-Chancellor to look after the welfare and extra-curricular activities of the students of the University;

(vi) One representative of the Wardens and the Delegacy;

(vii) Two teachers of the University:

(viii) Six persons to be elected by such membes of the Court as are not in the service of the University, a College or an Associated College from among themselves according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote;

(ix) Persons equal in number to the Deans of Faculties to be nominated by the Chancellor.

(2) The manner of selection of the members under items (vi) and (vii) of sub-section (1) shall be prescribed by the Statutes.

(3) The term of Office of members other than *ex-officio* members shall be three years.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४-क के स्थान पर निम्नलिखत रख दिया जाय—

"१४-क—मूल अधिनियम की धारा २० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"20. (1) The Executive Council shall be the executive body of the University and shall consist of:—

(i) The Vice-Chancellor;

(ii) The Treasurer;

(iii) All Deans of Faculties;

(iv) One principal of a college, taking Office by rotation according to seniority:

(v) Proctor of the University;

(vi) One representative of the wardens and the delegacy selected by rotation according to seniority;

(vii) Four representatives of the teachers excluding Professors and Heads of Departments;

(viii) Four persons to be elected by members of the Court from among themselves according to the system of proportional representatio n by means of the single transferable vote;

Provided that no employee of the University shall be eligible for election;

(ix) Persons equal in number to the Deans of Faculties to be nominated by the Chancellor:

Provided that one of the nominees shall belong to the scheduled castes;

(2) Members under item (vii) of sub-section (1) shall be elected by the teachers themselves according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(3) The term of Office for members other than *Ex-officio* members shall be three years:

Provided that the elected members shall be eligible to hold Office for two periods, but thereafter shall not be eligible except after an interval of at least one year."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४–क में प्रस्तावित नई धारा 20 की उपधारा (1) के भाग (v) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"the Dean of Student Welfare."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४–क में प्रस्तावित नई धारा 20 की उपधारा (1) के भाग (vii) में शब्द "Two" के स्थान पर शब्द "Three" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड (१४–क) में प्रस्तावित धारा 20 की उपधारा (1) के भाग (viii) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(viii) five persons to be elected by such members of the Court as are not in the service of the University, a college or an Associated College, from among themselves according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote",

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४–क में प्रस्तावित नई धारा 20 की उपधारा (1) के भाग (viii) की पंक्ति १ में प्रथम शब्द "six" के स्थान पर शब्द "four" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड (१४–क) में प्रस्तावित नई धारा 20 की उपधारा (1) के भाग (viii) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय—

"Provided that one of the elected persons shall belong to the Scheduled Castes."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४–क में प्रस्तावित नई धारा 20 की उपधारा (1) के भाग (ix) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(ix) Persons less in number by one than the Deans of Faculties to be nominated by the Chancellor."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४–क में प्रस्तावित नई धारा 20 की उपधारा (1) के भाग (ix) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय—

"Provided that one of the nominees shall belong to the Scheduled Castes'

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४–क में प्रस्तावित नई धारा 20 की उपधारा (2) के अन्तिम शब्द "statutes" के बाद शब्द "so long as no appointment is made under clause (v) of sub-section (1) the Proctor shall be a member of the Executive Council" रख दिये जायं—

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४—क में प्रस्तावित नई धारा 20 की उपधारा (3) के अन्त में शब्द "No member shall hold Office for more than one term" जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १४—क इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १५

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा २१ का संशोधन।

१५—मूल अधिनियम की धारा २१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय।

'Powers and duties of the Executive Council.

21. (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Executive Council shall have the following powers and duties, namely—

(*a*) to hold, control and administer the property and funds of the University;

(*b*) to accept the transfer of any movable or immovable property on behalf of the University;

(*c*) to administer any funds placed at the disposal of the University for specific purposes;

(*d*) to prepare the budget of the University;

(*e*) to award fellowships, scholarships, bursaries, medals and other rewards in accordance with the Statutes and Ordinances;

(*f*) to appoint the Officers, teachers and other servants of the University, to define their duties and the conditions of their service and to provide, for the filling of casual vacancies in their posts;

(*g*) to appoint examiners and to direct the holding of examinations and publication of results;

(*i*) to arrange for and direct the inspection of Associated colleges, hostels and other places of residence of students;

(*j*) to direct the form and use of the Common Seal of the University;

(*k*) to regulate and determine all matters concerning the University in accordance with this Act, the Statutes and the Ordinances, and to exercise such other powers as may be conferred or imposed on it by this Act and the Statutes.

(2) The Executive Council shall appoint a committee (hereinafter called the Finance Committee) consisting of the Treasurer and four other persons from amongst its members out of whom not more than two shall be persons in the service of the University, to advise the Executive Council on matters relating to the administration of the property and funds of the University. The Treasurer shall be the chairman of the Finance Committee.

(3) The Executive Council shall not exceed the limits of recurring and non-recurring expenditure to be incurred in each financial year as determined by the Committee of Reference.

(4) The Executive Council shall not take any action in regard to the number, qualifications and emoluments of teachers and the fees payable to esaminers except after considering the advice of the Academic Council and the Faculties concerned.

(5) The Executive Council shall give due consideration to the resolutions of the Court and take such action thereon as it shall deem fit and report it to the Court. Where, in any case, the Executive Council is unable to take action in accordance with any resolution it shall inform the Court of its reasons therefor.

(6) The Executive Council may subject to conditions to be laid down in the Statutes delegate such of its powers as it deems fit to an Officer or Authority of the University.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १५ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) के भाग (*a*) को निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय—

"(*a*) to hold and control the property and funds of the University and issue any general directives in that behalf".

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १५ में प्रस्तावित नई धारा २१ की उपधारा (1) के भाग (*j*) के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"(*jj*) to entertain, adjudicate upon, and if it thinks fit, to redress any grievances of the Officers or the teachers, or the students of the University or its clerical or inferior staff who may, for any reason, feel aggrieved;

(*jjj*) to make such special or general arrangements as may be necessary for the residence, welfare and discipline of women students after consulting the women's Advisory Board,"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १६

१६—(१) मूल अधिनियम की वर्तमान धारा २२ की उपधारा (१) के रूप में संख्यांतरित किया जाय और अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य के रूप में बढ़ा दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा २२ का संशोधन।

"Provided that the number of members of the Academic Council shall not exceed fifty.

(२) मूल अधिनियम की उक्त धारा में निम्नलिखित उपधारा (2) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"There shall be a Standing Committee of the Academic Council. The consitution, powers and functions of the Committee shall be prescribed by the Statutes."

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित खंड १६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा २२ का संशोधन।

"१६-(१) मूल अधिनियम की वर्तमान धारा २२ को उपधारा (१) के रूप में संख्यांतरित किया जाय और अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य के रूप में बढ़ा दिया जाय--

'Provided that the number of members of the Academic Council shall not exceed fifty.

(२) मूल अधिनियम की उक्त धारा में निम्नलिखित उपधारा (२) के रूप में बढ़ा दिया जाय--

There shall be a Standing Committee of the Academic Council. The constitution, powers and functions of the Committee shall be prescribed by the Statutes."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १६ के प्रतिबन्ध में अंतिम शब्द 'fifty' के स्थान पर शब्द 'sixty' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १६ का उपखंड (२) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १७

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा २३ का संशोधन।

१७---मूल अधिनियम की वर्तमान धारा २३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

'The Committee of Reference.

23. (1) The Committee of Reference shall consist of—

(i) the Vice-Chancellor;

(ii) the Treasurer;

(iii) three members of the Court, none of whom shall be an employee of the University or a member of the Executive Council, to be elected by the Court according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote;

(iv) two persons to be nominated by the State Government.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairman and the Registrar shall be the Secretary of the Committee.

(3) The Committee of Reference shall, having regard to the income and resources of the University, fix limits for the total recurring and total non-recurring expenditure for the ensuing year, and shall perform such other functions as may be prescribed by this Act or the Statutes.

(4) The Committee of Reference may, for any special reason, revise, during the financial year, the limits of expenditure fixed by it under sub-section (3)."

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १७ में प्रस्तावित नई धारा २३ की उपधारा (1) के भाग (iii) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:---

"(iii) five members of the Court, elected by it according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote;

Provided that no member so elected shall be an employee of the University or a member of the Executive Council;

Provided further that one of the members so elected shall belong to the Scheduled Castes."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १७ में प्रस्तावित धारा 23 की उपधारा (1) के भाग (iii) की दूसरी पंक्ति में शब्द "University" और शब्द "or" के बीच में शब्द "a College, an Associated College or a hostel" जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १७ में प्रस्तावित नई धारा 23 की उपधारा (i) के भाग (iv) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"(iv) Two representatives of the Universities Grants Committee."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १८

१८---मूल अधिनियम की वर्तमान धारा २४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा २४ संशोधन।

"The Faculties 24. (1) The University shall include such Faculties as may be prescribed by the Statutes.

(2) Each Faculty shall comprise such Departments of teaching as may be prescribed by the Statutes. Subjects of study shall be assigned to various Departments by the Ordinances.

(3) There shall be a Board of each Faculty the constitution and powers of which shall be prescribed by the Statutes.

(4) There shall be a Dean of each Faculty who shall be the Head of a Department of teaching in the Faculty chosen with due regard to seniority in such manner and for such period as may be prescribed by the Statutes.

(5) The Dean shall be the Chairman of the Board of the Faculty and be responsible for the due observance of the Statutes, Ordinances and Regulations relating to the Faculty. He shall be further responsible for the organization and conduct of the teaching and research work of the Departments comprised in the Faculty.

(6) There shall be a Head in each Department of teaching who shall be responsible to the Dean for the organization of the teaching in the Department. The senior most Professor of a Department shall be the Head of the Department, and where there is no Professor in a Department, the senior most Reader thereof shall be the Head.

(7) The duties, powers and functions of the Heads of Departments shall be prescribed by the ordinances."

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १८ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा २४ में निम्नलिखित को उपधारा (8) के रूप में रख दिया जाय---

"(8) There shall be established Committees of Courses and Studies each in respect of one or more subjects of study. The constitution of the Committees shall be prescribed by the Ordinances."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १८ इस विधेयक का अंग माना जाय---

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १९

१९---मूल अधिनियम की धारा २७ की उपधारा (1) में शब्द "a Residence Health and Discipline Board, a Muslim Advisory Board and such other" के स्थान पर शब्द "such" रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा २७ का संशोधन।

"१९---मूल अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (1) में शब्द "a Residence, Health and disciption Board, a Muslim Advisory Board and such other" के स्थान पर शब्द 'a Board of Student Welfare and such other" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १९---क

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ में एक नई धारा १९---क का बढ़ाया जाना।

१९---क---मूल अधिनियम की धारा 27 के पश्चात् निम्नलिखित धारा २८ के रूप में रख दिया जाय---

"Manner of appointment of officers and members of Authorities.

28. (1) Save, where expressly provided to the cnotrary, Officers and members of the authorities of the University shall chosen in the manner pres cribed by the statutes.

(2) Where provision is made in this Act for an election, such election shall be conducted according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote, and where such provision is made in a Statute it shall be held in the manner prescribed by the Statutes.

(3) Where provision is made in this Act or the Statutes for any appointment by rotation or according to seniority or other qualification, the manner of rotation and determination of seniority and other qualification shall be prescribed by the Statutes."

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १९—क में प्रस्तावित मूल अधिनियम की नयी धारा २८ की उपधारा (१) निम्नलिखित रूप में रख दी जाय—

"(1) Save where expressly provided to the contrary, Officers and Members of the authorities of the University shall, as far as may be, chosen by methods other than election."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १९—क में प्रस्तावित नयी धारा 28 की उपधारा (2) जो रेखांकित है के स्थान पर उपधारा (2) जो ब्रेकेट में है रख दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १९—क में प्रस्तावित नयी धारा 28 की उपधारा (3) के बाद एक नयी उपधारा (4) निम्नलिखित रूप में बढ़ा दी जाय:—

"(4) Where provision is made in this Act or the Statutes for nominations by the Chancellor or the State Government or any Officer or Authority of the above to give adequate representation to the Schedule Caste while making such nominations."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १९—क इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २०

२०—मूल अधिनियम की धारा २९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा २९ का संशोधन।

"Teachers. 29. (1) Subject to the provisions of this Act, and except as provided in sub-section (3), the teachers of the University and the Associated Colleges shall be appointed by the Executive Council or the Management of the Associated College, as the case may be, on the recommendation of the Selection Committee in such manner as may be prescribed by the Statutes.

(2) Every teacher appointed under sub-section(1) shall, in the first instance, be on probation for such period as may be prescribed by the Statutes and he shall not be confirmed;

(*a*) If he is a teacher of the University except by the order of the Executive Council after considering the reports of the Vice-Chancellor and the Head of the Department and the Dean concerned, and

(*b*) If he is a teacher of an Associated College, except by the order of the Management after considering the reports of the senior teacher of the subject and the Principal of the College.

(3) The Excutive Council or the Management, as the case may be, may make Officiating appointments in a vacancy caused by the grant of leave to an incumbent for a period not exceeding ten months without reference to the Selection Committee but shall not fill any other vacancy or post likely to last for more than six months without such reference."

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २० में प्रस्तावित नयी धारा 29 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"(1) Subject to the provisions of this Act, and except as provided in sub-section (3) the teachers of the University shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of the Selection Committee in such manner as may be prescribed by the statutes."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २० में प्रस्तावित नयी धारा 29 की उपधारा (2) के स्थान पर नयी उपधारा (2) निम्नरूप में रख दी जाय---

"(2) Every teacher appointed under sub-section (1) shall, in the first instance, be on probation for such period as may be prescribed by the Statutes and he shall not be confirmed or be allowed to pass the efficiency-bar, except on the recommendations of the Selection Committee concerned in such manner as may be prescribed by the Statutes."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २० में प्रस्तावित नई धारा 29 की उपधारा (3) जो रेखांकित है के स्थान पर उपधारा (3) जो ब्रैकेट में है रख दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २० में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा 29 में निम्नलिखित को उपधारा (4) के रूप में रख दिया जाय:--

"(4) Principals and teachers other than teachers referred to in sub-section (1) shall be appointed by the authorities and in the manner to be prescribed by the Statutes."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २० में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा 29 में निम्नलिखित नई उपधारा (4) के रूप में जोड़ दी जाय--

"(4) There shall be a Selection Committee for appointment of teachers in each subject of study. The constitution, powers and functions of the Selection Committees and the procedure to be followed in making appointments shall be prescribed by the Statutes."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २१

यू० पी० ऐक्ट ३ १९२१ में एक नई धारा का बढाया जाना।

२१---मूल अधिनियम की धारा २९ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा 29-A के रूप में बढा दी जाय--

"The Selection Committees.

29-A. (1) There shall be a Selection Committee for appointment of teachers in each subject of study consisting of—

(i) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairman;

(ii) The Dean of the Faculty concerned ;

(iii) two experts ;

(iv) the Head of the Department concerned except where he is a candidate for the appointment ;

(v) two members of the Executive Council, not being teachers, to be chosen by the Council according to system of proportional representation by means of the single transferable vote, provided that the same two members may serve on more than one Committee or on all Committees ; and

(vi) the Prinicpal and one representative of the Management of the College, where the appointment is to be in an Associated College.

(2) The experts referred to in sub-clause (iii) of sub-section (1) shall be appointed by the Chancellor out of a panel prepared under sub-section(3).

(3) For the purpose of preparing the panel of experts the Chancellor shall obtain from such Universities established by law in India and such research institutes and learned societies as he may deem fit, the names of experts in the particular subject and all names so obtained shall be included in the panel. The panel shall, unless the Chancellor directs otherwise, be revised after every two years.

(4) Where the Selection Committee has recommended the name of a person for appointment as teacher and the recommendation is supported by a majority of the members of the Committee including two experts, the Executive Council, or as the case may be the Management shall either accept the recommendation or refer the case to the Chancellor with its comments.

(5) Where in any case a Selection Committee has recommended the name of a person and the recommendation is supported by a majority of the members of the Committee but not by at least two experts, the Executive Council or the Management, as the case may be, shall refer the case to the Chancellor, with its own recommendation and the opinion of the experts.

Explanation.—For the purpose of sub-sections (4) and (5) the Head of the Department if he is a member shall be deemed to be an expert.

(6) Where a refernce has been made to the Chancellor under sub-section (4) or (5), the Chancellor shall be free to appoint such person as he considers suitable ;

(7) The Selection Committee shall subject to availability of suitable candidates, recommend more than one person against each vacancy and place their names in the order of preference. It shall not be open to the Executive Council or the Management, as the case may be, to depart from the order in which the names are recommended"

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, यदि आप ५२ गग पर जो संशोधन है उसको पहले ले लें तो यह २१ खंड के जितने संशोधन हैं वह अपने आप निकल जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष—निकल जाने का संशोधन तो नहीं हो सकता है । यह हो सकता है कि उसका विरोध किया जाय ।

श्री हरगोविन्द सिंह—सेलेक्शन कमेटी के बारे में संशोधन स्वीकार हो चुका है । इसलिये इस २१ खंड की आवश्यकता नहीं है । उसको निकालने की जरूरत है ।

श्री अध्यक्ष—यह नहीं हो सकता है। मैं उसको मूव करता हूं तो उसको अपोज किया जाय तो वह स्वयं गिर जायगा।

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—यदि इस प्रकार का प्रस्ताव पेश किया जाय कि आपको खड़े होने की आवश्यकता नहीं है और बैठे-बैठे ही यह कार्यवाही करते रहें तो यह अनुचित तो नहीं होगा?

श्री अध्यक्ष—मैं वैसे ही कर देता हूं यदि आपकी इच्छा है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २१ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

खंड २२ और २३

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ३० का संशोधन।

२२—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ३० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Statutes. 30. Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for any matter relating to the University and shall, in particular, provide for the following—

(*a*) the consitution, powers and duties of the Authorities and Boards of the University;

(*b*) the election, appointment and continuance in office of the members of the said Authorities and Boards of the University and the filling of vacancies and all other matters relative to those Authorities and Boards for which it may be necessary or desirable to provide;

(*c*) the institution and maintenance of colleges and hostels;

(*d*) the designation, manner of recruitment, powers and duties of the officers of the University;

(*e*) the classification and the manner of recuritment of teachers;

(*f*) the constitution of a provident fund and the establishment of an insurance scheme for the benefit of officers, teachers and other employees of the University;

(*ff*) the institution of degrees and diplomas;

(*g*) the conferment of honorary degrees;

(*h*) the withdrawal of degrees, diplomas, and other academic distinctions;

(*i*) the conditions on which an institution may be granted recognition as an Associated College and be liable to the withdrawal of such recognition;

(*j*) the establishment, combination, sub-division and abolition of Faculties;

(*k*) the establishment of departments of teaching in the Faculties;

(*l*) the maintenance of a Register of Registered Graduates;

(*m*) the holding of Convocation;

(*n*) the institution of fellowships, scholarships, bursaries, medals and prizes, and

(*o*) all other matters which are required by this Act to be provided for by the Statutes."

२३--मूल अधिनियम की धारा ३१ की उपधारा (4) में शब्द "Court" और "it" के बीच के शब्द "returned thereto" निकाल दिये जायं । यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ३१ का संशोधन ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २२ और २३ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २४

२४--मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ३२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :-- यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ३२ का संशोधन ।

"Ordinances. 32. (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for any matter permitted by this Act or the Statutes to be provided for by Ordinances for any other matter, which the Executive Council considers it advisable to provide for by Ordinances.

(2) Without prejudice to the generality of the power conferred by sub-section (1), the Ordinances shall provide for the following matters, namely—

(*a*) the admission of students to the University and their enrolment and continuance as such ;

(*b*) the courses of study to be laid down for all degre and diplomas of the University ;

(*c*) the conditions under which students shall be admitted to the degree, diploma, or other courses and to the minations of the University, and shall be eligible for the awar of degrees and diplomas ;

(*d*) the conditions of residence of the students of the University and the levying of fees for residence in Colleges and Hostels maintained by the University ;

(*e*) the recognition of colleges and hostels not maintained by the University ;

(*f*) the number, qualifications, emoluments and the other conditions of service (including the age of retirement) of teachers and salaried officers of the University; and the preparation and maintenance of record of their service and activities ;

(*g*) the fees which may be charged by the University for any purpose ;

(*h*) the conditions subject to which persons may be recognised as qualified to give instruction in colleges and hostels ;

(*i*) the conditions and mode of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;

(*j*) the conduct of examinations;

(*k*) the remueration and allowances, including travelling and daily allowances, to be paid to persons employed on the business of the University ;

(*l*) the conditions of the award of fellowhips, scholarships, studentships, bursaries, medals and prizes ;

(*m*) all other matters which by this Act or by the Statutes are required to be or may be provided for by the Ordinances."

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २४ में प्रस्तावित नयी धारा 32 की उपधारा (2) के भाग (f) की पंक्ति १ में शब्द 'number' निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २४ में प्रस्तावित नयी धारा 32 की उपधारा (2) के भाग (f) के अंतिम शब्द 'activities' के पहले शब्द 'academic and extra-curricular' बढ़ा दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २४ में प्रस्तावित नयी धारा 32 की उपधारा (2) के भाग (f) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय :--

"Provided that the existing grades of the Lecturers and the Readers of the University shall be reconstituted to form a single grade, the scale of pay for which shall broadly correspond to that of Deputy Collectors in the U. P. Civil Service, subject to an efficiency bar for a lecturer to get the emoluments of a Reader."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २४-क

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ में एक नई धारा का बढ़ाया जाना ।

२४-क--मूल अधिनियम की धारा ३३ की उपधारा (1) में निम्नलिखित तथा खंड (e) के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"(*e*) affecting the income or expenditure of the University unless a draft of such ordinance has been submitted to the State Government and the State Government does not object."

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २४-क इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २४-ख

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २४-क के पश्चात् नया खंड २४-ख निम्नरूप में रख दिया जाय--

"२४-ख--मूल अधिनियम की धारा ३४ की उपधारा (३) के बाद दूसरा प्रतिबन्धात्मक वाक्य निम्न रूप में जोड़ दिया जाय--

"Provided further that this sub-section would not apply to any regulations made by the Court under sub-section (1)."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २५ और २६

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ३४ का संशोधन

२५--मूल अधिनियम की धारा ३४ की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा (4) के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"(4) The Academic Council may, subject to the provisions of the Ordinances, make Regulations providing for courses of study for the various examinations and degrees of the University after receiving drafts of the same from the Board of the Faculty concerned.

"The Academic Council may not alter a draft received from the Board of Faculty but may reject the draft received or return it to the Board of Faculty for further consideration together with its own suggestions."

२६- —मूल अधिनियम की धारा ३६ में—

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ३६ का संशोधन।

(१) उपधारा (३) में शब्द "any member of the Residence, Health and Discipline Board, authorised in this behalf by the Board or by any authority or officer of the University authorised in this behalf by the Executive Council" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"such persons as may be authorised in that behalf by the Statutes or the Executive Council."

(२) उपधारा (४) में शब्द "Management" के पहले आये हुये शब्द "Committee of" निकाल दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २५ और २६ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २७

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ में एक नई धारा का बढ़ाया जाना।

२७—मूल अधिनियम की धारा ३६ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारायें 36–A और 36–B के रूप में बढ़ा दी जायं—

"Associated colleges.

36-A. (1) Associated Colleges shall be such as may be named by the Statutes.

(2) It shall be lawful for an Associated College to make arrangements with any other Associated College or colleges or with the University for co-operation in the work of teaching.

(3) The conditions of recognition of an Associated College shall be such as may be prescribed by the Statues or imposed by the Executive Council but no Associated College shall be authorised to impart instruction for post-graduate degrees.

(4) Except as provided by this Act, the management of an Associated College shall be free to manage and control of the affairs of the college and be resoponsible for its maintenance and up-keep. The Principal of every such College shall be responsible for the due maintenance of discipline in it.

(5) An Associated College shall be inspected at intervals of not more than three years in the manner prescribed by the Statutes and a report of the inspection shall be made to the Executive Council.

(6) The recognition of an Associated College may, with the previous sanction of the Chancellor, be withdrawn by the executive Council if it is satisfied, after considering any explanation furnished by the management, that it has ceased to fulfil the conditions of its recognition or that it persists making default in the performance of its duties under this Act or in the removal of any defects in its work pointed out by the Executive Council.

6-B. There shall be a Delegacy to supervise the arrangements relating to the residence, health and welfare of students of the University not residing in or under the care of any college or hostel. The constitution, powers and duties of the Delegacy shall be prescribed by the Statutes.

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २७ में प्रस्तावित नई धारा 36--A की उपधारा (1) की पंक्ति २ में शब्द "Statutes" के बाद शब्द "and shall not exceed four in number" बढ़ा दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २७ में प्रस्तावित नई धारा 36--A की उपधारा (3) की पंक्ति ३ से ४ में शब्द "or imposed by the Executive Council" निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २७ में प्रस्तावित नई धारा 36-A की उपधारा (6) की पंक्ति १ से २ में शब्द "with the previous sanction of the Chancellor" निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २७ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २८, २९ और २९-क

य० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ३७ का संशोधन ।

२८---मूल अधिनियम की धारा ३७ में उपधारायें (2) और (3) निकाल दी जायं और निम्नलिखित नई उपधारायें (4) और (5) के रूप में बढ़ा दी जायं :---

(4) Any student whose work is unsatisfactory may be removed from the University or an Associated College in accordance with the provisions of the Ordinances.

(5) The University shall not, save with the previous sanction of the Chancellor recognise for the purpose of admission to a course of study for a degree any degree conferred by any other University or as equivalent to the Intermediate examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh, any examination conducted by any other authority."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ३८ का संशोधन ।

२९---मूल अधिनियम की धारा ३८ में---

(१) उपधारा (1) के अन्त में शब्द "in the manner prescribed by the Statutes" बढ़ा दिये जायं ।

(२) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:---

"(3) At least one person not employed in the University, an Associated College, or a College shall be appointed examiner for each subject prescribed for a degree."

(३) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:---

"(4) The Board of each Faculty shall appoint an Examination Committee for every subject assigned to the Faculty. The Committee shall consist of such persons as the Board may,

subject to the approval of the Academic Council, appoint from among its own members or from outside. The Committee shall have power to moderate question papers set for examination, review the quality of the work submitted by candidates for examination, report on the standard of attainment and make recommendations in regard to any of these matters. Any review, report or recommendation made by the Committee shall be laid before the Academic Council for its consideration.'

(४) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा (5) के रूप में रख दिया जाय।

"(5) Every person appointed as examiner shall, as a condition of appointment, agree that he will not undertake examination work in excess of the limits laid down in the Ordinances."

२९—क—मूल अधिनियम की धारा ३९ में शब्द "to the Executive Council" के पश्चात् आने वाले निम्नलिखित शब्द निकाल दिये जायं—

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ३९ का संशोधन।

"Which shall take such action as it thinks fit and the Executive Council shall inform the Court of the action taken by it and, where no action is taken, of its reasons therefor."

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २८, २९ और २९-क इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३०

३०—मूल अधिनियम की धारा ४० में—

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ४० का संशोधन।

(१) उपधारा (१) और (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council, and all monies accruing to or received by the University from whatever source and all amounts disbursed or paid shall be entered in the accounts.

(1-A) A copy of the accounts and the balance sheet shall be submitted to the State Government which shall cause an audit to be carried out by auditors of high standing.

(2) The accounts when audited shall be printed and copies thereof shall together with copies of the audit report be submitted by the Executive Council to the Court and the State Government."

(२) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (2-A) और (2-B) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

(2-A) It shall be lawful for the State Government to require any person who is found to have spent or authorised the expenditure of funds in excess of the amounts provided in the budget or in violation of any provision of this Act, the Statutes or the Ordinances, to reimburse the amount so spent and the State Government may take all such steps as may be deemed necessary :

Provided that the State Government shall before requiring any person as aforesaid give him a reasonable opportunity of making a representation.

(2-B) उपधारा (6) में शब्द 'Executive Council' के पश्चात् आने वाले निम्नलिखित शब्द निकाल दिये जायं---

"Which shall take them into consideration, and take such action thereon as it thinks fit, or inform the Court, when no action is taken, of its reasons therefor."

(३) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (7) के रूप में रख दिया जाय :---

"(7) Except in so far as such expenditure is incurred out of funds, accruing under clause (*c*) of sub-section (1) of Section 21, it shall not be lawful for the Vice-Chancellor or the Executive Council to incur any expenditure not sanctioned in the Budget."

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३० के उपखंड (१) में प्रस्तावित उपधारा (२) के अंतिम शब्द "Executive Council to the Court and the State Government" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"Auditors to the Executive Council, which shall forward it to the Court and the State Government with its comment thereon."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३० के उपखंड (2) को निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय :---

"(२) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (2-A) के रूप में रख दिया जाय ।

"(2-A) It shall be lawful for the State Government to require any person who is found to have spent or authorised the expenditure of funds in excess of the amounts provided in the budget or in violation of any provision of this Act, the Statutes or the Ordinances, to reimburse the amount so spent and the State Government may take all such steps as may be deemed necessary :

Provided that the State Government shall before requiring any person as aforesaid give him a reasonable opportunity of making a representation."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३० के उपखंड (२) द्वारा प्रस्तावित नई उपधारा (2-A) निकाल दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३० के उपखंड (२) के अन्तर्गत मूल अधिनियम की धारा 40 की प्रस्तावित उपधारा (2-B) को खंड ३० के उपखंड (2-अ) के रूप में अंकित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३० विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३१

३१--मूल अधिनियम की धारा ४२ में शब्द "body of the University" और शब्द "the matter" के बीच में निम्नलिखित रख दिया जाय--

"or whether any decision of the University or any Authority thereof is in conformity with this Act, the Statutes and the Ordinances."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ४२ का संशोधन।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३१ निम्न रूप में रख दिया जाय:--

"३१--मूल अधिनियम की धारा ४२ में शब्द "Chancellor" के बाद के शब्द निकाल दिये जायं तथा उनके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

'Who shall, if he thinks necessary appoint a judicial committee of three persons to be nominated by him to advise him on points of law and the Chancellor's decision on the matter in dispute shall be final.,"

जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हैं वे कृपया "हां" कहें और जो विपक्ष में हैं वे कृपया "नहीं" कहें।

"नहीं" की संख्या अधिक है और यह संशोधन गिर गया।

(विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी और इस बीच में निम्नलिखित कार्यवाही हुई--)

श्री अब्दुल मुईज खां--अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। अगर किसी प्रश्न पर 'हां' कहने वाले तो हों और 'नहीं' कहने वाले न हों या 'नहीं' कहने वाले हों और 'हां' कहने वाले न हों तो ऐसी सूरत में क्या डिवीजन चैलेंज हो सकता है?

श्री अध्यक्ष--इस वक्त तो यह प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि मैं यह मानकर चला हूं कि "हां" की आवाज उठाई गई थी लेकिन अगर न भी उठी हो फिर भी यह प्रश्न उठाना व्यर्थ होगा, क्योंकि डिवीजन मांगने का जो राइट है वह कोई भी प्रथम मतदान "हां" या 'नहीं' की आवाज पर चैलेंज कर सकता है चाहे "हां" कहा गया हो या 'नहीं' कहा गया हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३१ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३२, ३३, ३४, ३५ और ३६

३२--मूल अधिनियम की धारा ४४ में निम्नलिखित उपधारा (2) के रूप में बढ़ा दिया जाय और वर्तमान धारा की उपधारा (1) के रूप में पुनः परिगणित कर दिया जाय।

यू०पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ४४ का संशोधन।

"(2) A person who is a member of an Authority of the University as a representative of another body, whether of the University or outside, shall retain his seat on the University Authority so long as he continues to be member of the body by which he was appointed or elected and thereafter till his successor is duly appointed."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ४५ का संशोधन ।

३३—मूल अधिनियम की धारा ४५ में शब्द "members" के पश्चात् निम्नलिखित रख दिया जाय—

"or by reason of some person having taken part in the proceedings who is subsequently found not to have been entitled to do so."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ४७ का संशोधन ।

३४—मूल अधिनियम की धारा ४७ में शब्द "Indian Arbitration Act, 1899" के स्थान पर शब्द "Arbitration Act, 1940 (Act X, 1940)" रख दिये जायं ।

संक्रमणकालीन उपबंध

३५—मूल अधिनियम, परिनियमों (Statutes) या अध्यादेशों (Ordinances) में किसी बात के होते हुये भी इलाहाबाद युनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ (जिसे यहां पर आगे चल कर "संशोधन अधिनियम" कहा गया है) के प्रारम्भ के ठीक पूर्व पदासीन अथवा संगठित निर्वाचित अधिकारी अथवा प्राधिकारी का कार्यकाल इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तदनुरूप (corresponding) अधिकारी अथवा प्राधिकारी के नियुक्त, निर्वाचित अथवा संगठित किये जाने पर समाप्त हो जायगा ।

३६—मूल अधिनियम अथवा संशोधन अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी संशोधन अधिनियम के प्रचलित होने के पश्चात् चांसलर किसी भी समय किसी व्यक्ति को वाइसचांसलर नियुक्त कर सकता है और ऐसी नियुक्ति के लिये धारा ११ में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करना आवश्यक नहीं होगा । इस प्रकार नियुक्त वाइसचांसलर संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन वाइसचांसलर के सभी अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों और कृत्यों का सम्पादन करेगा और एक वर्ष तक अपने पद पर रहेगा । परन्तु यदि आवश्यकता प्रतीत हो तो चांसलर अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकता है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३२, ३३, ३४, ३५ और ३६ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड—३७

३७—संशोधन अधिनियम के सरकारी गजट में प्रथम प्रकाशन के पश्चात् किसी भी समय राज्य सरकार के लिये वैध होगा कि वह इस संबंध में ऐसा कोई भी कार्य करे, जो संशोधित मूल अधिनियम के अनुसार यूनिवर्सिटी के प्राधिकारियों के उचित संगठन के लिये सामान्यतः आवश्यक हो जिसके अन्तर्गत परिनियमों (Statutes) का बनाना भी है और ऐसे परिनियमों के प्रचलित होने (coming into force) के दिनांक निश्चित करे ।

इस धारा द्वारा प्राप्त अधिकारों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा बनाये गये परिनियम (Statutes) उस समय तक प्रचलित रहेंगे, जब तक कि संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन, कोई बात या कोई कार्य करके उन्हें अधिक्रांत (supersede) न कर दिया जाय ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, क्या यह संशोधन डाक्टर सीताराम के संशोधन के संबंध में है । खंड ३७ पहले से मौजूद है, जब तक उसको सब्स्टीट्यूट न किया जाय तब तक यह संशोधन आउट आफ आर्डर है । एजेंडे में ऐसा कुछ लिखा नहीं है उसके स्थान में रख दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—(डाक्टर सीताराम से) यह आपको लिखना चाहिये था। इसको संशोधन के रूप में पेश कर दें।

(डाक्टर सीताराम के खड़े न होने पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी—आपको मालूम नहीं है।

श्री अध्यक्ष—क्या यह धारा ३७ पहले से मौजूद है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, पहले से मौजूद है।

श्री हरगोविन्दसिंह—जी हां, खंड ३७ पहले से मौजूद है। इसमें ऐसा नहीं है। इसको इस लिये इसके स्थान पर रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—यह इसमें लिखना चाहिये था कि इस तरह से यह संशोधन फलां खंड के स्थान में रख दिया जाय।

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तावित खंड ३७ के स्थान पर निम्नलिखित रूप से खंड ३७ रख दिया जाय:—

"३७—सरकारी गजट में संशोधन अधिनियम के प्रथम प्रकाशन के बाद राज्य सरकार के लिये किसी भी समय यह वैध होगा कि वह—

(१) सामान्यतः निम्नलिखित के लिये कोई भी कार्य करे, जिसके अन्तर्गत परिनियमों (Statutes) का बनाना भी होगा :—

(क) संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अनुसार यूनिवर्सिटी के प्राधिकारियों का विधिवत् संघटन कराना;

(ख) संशोधित अधिनियमों में निर्दिष्ट उपबन्ध के न होने की दशा में, उक्त प्राधिकारियों के अधिकारों और कृत्यों (Powers and Functions) को विनिश्चित अथवा पुनः विनिश्चित करना, और

(२) उक्त परिनियमों के प्रचलित होने के लिये दिनांक को निश्चित करे।

इस धारा द्वारा प्राप्त अधिकारों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा बन गये परिनियम (Statutes) उस समय तक प्रचलित रहेंगे, जब तक कि संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कोई बात या कोई कार्य करके उन्हें अधिक्रांत (supersede) न कर दिया जाय।"

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्तावित खंड ३७ के स्थान पर निम्नलिखित रूप से खंड ३७ रख दिया जाय—

"३७—सरकारी गजट में संशोधन अधिनियम के प्रथम प्रकाशन के बाद राज्य सरकार के लिये किसी भी समय यह वैध होगा कि वह—

(१) सामान्यतः निम्नलिखित के लिये कोई भी कार्य करे, जिसके अन्तर्गत परिनियमों (statutes) का बनाना भी होगा :—

(क) संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार युनिवर्सिटी के प्राधिकारियों का विधिवत् संघटन कराना;

(ख) संशोधित अधिनियमों में निर्दिष्ट उपबन्ध के न होने की दशा में, उक्त प्राधिकारियों के अधिकारों और कृत्यों (powers and Functions) को विनिश्चित अथवा पुनः विनिश्चित करना, और

(२) उक्त परिनियमों के प्रचलित होने के लिये दिनांक को निश्चित करे।

श्री अध्यक्ष]

इस धारा द्वारा प्राप्त अधिकारों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा बनाये गये परिनियम (statutes) उस समय तक प्रचलित रहेंगे, जब तक कि संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन, कोई बात या कोई कार्य करके उन्हें अधिक्रांत (supersede) न कर दिया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं जरा एक बात पूछना चाहता हूं ऐक्ट तो अंग्रेजी में है लेकिन यह संशोधन हिन्दी में क्यों आया है ?

श्री अध्यक्ष—नहीं, यह खंड हिन्दी में ही है।

(एक क्षण के अनन्तर)

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३८

३८—(१) राज्य सरकार मूल अधिनियम के उपबन्धों से संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित उक्त अधिनियम के उपबन्धों के प्रति विशेषकर संक्रमण से सम्बद्ध कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन से सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके—

(क) आदेश दे सकती है कि उपर्युक्त प्रकार से संशोधित उक्त मूल अधिनियम उस कालावधि में जिसे आज्ञा में निर्दिष्ट किया जाय, परिष्कार (modification) परिवर्धन अथवा लोप (omission) के रूप में किये गये ऐसे अनुकलनों के अधीन जिन्हें वह आवश्यक अथवा उचित समझे, प्रभावशील होगा; या

(ख) आदेश दे सकती है कि संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर उस समय तक जब तक कि उपर्युक्त सरकार से संशोधित मूल अधिनियम के अधीन और अनुसार यूनिवर्सिटी प्राधिकारी संगठित अथवा नियुक्त न किये जायं, यूनिवर्सिटी के ऐसे प्राधिकारियों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले अधिकार अथवा सम्पादित किये जाने वाले कर्तव्य और कृत्य संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व के दिनांक पर स्थापित तदनुरूप प्राधिकारियों द्वारा प्रयुक्त अथवा सम्पादित किये जायेंगे, या

(ग) आदेश दे सकती है कि संशोधित अधिनियम के प्रचलित होने के ठीक पूर्व के दिनांक पर प्रचलित कोई परिनियम (Statute) अध्यादेश या विनियम (Regulation) ऐसे परिवर्तनों, परिष्कारों, परिवर्धनों और लोपों (omissions) के अधीन, जैसा कि वह उचित और आवश्यक समझे, उस समय तक आगे भी प्रचलित रहेंगे जब तक कि संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कोई बात या कार्य करके उसे अधिक्रांत न कर दिया जाय, या

(घ) ऐसी कोई कठिनाई दूर करने के प्रयोजन से ऐसे अन्य अस्थायी उपबन्ध बना सकती है, जिन्हें वह आवश्यक अथवा उचित समझे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से बारह मास के पश्चात् ऐसी कोई आज्ञा न दी जायेगी।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गयी किसी आज्ञा पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आक्षेप नहीं किया जायेगा कि उक्त उपधारा में अभिदिष्ट कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसे दूर करने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर सर। यह जो खंड ३८ है उसकी धारा १ की उपधारा (ग) जो है वह बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि अभी खंड ३७ की नयी धारा के अंतिम पैरा में पास की गई है। यह यहां पर दोबारा दोहरा दी गई है। इसको यहां से हटा दिया जाय।

श्रीमन्, आप देखिये कि ३८ का (ग) इस प्रकार है :—

(ग) आदेश दे सकती है कि संशोधित अधिनियम के प्रचलित होने के ठीक पूर्व के दिनांक पर प्रचलित कोई परिनियम (Statute) अध्यादेश या विनियम (Regulation) ऐसे परिवर्तनों, परिष्कारों, परिवर्धनों और लोपों (omission) के अधीन जैसा कि वह उचित और आवश्यक समझे, उस समय तक आगे भी प्रचलित रहेंगे जब तक कि संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कोई बात या कार्य करके उसे अधिक्रांत न कर दिया जाय या तो यह तो बिल्कुल वही है जो कि ३७ के अंत में अंतिम परिच्छेद में हम स्वीकार कर चुके हैं।

श्री हरगोविन्दसिंह—इसमें एक स्टैट्यूट मेकिंग पावर है और दूसरी रिमूवल आफ डिफिकल्टीज के बारे में है।

श्री अयध्क्ष—तो यह आउट आफ आर्डर नहीं है।

प्रश्न यह है कि खंड ३८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४

यू० पी० ऐक्ट, ३, १९२१।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ को संशोधित करना आवश्यक है। अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा।

(२) यह ऐसे दिनांक पर प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में इस संबंध में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बजकर २० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री हरगोविन्दसिंह—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है पारित किया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मुझे इस बात का दुःख है कि इस सदन को इस बात का पूर्ण अवसर प्राप्त न हो सका कि आज जो कुछ महत्वपूर्ण संशोधन प्रातःकाल हुए हैं, उनके विषय पर कुछ विचार व्यक्त हो सकते। सेलेक्ट कमेटी ने जिस प्रकार इस विधेयक को सदन के सामने रखा था, उस पर मेरे विचार में महत्वपूर्ण संशोधन इस सेकिन्ड रीडिंग के दर्मियान हुए हैं।

पहले तो जिसको मैं प्रमुख महत्व देता हूं वह सेलेक्शन कमेटी को अब स्टैटयूट्स में रखे जाने के बारे में है और उसको आज ही सुबह जल्दी जल्दी में मंजूर किया है। यह बात सही है कि सदन के भारी बहुमत ने सेलेक्शन कमेटी के विधान में कुछ एतराज किये थे और उसमें चांसलर को जिस प्रकार पैनल तय करने की बात थी और चांसलर को यह भी अधिकार दिया हुआ था कि चांसलर किसी विवाद के खड़े हो जाने पर एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सामने किसी विवाद के जाने पर, एक्जीक्यूटिव कौंसिल से आगे उसको स्वयं तय कर लेगा और किसी भी व्यक्ति को टीचर नियुक्त कर देगा। इस प्रश्न को लेकर इस सदन में काफी मतभेद था। तो माननीय मंत्री जी ने अब कुछ परिवर्तन किया है, पहले से अच्छा परिवर्तन है और इसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। लेकिन फिर भी यह गुत्थी तब तक नहीं सुलझेगी और मैं आज फिर एक खुला निवेदन माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूं कि वह स्टेटयूट्स को इस सदन के सामने जरूर रखें। क्योंकि जब तक कि स्टेटयूट्स इस सदन के सामने नहीं आयेंगे, मेरा मतलब फर्स्ट स्टेट्यूट्स से है, जो कि सरकार बनायेगी, क्योंकि वह एक मिसाल होगी, युनीवर्सिटी के सामने, देश के सामने, सदन के सामने कि आखिर ऐसे रिफ़ार्म्स को जिनको कि हमने इस बिल में नहीं रखा है और जो कि सरकार की मंशा 'स्टेटयूट्स' के जरिये रखने की है युनीवर्सिटी के सामने, वह क्या होनी चाहिये। वह हमारे सामने जरूर आने चाहिये।

अब सेलेक्शन कमेटी के मसले पर इतने दिन बहस हुई, जनरल डिस्कशन पर बहस हुई 'सेकिंड रीडिंग' में बहस हुई। सेलेक्शन कमेटी स्टेटयूट्स में क्या होगी तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जब तक वह इन स्टेटयूट्स को हमारे सामने नहीं रखते हैं तब तक वह पूर्ण रूप से बधाई के पात्र नहीं हो सकते। क्योंकि मान लीजिये कि फर्स्ट स्टेटयूट्स में यही बात आ गई जो कि विधेयक में हैं, तो उस समय क्या होगा? यह सदन वंचित रह जायगा किसी प्रकार का प्रोटेस्ट करने से, अपनी राय देने से। यह हो सकता है कि आज जो प्रोवीजन सेलेक्शन कमेटी के बारे में अब तक था, वह स्टेटयूट्स में आ सकता है। तो एक प्रकार से यह घुमा फिराकर चीज को रखने का तरीका माना जा सकता है कि सदन के सामने चीज न रखी जाय लेकिन स्टेटयूट्स में आ जाय। मैं नहीं कहता हूं कि माननीय मंत्री जी की ऐसी कोई मंशा होगी। लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है मंशा मानी जा सकती है। दूसरा संशोधन जिसे सेकेंड रीडिंग में मंजूर किया गया है वह एग्जीक्यूटिव कौंसिल के कांस्टीच्यूशन के बारे में है। इसमें श्रीमन्, आप देखेंगे कि अभी अभी सुबह जल्दी में जो अमेंडमेंट्स पेश हुए उनमें दो संशोधन यह थे कि एक तो कोर्ट के द्वारा चुने जाने वाले व्यक्तियों की संख्या ६ से घटकर ५ हो गई है, यानी एक्सटर्नल मेम्बर्स की संख्या, एक कम कर दी गई है और दूसरे पहले जहां यह था कि जितने डीन्स आफ फैकल्टीज होंगे उतने से एक कम को चांसलर नामजद करेगा। उनकी संख्या एक कम कर दी गई है। तो यह भी एक कुछ पहले से प्रगतिशील क्रिया मानी जा सकती है क्योंकि पहले तो बिलकुल भी एक्सटर्नल और इंटर्नल में पैरिटी नहीं थी, अब माननीय मंत्री जी ने यह प्रयत्न किया है इस संशोधन को मान कर कि वह एग्जीक्यूटिव कौंसिल में पैरिटी रखें।

श्री हरगोविन्द सिंह—पैरिटी से भी एक ज्यादा रखा है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं ऐसा नहीं मानता। यही मैं कहने जा रहा था कि पैरिटी तो आपने मान ली है लेकिन जैसा राधाकृष्णन् कमीशन ने कहा था कि इंटर्नल साइड की तरफ यानी जिन व्यक्तियों का सम्बन्ध युनिवर्सिटी से हो ऐसा ही नहीं बल्कि जो एकेडेमिक इंस्टीस्यूशंस से सम्बन्धित व्यक्ति माने जाते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनका यूनिवर्सिटी से सीधा सम्बन्ध हो, ऐसे लोगों की तरफ बैलेंस होना चाहिये यानी दस और ११ का बैलेंस होना चाहिये। इंटर्नल ११ हों तो एक्सटर्नल १० हों। ऐसा नहीं हुआ है। पैरिटी हो गई है लेकिन बैलेंस इंटर्नल साइड की तरफ नहीं हुआ है। यही मेरा उस पर एतराज है। मैंने नोट आफ डिसेंट में भी लिखा था कि बैलेंस यूनिवर्सिटी में कार्य करने वाले अध्यापकों की भावनाओं को, उनके कर्तव्यों को, उनके अधिकारों को समझने वाले, उनका प्रतिनिधित्व करने वालों की तरफ होना चाहिए और यही राधाकृष्णन कमीशन ने भी कहा था। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी कौंसिल में जाकर इसके मंजूर कर लेंगे क्योंकि इस सदन में जो कुछ विचार उन्होंने सदस्यों के सुने हैं उनसे थोड़ा बहुत वह इस तरफ झुके है ऐसा मुझे विश्वास हो रहा है और इसलिए मैं आशा करता हूं कि कौंसिल में जाते जाते वह इस बिल को और सुधार लेंगे । तो क्या मैं आशा करूं कि वह कौंसिल में जाकर इंटर्नल साइड की तरफ बैलेंस कर लेंगे ?

लेकिन तीसरा जो संशोधन उन्होंने स्वीकार किया है उस पर मुझे घोर आपत्ति है और मैं समझता हूं कि उससे इस युनिवर्सिटी का बड़ा अहित होने वाला है और वह है जहां पर कि उन्होंने अध्यापकों के अनुशासन के सम्बन्ध में इन्क्वायरी कमेटी की कल्पना की है कि एक इन्क्वायरी कमेटी वाइसचांसलर बनायेंगे और उस इन्क्वायरी कमेटी की बहुमति रिपोर्ट पर एक्जीक्यूटिव कौंसिल विचार करेगी और अगर एक्जीक्यूटिव कौंसिल बहुमत और इन्क्वायरी कमेटी के बहुमत इन दोनों में कोई मतभेद है तो चांसलर अपनी अन्तिम राय दे सकेंगे जिस पर कि कोई दलील अपील भी नहीं हो सकती है आर्बिट्रेशन ऐक्ट के अनुसार या धारा ४७ के अनुसार। तो इस संशोधन को जो उन्होंने स्वीकार किया है, इसको मैं बहुत ही आपत्तिजनक समझता हूं और सेलेक्ट कमेटी से जिस प्रकार यह संशोधन हो कर आया था उससे भी विकृत रूप में इसको समझता हूं । किसी विश्वविद्यालय का अध्यापक ही उस विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, शिक्षा सम्बन्धी चेष्टा, रिसर्च पद्धतियां और शिक्षा की पद्धतियां इन सबके संचालन में वास्तविक शिक्षक है । जैसा मूथम कमेटी ने कहा, किसी विश्वविद्यालय को उसके अध्यापक ही बनाते हैं। जब हम एकमत से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अध्यापकों की महत्ता विश्वविद्यालय के विधान में कितनी अधिक है तो हमें विश्वविद्यालय के अध्यापकों को विश्वविद्यालय के अधिकारियों और विधान के प्रति विश्वास रखने की भावना को प्रश्रय देना ही चाहिये । अगर हम विश्वविद्यालय के अध्यापकों को यह सोचने का अवसर दें कि यह विधान पहले ही से उन पर अविश्वास करता है तो यह उपयुक्त नहीं होगा। अगर हम किसी भी धारा के द्वारा अध्यापकों के विरुद्ध एक ऐसी इनक्वायरी कमेटी की स्थापना को अंगीकार करते हैं जिसके द्वारा अध्यापकों की जांच एकतरफा हो जाय, चूंकि आप यह देखेंगे कि डिस्पिलीनरी प्रोसीडिंग्स और पनिशमेंट देने की आवश्यकता को तय करेंगे वाइस चांसलर, इनक्वायरी कमेटी का नेतृत्व करेंगे वाइस चांसलर , एग्जीक्यूटिव कमेटी पर प्रसाइड करेंगे वाइस चांसलर तो वह एक ही कार्यवाही होगी यह उचित नहीं है, अगर एग्जीक्यूटिव कौंसिल और इनक्वायरी कमेटी में मतभेद हुआ तो वह चांसलर के पास जायगा। तो यहां हम इस सिद्धान्त को मान लेते हैं कि फर्स्ट अपील का ही अधिकार हम टीचर को नहीं देते और पहली कार्यवाही में ही हम सारे मामले को खत्म कर देते हैं। यह जुरिसप्रूडेंस का साधारण नियम है कि राइट आफ फर्स्ट अपील राइट आफ सेकिंड अपील होता है

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

हर व्यक्ति को । इस नये संशोधन के द्वारा जो माननीय सुखदेव प्रसाद जी का कल हमने स्वीकार किया, हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के टीचर्स के उस जूरिसप्रूडेंस के साधारण सिद्धान्त को भी छीन रहे हैं जिसके अनुसार उनको फर्स्ट अपील का अधिकार है। पहले उनको अपील का अधिकार था जब कि सेलेक्ट कमेटी से बिल आया था। चूंकि चांसलर फर्स्ट प्रोसीडिंग को ही देखता है, यह ग़लत है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उस पर पुनर्विचार करें और देखें कि आखिर उनकी यह धारणा कहां तक सही है।

चौथा संशोधन जिसका मैं स्वागत करूंगा, और स्वागत मुझे करना चाहिये, यह है कि आखिरकार माननीय मंत्री जी को बात इस को स्वीकार करना ही पड़ा, हालांकि मुझे तो बिल्कुल निराशा हो गई थी, मैं यह समझता था कि माननीय मंत्री जी हमारी बात को बिल्कुल ही ठुकरा देंगे। लेकिन जब मैंने यह देखा कि उन्होंने इतना माना कि आखिर एसोशियेटेड कालेजेज की संख्या को कम करना चाहिये। यह मेरी मंशा उस समय थी जब हमने यह संशोधन रखा था कि एसोशियेटेड कालेजेज वही हों जो ऐसे सब्जैक्ट्स पढ़ाते हों जो यूनीवर्सिटी में न पढ़ाये जाते हों। माननीय मंत्री जी ने उस संशोधन को आज स्वीकार किया जिसका आशय यही था कि इलाहाबाद युनिवर्सिटी में चार से अधिक एसोशियेटेड कालेजेज नहीं हो सकेंगे। यही तो है। बात यह है कि हम जल्दी में पास कर देते हैं। यही ठीक है। श्रीमन्, क्या करें जल्दी में जब पास होते हैं तो ऐसा ही होता है। चार से अधिक एसोशियेटेड कालेजेज नहीं होंगे। श्रीमन्, जहां हम यह मानते हैं कि चार एसोशियेटेड कालेजेज होंगे तो यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि वह कौन कौन कालेजेज होंगे। जो चार की गिन्ती रख दी है मैं चाहूंगा कि उनके नाम भी बतला दिये जायं कि किन कालेजेज से उनका मंशा है।

श्री हरगोविन्दसिंह—तीन तो जो हैं वह और एक लड़कियों का जो डिगरी कालेज, हो वह बनाया जा सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मंत्री जी के स्पष्ट करने का मतलब यह है कि एक तो महादेव प्रसाद कालेज होगा, दूसरा ईविंग क्रिश्चियन कालेज, तीसरी नैनी एग्रीकल्चरल कालेज और एक लड़कियों का डिग्री कालेज होगा। मैं समझता हूं कि इन कालेजों की संख्या को जो, लिमिट कर दिया गया है वह तो ठीक ही है लेकिन अगर एक प्रतिबन्ध और हो जाय तो बहुत अच्छा होगा। यह मैं एक नया प्रस्ताव रख रहा हूं क्योंकि अभी तो मौका है कि यह कौंसिल के सामने जायगा। यह लिमिट कर दी जाय कि तीन साल तक यह चीज रहेगी इसके बाद यह धारा अपने आप लैप्स कर दी जायगी और खत्म मानी जायगी यानी जो लड़के पढ़ रहे हैं इन कालेजों में वह डिग्री हासिल कर लेंगे और उनका कोई नुकसान नहीं होगा और दूसरे एसोशियेटेड कालेजों को आगरा यूनीवर्सिटी में शामिल कर लिया जायगा या कानपुर में नई युनीवर्सिटी हो सकती है, गोरखपुर में हो सकती है, उनमें यह शामिल हो सकते हैं तो आप तीन साल का ट्रांजीशनल क्लाज बना दें। इस पर यदि माननीय मंत्री जी विचार करने की कृपा करेंगे तो एक रास्ता निकल सकता है।

पांचवां संशोधन जो माना गया है वह डीन आफ स्टूडेंट वेलफेयर के सम्बन्ध में है। हमने भी यही कहा था कि डीन आफ स्टूडेंट्स रखा जाय तो चाहे जो नाम दें लेकिन उसका अर्थ वही होगा। डीन आफ स्टूडेंट् वेलफेयर के चुनाव के सम्बन्ध में शायद कुछ कहा जायगा क्योंकि यह सब मामले स्टैच्यूट में आयेंगे। इस विधेयक में इसका कहीं जिक्र नहीं है कि कैसे उसका चुनाव होगा, क्या उसकी कार्य प्रणाली होगी और किस प्रकार वह अपने कर्त्तव्य को सम्पन्न कर सकेगा। यह कहीं नहीं है। यह सब स्टेच्यूट्स में

आने वाला है। श्रीमन्, मैंने अपना एक संशोधन वापस लिया है जिसमें मैंने डीन आफ स्टूडेंट्स वेलफेयर के कर्तव्यों को डिफाइन किया है। मैं चाहता हूं कि जो संशोधन मैंने वापस लिया है उस पर माननीय मंत्री जी विचार करें। अगर वह राधाकृष्णन् कमीशन और मूयम कमेटी की रिपोर्ट को देखें तो उसमें स्पष्ट बतलाया गया है कि डीन आफ स्टूडेंट्स वेलफेयर के क्या कर्तव्य होंगे। विद्यार्थियों के सुई से लेकर विवाह सम्बन्धी सभी मामलों में वह उनको सलाह देंगे। मैं यह नहीं कहता कि इतना बड़ा कार्य आप एकदम से डीन आफ स्टूडेंट्स को दे दें। मैं तो यह कहता हूं कि जो विद्यार्थियों की वर्तमान समस्याएं हैं, जैसे वे अनएम्पलायमेंट का सामना कर रहे हैं या एकोमोडेशन प्राब्लेम का सामना करना पड़ता है उन्हें, तो इन तमाम कठिनाइयों को दूर करने के लिये डीन आफ स्टूडेंट्स को अवश्य अधिकार दिये जाने चाहिये। अगर आप वेग से अधिकार डीन आफ स्टूडेंट्स के रख देंगे तो उससे काम चलने वाला नहीं है, आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि डीन आफ स्टूडेंट्स का क्या कार्य होना चाहिये। मिसाल के लिये एक एम्पलायमेंट्स ब्यूरो उसके जिम्मे दिया जाना चाहिये जो कि स्टेट के एम्पलायमेंट आर्गेनाइजेशन और प्राइवेट एम्पलायर्स से निरन्तर सम्बन्ध रखे और विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार यह बतलाता रहे कि उनको कहां जाना है, किस प्रकार उनको अपनी परीक्षाओं के बाद कार्य करना है। इसी प्रकार कम्पिटीशन्स के बारे में उनको सलाह या सुविधा देना है। बहुत से ग़रीब विद्यार्थी जब शुरू शुरू में आते हैं तो उनको फ्रीशिप, हाफ फ्रीशिप, स्कालरशिप वग़ैरह के बारे में पता ही नहीं होता है, तो इस बारे में भी उनको पूरी सूचना मिलनी चाहिये। इसके साथ ही साथ जो विद्यार्थियों की ग्रीवेंसेज हों जो यूनिवर्सिटी यूनियन के ज़रिये पेश की जाती हैं तो यूनिवर्सिटी यूनियन और एक्जीक्यूटिव कौंसिल के बीच में अच्छे सम्बन्ध कायम करने के लिये डीन आफ स्टूडेंट्स एम्बेसडर का भी काम कर सकता है क्योंकि विद्यार्थियों से उसका निरंतर मेलजोल रहेगा। तो वह एक सौहार्द्र के रूप में कार्य कर सकता है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी स्टैटचूट्स बनाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे। और जैसा मैंने पहले कहा और मैं समझता हूं कि इस सदन के सारे सदस्यों की एक मत से यह राय होगी कि फर्स्ट स्टैट्यूट्स को अवश्य इस सदन के सामने आना चाहिये। बिना स्टैटयूट्स हमारे सामने आये हम यह नहीं जान सकते कि एकेडेमिक कौंसिल किस प्रकार बनेगी या सेलेक्शन कमेटी किस प्रकार बनने वाली है या डीन आफ स्टूडेंट्स का क्या कर्तव्य होगा या कौन-कौन सी कमेटीज़ बनने वाली हैं। इसलिये इस थर्ड रीडिंग के अवसर पर मैं यही मांग करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि हमारी सबकी यह राय है कि माननीय मंत्री जी फर्स्ट स्टेटयूट्स को हमारे सामने रखें। इतना कह कर मैं यही आशा करता हूं कि जिन सिद्धान्त के प्रश्नों पर हमने इस सारी बहस पर राय दी है माननीय मंत्री जी और सरकार उस पर पुनर्विचार करेंगे। अभी भी समय है, सरकार पुनर्विचार कर सकती है, अभी कौंसिल में यह बिल पास होना है। हमने ये विचार कोई विरोध करने के नाते नहीं दिये हैं क्योंकि, श्रीमन्, आप जानते ही हैं कि युनिवर्सिटियों के विधान का प्रश्न कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है, कोई आर्थिक प्रश्न नहीं है अब युनिवर्सिटी के विधान का प्रश्न तो समाज की अवश्यंभावी प्रगति का एक मापदंड है और इसलिए बिना किसी विरोध की भावना से, या बहुमत या अल्पमत की भावना से हमने इस यूनिवर्सिटी के विधान पर राय दी, इसलिए पक्षातीत भावना से इस पर विचार होना चाहिये। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो ख्याति है उसके अनुरूप ही उसका विधान बनना चाहिये। हमारे किसी विधान से या हमारे किसी कार्य से या हमारे किसी भी कार्य-कलाप से इस प्रकार की भावना पैदा नहीं होनी चाहिये कि यह लेजिस्लेचर, यह सदन, अपने को युनिवर्सिटियों के ऊपर लादना चाहता है, या अपनी लेजिस्लेटिव पावर को युनिवर्सिटियों में अन्नेसेसरी इंटरफियरेंस का एक माध्यम बनाना चाहता है। इस तरह की कोई भावना इस लेजिस्लेचर के बारे में, या किसी भी लेजिस्लेचर के बारे में

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

इलाहाबाद विश्वविद्यालय या किसी भी विश्वविद्यालय को नहीं होनी चाहिये। इसी दृष्टिकोण से हमने विरोधी दल की तरफ से समय समय पर सुझाव रखे थे, कोई समय को खर्च करने की दृष्टि से नहीं, बल्कि विधान को मजबूत बनाने की दृष्टि से, सुसंगठित बनाने की दृष्टिकोण से रखे। तो मैं आशा करता हूं कि अब जो इलाहाबाद युनिवर्सिटी विधेयक पास होगा, यह अपनी खराबियों और बुराइयों के बावजूद भी युनिवर्सिटी की सेवा कर सकने में सफल होगा।

मैं यह चाहता था कि जितनी खराबियां विधेयक की थीं वह दूर हो सकतीं और अब भी चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस अवसर से लाभ उठाएं, अब भी मौका है, लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा, युनिवर्सिटी का विधेयक बार बार नहीं बदला जाता। ३१ साल के बाद इलाहाबाद युनिवर्सिटी विधेयक में संशोधन आया है और हो सकता है कि अभी और भी बहुत साल लगें जब कि फिर कोई संशोधन इस युनिवर्सिटी के बारे में आये और अगर माननीय मंत्री जी की इच्छा पूरी हुई और सोशलिस्ट गवर्नमेंट कायम हुई तो और भी जल्दी आ सकता है ताकि हम युनिवर्सिटी को और भी अच्छा विधान दे सकें। लेकिन फिर भी यह विधेयक, जैसा टूटा फूटा है, युनिवर्सिटी को तो अंगीकार करना ही पड़ेगा। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी की अनोखी भावनाओं का यह अद्वितीय प्रयास, उनके युवक मस्तिष्क की यह उपज युनिवर्सिटी में संतुलन कायम रख सके, यही मेरी अभिलाषा है। अगर ऐसा न हो सका, युनिवर्सिटी के वातवरण में संतुलन कायम न हो सका तो उस संतुलन न रहने की जिम्मेदारी किस पर होगी, यह तो माननीय शिक्षा मंत्री स्वयं जानते हैं। स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार पर होगी, वर्तमान व्यवस्था पर होगी, वर्तमान कार्यभार से रत कार्याधिकारियों पर होगी। इस सदन पर नहीं होगी। क्योंकि ५ दिन के अपने सामान्य वाद-विवाद में इस सदन के अधिकांश माननीय सदस्यों ने स्पष्ट कर दिया कि सदन के माननीय सदस्य चाहते हैं कि युनिवर्सिटी की स्वतंत्रता को अक्षुण्य रखा जाय, युनिवर्सिटी की स्वतंत्रता पर आर्थिक स्वतंत्रता के नाम पर कुठाराघात न किया जाय। यह तमाम बातें कह चुके हैं। अब वर्तमान सरकार माने या न माने, इसको तो भविष्य ही साबित करेगा। फिर भी हम सभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की भलाई चाहते हैं। वह अपने लक्ष्य में सफल हो, वहां के विद्यार्थी पहले की तरह और आज की तरह आगे भी देश की सेवा करते रहें, समाज की नयी रचना करते रहें, यह हमारी भी और हमारे इस सदन के माननीय सदस्यों की अभिलाषा रहेगी।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मित्र माननीय नारायणदत्त जी का भाषण बड़े गौर से सुना। इसके पूर्व भी वे ३ घंटे तक बोले थे और उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन की चर्चा की थी। वे प्रयाग विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं और उन्होंने कहा कि वह ५ वर्ष रहे थे। उस ५ वर्ष रहने के नाते उन्होंने कहा कि उनका विश्वविद्यालय के विधान से सम्पर्क है और वह ३ घंटे बोलें। मेरा भी उससे सम्बन्ध रहा है। मैं ६ वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा। ६ वर्ष से मैं उसकी कोर्ट का सदस्य हूं और लगभग ६ वर्ष से मैं वहां का पार्ट-टाइम अध्यापक भी हूं और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस सदन में यह कह सकता हूं कि जहां तक इस विधेयक का संबंध है कभी भी सरकार की या उन सदस्यों की जो कि कमेटी के सदस्य थे और उस विधेयक पर गौर कर रहे थे यह भावना नहीं रही कि हम यूनिवर्सिटी की स्वतंत्रता को छेड़ें या यूनिवर्सिटी के अधिकारों को लें, या कोई ऐसा कदम उठायें जिससे कि यूनिवर्सिटी की शिक्षा प्रणाली में बाधायें उत्पन्न हों। हम जब यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, उसकी समस्याओं को सोचते हैं तो कभी भी हमारा यह ख्याल नहीं होता कि पार्टी का दृष्टिकोण रहे। अभी नारायणदत्त जी ने स्वयं कहा कि यह विधेयक तो सालों के लिये रखा जा रहा है।

संभव है कि कुछ साल के बाद इस तरफ के लोग उधर आ जायं और इधर के लोग उधर चले जायं। तो यह भाव कभी भी नहीं रहा कि हम विश्वविद्यालय के संबंध में जो नियम बनायें या जो नियंत्रण रखें उसमें पार्टी का दृष्टिकोण रहे। हमारी इच्छा है और इस सदन की इच्छा है कि हमारी यूनिवर्सिटी का शासन अच्छा हो, सुदृढ़ हो, मजबूत हो और उससे यूनिवर्सिटी की शिक्षा प्रणाली और मजबूत हो सके। लेकिन श्रीमन्, मैं यह दुख के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जिस वक्त इस विधेयक के ऊपर यहां चर्चा चली तो इस बात के ऊपर ध्यान नहीं रखा गया कि हम ऐसी संस्था के बारे में विचार कर रहे हैं जो एक प्रकार से अपने स्थान में सम्पूर्ण है, आटोनामस है। उसमें एक कड़ी इधर से जोड़ना या एक लड़ी को ऊपर से हिलाना, इससे कोई ऐसा विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। कोर्ट के सदस्य ६ रहें, एग्जिक्यूटिव कौंसिल में पांच रहें या एकेडेमिक कौंसिल के सदस्य ५० रहें या ५५ रहें, यह बातें छोटी हैं, डिटेल की हैं और इससे यूनिवर्सिटी की पूर्णतया और कार्यप्रणाली पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। हमको तो यह देखना चाहिये कि किस प्रकार से आज यूनिवर्सिटी का शासन चल रहा है। यूनिवर्सिटीज में एग्जिक्यूटिव कौंसिल, एकैडेमिक कौंसिल और कोर्ट यह तीन संस्थायें यूनिवर्सिटी के शासन को चलाती हैं। चांसलर, वाइस चांसलर, ट्रेजरर और रजिस्ट्रार उसके जिम्मेदार अधिकारी हैं। जब हम यहां चांसलर को सोचते हैं तो यह विचार करना उचित नहीं है कि आज माननीय के० एम० मुन्शी चांसलर हैं और इस दृष्टिकोण से हम नियमों को न देखें। जब चांसलर यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है तो वह यूनिवर्सिटी का एक अंग हो जाता है। चांसलर जब यूनिवर्सिटी की संस्थाओं में अपने कुछ सदस्यों को नियुक्त करता है तो वह चांसलर की हैसियत से करता है, गवर्नर की हैसियत से नहीं करता।

यहां हमको यह देखना है कि किस प्रकार से यह जो यूनिवर्सिटी की मुख्य मुख्य संस्थायें हैं, कोर्ट, एग्जिक्यूटिव कौंसिल और एकेडेमिक कौंसिल अपना काम कर रही हैं। श्रीमन्, मैंने पहले भी निवेदन किया था और अब भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि अगर काम ठीक तरह से चलाया जाता तो उन सिद्धांतों को परिवर्तित करने की आज जरूरत नहीं थी जो कि पूर्व के ऐक्ट में थे, इसके पहले जो ऐक्ट था, आज इतने सालों तक चला और जिसके अन्दर अब तक काम चलता रहा, उसमें अपने स्थान पर कोई विशेष कमजोरी नहीं थी, वाइस चांसलर को कोर्ट चुनती थी। मेरा अपना आज भी ख्याल है कि अगर जिस तरह से पार्टीबन्दी होने लगी, जिस तरह से चुनाव के अन्दर लोग दिलचस्पी लेने लगे, अगर वे बातें नहीं होतीं तो संभवतः हमको आज इस ऐक्ट को बदलने की आवश्यकता नहीं होती। अपनी जगह पर वह ऐक्ट काफी अच्छा था और काफी सुन्दर था, लेकिन कमजोरियां उसके चलाने में आयीं और आज भी मैं यह बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि हमारी कोशिश यह रही कि जहां तक हो सके उसके चलाने में जहां-जहां बाधा हमको दीख रही है उन बाधाओं को दूर करें जिससे यह काम अच्छी तरह से आगे चल सके लेकिन इन सब बातों के होते हुये भी अगर फिर वही चेष्टायें जारी रहीं तो इस ऐक्ट के लागू होने के बाद भी त्रुटियां हो सकती हैं और अन्य त्रुटियां पैदा की जा सकती हैं। कोई भी बात हम यहां पर फूल प्रूफ नहीं रख सकते हैं। जहां तक मनुष्य का संबंध है वह हर कहीं खामियां निकाल सकता है और उन खामियों का फायदा उठाया जा सकता है लेकिन हमारी चेष्टा यह हो रही है कि यूनिवर्सिटी के वातावरण में जो पार्टीबन्दी आ गयी है उसको दूर किया जाय जिससे शिक्षा का कार्य अच्छी तरह से चल सके।

इसमें श्रीमन्, आपने देखा होगा कि मुख्य परिवर्तन जो किया गया है वह वायस चांसलर की नियुक्ति के संबंध में किया गया है। उसके बारे में यहां पर काफी विचार किया गया है। मैं समझता हूं कि इसी विषय पर सबसे बड़ा मुख्य परिवर्तन इस ऐक्ट में हुआ है। अगर उसको विचारपूर्वक देखा जाय तो मालूम होगा कि इस वाइस चांसलर की नियुक्ति की परिपाटी को हमने बदला है। राधाकृष्णन कमेटी ने भी कहा है कि यूनिवर्सिटी की सारी शक्ति सिमट कर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के पद पर आ जाती थी। हमारी यह चेष्टा

[श्री शिवनाथ काटजू]

रही कि हम सब से सुन्दर सुझाव इस सदन के सामने रखें। तिवारी जी और दूसरे विरोधी दल के लोग उस कमेटी में मौजूद थे। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह कह सकता हूं कि जितने आल्टरनेटिव सुझाव थे उनमें यही सबसे सुन्दर सुझाव है जो कि हमने इस सदन में पास किया है।

जहां तक कि और बातों का संबंध है जिनकी चर्चा यहां पर अभी माननीय नारायणदत्त जी ने की कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल का कार्य ऐसा होना चाहिये कि जिससे वह आगे चलकर अच्छी तरह से कार्य कर सके तो उसके संबंध में मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि यह चीज नियमों के द्वारा नहीं हो सकती है; आप चाहे नियमों को बड़े विस्तार से बनायें लेकिन असल चीज उसकी स्पिरिट है, उससे ठीक ढर्रे पर काम चल जाय तो फिर नियमों के द्वारा अधिक बाधा नहीं हो सकती है। जितनी बातें नारायणदत्त जी तिवारी ने कहीं वह ठीक हैं, सही हैं और वह सब हो सकती हैं लेकिन काम करने की भावना से अधिक इसका संबंध है।

अभी श्री नारायणदत्त तिवारी जी ने कुछ और बातों का जिकर किया और उसमें सेलेक्शन कमेटी के बारे में भी कहा। सेलेक्शन कमेटी की समस्या का संबंध उन बातों से है जिनके बारे में सूयम कमेटी ने भी चर्चा की है। अगर वह हमारे विश्वविद्यालय के इतिहास से परिचित हैं तो उनको मालूम होगा कि पिछले सालों में सेलेक्शन के बारे में काफी टीका-टिप्पणी हुई। सूयम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में उदाहरण के लिये बहुत सी मिसालें दी हैं। यह बातें एग्जिक्यूटिव कमेटी के सामने आयीं और मेम्बरों के सामने भी आयीं और उसका जवाब भी दिया गया, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि ये ऐसी समस्यायें थीं जिनके बारे में असंतोष था। एक पक्ष को इससे संतोष नहीं था और दूसरा पक्ष उसका समर्थन करता था और इसी कारण सेलेक्शन कमेटी को इसके बारे में नियम बदलने की आवश्यकता हुयी। मैं अब भी कह सकता हूं कि अगर सेलेक्शन कमेटी जिस तरह से रखी गयी है वहां पर भी अगर ठीक तरह से काम नहीं चलाया गया तो यह सेलेक्शन कमेटी फूल प्रूफ नहीं रह सकती है। उसमें भी पार्टीबन्दी आ सकती है और खराबी पैदा हो सकती है। हमारी तो केवल चेष्टा यह रही कि हम जहां तक हमसे हो सके सुधार रखें और ऐसा सुधार रखें जिसके द्वारा सही और उचित लोगों को यूनिवर्सिटी के अध्यापकों के पद पर नियुक्ति हो सके। माननीय नारायणदत्त जी ने कोर्ट द्वारा एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सदस्यों के चुनाव के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि अब छः से पांच कर दिये गये हैं। पहले चार रक्खे गये थे अब चार से पांच कर दिये गये हैं। पहले कोर्ट से छः सदस्य एक्जीक्यूटिव में जाया करते थे अब छः की जगह पांच रह गये हैं। मैंने जैसा पहले निवेदन किया यह बहुत डिटेल की बात है, इसमें ज्यादा महत्व की बात नहीं है।

जहां तक इंटरनल और एक्सटर्नल साइड का सवाल है उसके बारे में भी बहुत कुछ कहा गया। कहा गया कि इंटरनल और एक्सटर्नल साइड में पैरिटी (समानता) होनी चाहिये, लेकिन मैं एक्सटर्नल और इंटरनल की पैरिटी में ज्यादा महत्व नहीं समझता। इसका अर्थ यह होता है कि वे लोग जिनका संबंध यूनिवर्सिटी की शिक्षा से है उनका प्रतिनिधित्व आधा रहना चाहिये और दूसरे जो एक्सटरनल साइड के हैं, जिनका यूनिवर्सिटी की शिक्षा से संबंध नहीं है उनका रिप्रजेन्टेशन भी आधा होना चाहिये। इसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि जिनको एक्सटर्नल कहा जाता है वे लोग भी एक रूप से वहां विद्यार्थी रह चुके होते हैं, जैसा कि माननीय नारायण दत्त जी वहां के रजिस्टर्ड ग्रेजुएट हैं और वहां की शिक्षा से संबंधित हैं। वे भी अपना प्रतिनिधि कोर्ट की बैठक में भेजते हैं। बहुत से ऐसे रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स हैं जो वहां शिक्षक तो नहीं हैं लेकिन शिक्षा संबंधी कार्य से काफी दिलचस्पी लेते हैं जैसे कि हृदयनाथ कुंजरू साहब हैं, ऐसे ही और भी व्यक्ति हो सकते हैं जिनका शिक्षा के कार्य से बहुत संबंध हो सकता है। इसलिये मैं उनको एक्सटर्नल साइड में रखने को तैयार नहीं हूं क्योंकि एक्सटर्नल और इन्टरनल साइड में बहुत ही आर्टीफिशियल भेद है। जो लोग वहां के रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स हैं, जो लोग कोर्ट के मेम्बर चुने जाते हैं, जिनको शिक्षा से दिलचस्पी है, जिन्होंने अपना सारा जीवन इसी समस्या में बिताया है,

उनको मैं एक्सटर्नल साइड में रखने के लिये तैयार नहीं हूं। लेकिन एक प्रकार से यह सिद्धांत रखा गया है, इस पर काफी बहस मुबाहिसा हुआ। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि यूनिवर्सिटी की शिक्षा का संबंध केवल उन्हीं लोगों तक सीमित रहना चाहिये, उन्हीं का ज्यादा बाहुल्य होना चाहिये जो वहां पढ़ाते हैं। जो वहां पढ़ाते हैं वे मान्य हैं, वे हमारे गुरुजन हैं, लेकिन जहां तक शिक्षा का संबंध है उसमें वे लोग भी आते हैं जिनका शिक्षा से संबंध है लेकिन बाहर रहते हैं जिनकी शिक्षा से रुचि है। विरोधी दल ने जो एक्सटर्नल और इंटरनल को दुहाई दी कम से कम मैं इतना अधिक उसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं। यह कहना कि एक मेम्बर कम कर दिया जाय या जो कि ज्यादा हो जाता है उसके कारण पैरिटी में खलल आ जाता है, यह भी कोई सही बात नहीं है। श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वास्तविक रूप से देखा जाय तो चाहे वहां पैरिटी हो या न हो, अगर आप १०० में ५०, ५० भी रख दें, लेकिन जब बैठक होती है तो बाहर वालों की संख्या कम ही होती है। हर दफा मेजारिटी उन्हीं लोगों की हो जाती है जो कि इंटरनल साइड से संबंधित हैं। इसमें भी जैसा कि माननीय तिवारी जी ने जोर दिया मैं ज्यादा महत्व नहीं देता। जहां तक कि टीचर्स के ऊपर डिसिप्लिनरी कमेटी का संबंध है यह भी एक प्रकार से कंट्रावर्शियल सब्जेक्ट है और इसके ऊपर भी काफी वादविवाद हुआ। हमारे विधेयक में इस बात के ऊपर गौर किया गया है और नियम बनाया गया है कि अगर एक ऐसी विशेष परिस्थिति आ जाय जिसके द्वारा मजबूर होकर किसी शिक्षक के कार्यपर जांच करने की जरूरत हो तो एक इनक्वायरी कमेटी के लिये जगह रखी गयी है। लेकिन श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि इसका मतलब यह नहीं है कि शिक्षकों के मान के ऊपर कोई आरोप लगाया जा रहा है। कोई बाहर की कमेटी नहीं कमेटी यूनिवर्सिटी के अन्दर की होगी। वह अधिकार वाइस चांसलर को ही है, एग्जीक्यूटिव कौंसिल को पहले ही से अधिकार है लेकिन इस कारण कि कार्य शीघ्रता से हो सके और एक प्रकार से इम्पारशियल रूप से हो सके एक अलग कमेटी का नियोजन किया गया है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि इसमें चांसलर हैं, वाइस चांसलर हैं और वाइस चांसलर को यह अधिकार दिया गया है कि बाहर के एक ऐसे व्यक्ति को जो मान्य हों, जो इंडिपेंडेंट हों उनको भी वे रख सकें। लेकिन इससे यह समझना कि इसमें कोई बाहर की कमेटी या बाहर वाले लोगों को लिया जा रहा है जो कि यूनिवर्सिटी के मामले में आकर दखल देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। श्रीमन्, मुझे दुख के साथ निवेदन करना पड़ता है कि आज हमारी यूनिवर्सिटी के वातावरण में कुछ राजनैतिक दल गैरजिम्मेदारी से काम करने की चेष्टा करते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। नियम यह है कि जो संशोधन स्वीकार हों उन्हीं को लेकर भाषण होने चाहिये लेकिन माननीय सदस्य फर्स्ट रीडिंग की तरह जनरल भाषण कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनको ऐसा करने का अधिकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य वे संशोधन जो स्वीकार हों, उनके ऊपर अपनी राय दे सकते हैं।

श्री शिवनाथ काटजू—माननीय नारायणदत्त जी ने जो कहा था उन्हीं की मैं चर्चा कर रहा था। मैं निवेदन कर रहा था कि जहां तक कि कमेटी का सवाल है वह एक विशेष परिस्थिति के लिये ही रखी गयी है और इस संबंध में मैं निवेदन कर रहा था कि हमारी यूनिवर्सिटी के अन्दर कुछ राजनीतिक दल आज ऐसी चेष्टा कर रहे हैं जिनके द्वारा वे गैरजिम्मेदारी के साथ नवयुवकों के मन पर दबाव डालना चाहते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—नाम लीजिये कि किस दल से आपका मतलब है?

श्री शिवनाथ काटजू—आपके दल के बारे में मैं नहीं जानता लेकिन जो आपके पीछे माननीय सदस्य बैठे हुये हैं उनके दल के लोग गैरजिम्मेदारी के साथ बातें करते हैं। मेरा

[श्री शिवनाथ काटजू]

मतलब माननीय झारखंडे राय जी से है, लेकिन मैं इन बातों में नहीं जाऊंगा। श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस सदन को, इस सरकार को शिक्षकों की प्रतिष्ठा और उनकी मान का काफी ख्याल है और श्रीमन्, मैं खुद यह समझता हूं कि चाहे इस पक्ष के लोग हों, चाहे उस पक्ष के लोग हों, हम मंच के ऊपर कुछ ही काल के लिये आते हैं, आज हैं, कल संभवतः नहीं रहेंगे, लेकिन जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, जो हमारे साहित्य के आचार्य हैं वे आगे की पीढ़ियों के निर्माण करने वाले हैं और उनकी मान और उनकी प्रतिष्ठा हमारे लिये सदैव बहुत मान्य है और कोई भी बात हम ऐसी नहीं करना चाहते हैं जिससे कि हमारे गुरुजनों की, हमारे शिक्षकों की यह भावना हो कि उनकी मान में और उनकी प्रतिष्ठा में कमी की जा रही है, श्रीमन्, इंटरमिडिएट कालेजों के संबंध में माननीय नारायणदत्त जी ने चर्चा की है, मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा। मैं केवल इतना निवेदन करूंगा कि यह एक बहुत ही जटिल समस्या थी और विधेयक में वही रखा गया है जैसी स्थिति सामने थी और वह स्थिति यह थी कि ३ कालेज यूनिवर्सिटी के अन्दर आ गये थे। या तो हम उस स्थिति को ठुकराते और जो कदम आगे बढ़ गये थे फिर उन कदमों को वापस करते, यह भी संभव नहीं था और इसमें बहुत सी कठिनाइयां थीं। तो जहां तक संभव हो सका हमने यूनिवर्सिटी के यूनिटरी केरेक्टर को भी माना है और उसके साथ साथ एफिलियेशन को भी स्वीकार किया है और माननीय शिक्षा मंत्री ने उसमें संशोधन भी स्वीकार कर लिया है कि ४ संस्थाओं से अधिक का एफिलियेशन न कराया जा सकेगा, ३ तो हैं ही और एक स्त्रियों से संबंधित कालेज के बारे में रखा गया है। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि हमने बिलपर बड़ी ह्यूमैनिटी के साथ गौर किया है और यह भी मैं दावे के साथ कहूंगा कि अब उस पर अधिक टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती है और न विरोधी दल की तरफ से कोई इससे खूबसूरत आल्टरनेटिव प्राविजन्स रखे जा सके हैं। मैं नहीं कहता कि इससे अधिक पूर्णतया सुन्दरता इसमें नहीं आ सकती लेकिन जो चेष्टा हम कर सकते थे और जहां तक बुद्धि पहुंच सकती थी हमने इसको सुधारने की चेष्टा की है और तभी इस को सदन के सामने रखा था। मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक के द्वारा हमारी इस यूनिवर्सिटी के अन्दर जो कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं वह दूर होंगी और वहां का काम सुचारु रूप से चलता रहेगा, इसके द्वारा हमारे नवयुवकों की बुद्धि का विकास होगा और उनके चरित्र में वह बल आयेगा जिससे वह देश की रक्षा कर सकें और देश के स्तर को उन्नतिशील बना सकें।

श्री शिवनारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से तीसरी रीडिंग पर बोलते हुये विरोधी दल के सदस्यों से कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो चार्ज लगाया है कि माननीय शिक्षा मंत्री ने जल्दी-जल्दी कर के इस विधेयक को पास कराने की कोशिश की है, लेकिन उन को मालूम होना चाहिये कि ५ दिन के अन्दर जो समय मिला उसमें माननीय नारायणदत्त जी ने ढाई घंटा लिया और इस तरह से अपोजीशन ने अपनी ड्यूटी नहीं की। वरना उस ढाई घंटे में सदन के ३ मेम्बर बोल सकते थे और उसका फल यह होता कि यह जो आज गिलोटिन का मौका हुआ वह न आता और पूरा समय उस पर बोलने का मिलता और प्रत्येक धारा पर पूरा गौर हो सकता। हमको इस बात का बहुत दुख है कि यह विधेयक गिलोटिन से पास हुआ, लेकिन इसकी जिम्मेदारी केवल विरोधी दल के ऊपर ही है क्योंकि जब कि हमें जनरल डिबेट में २० मिनट मिले थे तो उधर से नारायणदत्त जी ने ढाई घंटे का समय लिया। इस तरह का वह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का नमूना पेश करते हैं, उनको तो आदर्शवादी होना चाहिये, क्योंकि हम तो गवर्नमेंट बनाये हैं और वही हमारे बेक हैं और उनकी ड्यूटी है कि वह हमारी खामियों को चेक करें, लेकिन जब वह गलत आदर्श पेश करते हैं कि ५ दिन इस पर जनरल डिबेट हुआ और १६ दिन यह बिल चला, इसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी बिल आने वाला है उसके लिये भी हम चाहेंगे कि अपोजीशन ठीक ढंग से कोआपरेशन से ऐसा इंतजाम करे कि जिससे सदन को सब धाराओं पर बोलने का और विचार करने का मौका मिल सके। यह उन की ड्यूटी है कि जो इस तरफ बैठे हैं या उस तरफ बैठे हैं सबको बोलने का बराबर मौका मिल सके ताकि सब

लोग अपने विचार उस पर प्रकट कर सकें, यह हमारी उनसे दरख्वास्त है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने ३१ वर्ष के बाद इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऐक्ट को संशोधित करने की कोशिश की है। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर इसमें अब भी कोई कमी रह गई हो तो जैसा कि नारायणदत्त जी ने कहा उसको कौंसिल में पूरा करने की कोशिश वह करें। मैं चाहता हूं कि वहां ऐसे विद्यार्थी पैदा हों जो कि इस सिद्धांत पर अमल कर सकें कि "सुखार्थिनः कुतो विद्या। विद्यार्थिनः कुतः सुखम्।"

आज इस पर अमल करने वाले विद्यार्थी हमारे सामने हों तो कोई चिन्ता हमको नहीं होगी और यह विश्वास उत्पन्न हो जायगा कि भविष्य में हमारे देश में सुन्दर राष्ट्रनिर्माता पैदा होंगे, सच्चे त्यागी उत्पन्न होंगे और भारद्वाज आश्रम जो प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर संगम के निकट स्थित है उसके आदर्श को पालन करने वाले होंगे। १४ सौ वर्ष के बाद हम स्वतंत्र हुये हैं और यह स्वतंत्रता के हमने दिन देखे हैं और इस सात वर्ष के जमाने में हमने इंतजार किया कि हमारे नवयुवक सुधरेंगे और 'सिंपिल लिविंग एण्ड हाई थिंकिंग' के आदर्शों पर चलेंगे, लेकिन वह आदर्श हमें आज दिखायी नहीं देता। आज यूनिवर्सिटीज में क्या-क्या नारे लगते हैं, विद्यार्थी अपने गुरुजनों को गालियां देते हैं, वाइस चांसलर और चांसलर तक को गालियां देते हैं यह कहां की मर्यादा है। यह तो भारतीय संस्कृति के बिलकुल विरुद्ध है और इसीलिये हमने इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बिल में मेंडमेंट किया है उसके लिये आज हम इस गवर्नमेंट को बधाई देते हैं। उसने हमारे एक सुन्दर मेडमेंट को स्वीकार किया, जिसके द्वारा सेलेक्शन आफ कोर्सेज के विषय में संशोधन किया गया था। सेलेक्शन आफ टीचर्स के लिये एक सेलेक्शन कमेटी बनायी जाय इसके लिये हमारा दूसरा संशोधन था। इन सबको गवर्नमेंट ने स्वीकार किया है और इसके लिये मैं गवर्नमेंट को बधाई देता हूं, उसने वाकई बहुत सोच विचार कर कार्य किया है। यही नहीं कि मेरा संशोधन स्वीकार किया गया हो, बल्कि गवर्नमेंट ने अपोजीशन के माननीय नारायणदत्त तिवारी के संशोधन को स्वीकार किया है, वर्मा जी के एमेंडमेंट को मंजूर किया है इसलिये अपोजीशन वालों को भी शिकायत नहीं होना चाहिये था क्योंकि गवर्नमेंट ने खुशी खुशी इस बात को स्वीकार किया है कि यह विधेयक किसी प्रकार से ठीक हो। उपाध्यक्ष महोदय, राधाकृष्णन कमीशन ने लिखा है कि हमको अपनी कंट्री को मार्डनाइज करने के लिये क्या करना चाहिये :—"We should not follow the western but we should have our own culture."

तो इंडियन कल्चर के अनुसार हमें अपने देश के बच्चों को बनाना है। यही नहीं, प० नेहरू ने भी कहा है कि जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगिल देखा है और जिन्होंने अपना विद्यार्थी जीवन बरबाद किया है उनको अनुभव है और इसीलिये हम अपने विद्यार्थियों को अपनी आने वाली संतान को सचेत करना चाहते हैं कि पहले परिपक्व हो जाइये, अपने विषयों के मास्टर होकर यूनिवर्सिटी से निकलिये, राजनीति के पंडित, गणित के पंडित बनिये, जिस विषय में विद्यार्थी को इंटेरेस्ट हो उसी में पंडित बनकर निकलिये तभी देश का निर्माण होगा। सभी तो पालिटिशियंस नहीं होंगे, कुछ वकील होंगे, कुछ प्रोफेसर्स होंगे, कुछ मैथेमेटिशियंस होंगे, कुछ साइंटिस्ट्स होंगे, हम लोगों को नाना प्रकार के लोगों की आवश्यकता है तभी हमारा देश निर्माण के पथ पर अग्रसर हो सकता है। हमारी पंचवर्षीय योजना के कार्य को सुचारु रूप से संचालित करने में जो हमारे नवयुवक आने वाले हैं वे ही हमको रिप्लेस करने वाले हैं, वह कहां से आयेंगे? इन्हीं यूनिवर्सिटियों से आयेंगे और इसीलिये हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों में डिसिप्लिन लाने के लिये बहुत सी बातें इस विधेयक में रखी हैं। नैपोलियन के शब्द डिसिप्लिन के संबंध में उपाध्यक्ष महोदय ये हैं :—

"Those who will obey, only they can give orders and those who will not obey cannot give orders."

और इन्हीं नैपोलियन के शब्दों को कार्यरूप में परिणत करने के लिये हमने वाइस चांसलर को फुल पावर्स दी है और यह करके गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा कार्य किया

[श्री शिवनारायण]

है। आज हमारे अध्यापकों को डिसिप्लिन में रहने के लिये बाध्य होना चाहिये, हमारे विद्यार्थियों को डिसिप्लिन में रहने के लिये तत्पर रहना चाहिये। जो अध्यापक डिसिप्लिन में रहने के लिये बाध्य नहीं है उसको वहां नहीं रहना चाहिये। जिसको सरविस करनी होगी, जिसको विश्वविद्यालय में पढ़ाना होगा उसको वाइस चांसलर के आर्डर्स को ओबे करना होगा और जो वाइस चांसलर को ओबे नहीं करेगा उसको कोई अधिकार नहीं होगा कि वह यूनिवर्सिटी में रहे। जो पूर्ण डिसिप्लिनेरियन होगा वही अध्यापक हो सकता है और वही डिसिप्लिन मेंटेन भी कर सकता है। जो टीचर सच्चा डिसिप्लिनेरियन नहीं है वह देश के साथ विश्वासघात करता है और अपने पद का दुरुपयोग करता है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुयोग्य बनें, चरित्रवान् हों, देश के साथ प्रेम करने वाले हों और उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से काम करने वाले हों। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के गुरुजनों से कहना चाहता हूं और हमारा संदेश उन तक पहुंचेगा कि हम उनके शुभचिन्तक हैं। इस सरकार ने इसी के साथ-साथ यूनिवर्सिटी की अटानामी का भी ख्याल रखा है और कहीं भी हस्तक्षेप नहीं किया है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि हम यूनिवर्सिटी की तन-मन-धन से सहायता करेंगे, शिक्षा मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि हम कहीं भी उनके कार्य में दखल नहीं देंगे।

अब मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यापकों के रहन-सहन, उनके दवा, उनके मकान, उनकी तकलीफों पर ख्याल करें, उनके ग्रेड्स को ऊंचा किया जाय, उनके मेंटिनेंस आफ स्टैंडर्ड को अच्छा और ऊंचा उठाया जाय। आज हमारे देश में दो वर्ग चल रहे हैं एक तो वे लोग हैं जो सेक्रेटेरियट में हैं, कलेक्टर हैं, आई० सी० एस० सर्विसेज में हैं और दूसरे और लोग हैं। तो हमको इधर कुछ कम बुद्धि वाले लोग मिलते हैं वह इसलिये कि फर्स्ट क्लास के लोग बड़ी-बड़ी सर्विसेज में निकल जाते हैं। तो मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि देश को एक संतुलन पर लाने के लिये सब के साथ इक्वेल व्यवहार रखा जाय। इससे देश का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा और सरकार का कल्याण होगा। हमें कहीं भी द्वेष नहीं पैदा करना है। अपने इस एमेंडिंग बिल को जो हमने पुट किया है, मैं समझता हूं कि प्रान्त इसे वेल्कम करेगा और इसमें जो खामियां होंगी उनको हमारे शिक्षा मंत्री फिर विचार करेंगे और उन्हें कौंसिल में ठीक कर लेंगे। हमने तो ठीक करने के लिये कदम उठाया है। पहला कदम उठाने में समय लगता है और किसी चीज के बनने बिगड़ने में समय लगता है। दोष आदमी से होता है और वैसे तो यह सारा जगत दोषमय है। कुछ भी दोष-रहित नहीं है। चन्द्रमा जो होता है उसमें भी दाग लगा हुआ है। हम यह दावा नहीं करते कि हम परिपक्व हैं। पूरा तो केवल ईश्वर ही होता है लेकिन हम लोग अग्रसर हैं, कदम उठाये हुये हैं, देश का कल्याण सोचते हैं और चाहते हैं कि हमारे कामों का फल सुन्दर हो। हमारा युनिवर्सिटी का जो यह पेड़ है यह फलदायक, सुन्दर फलदायक हो यही हमारी हार्दिक इच्छा है और इन शब्दों के साथ मैं इस एमेंडिंग बिल का समर्थन करता हूं और शिक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री राजनारायण से) मैं यह कहना उचित समझता हूं कि यदि आप १५ मिनट में समाप्त कर दें तो अच्छा है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—मैं तो श्रीमन्, एक मिनट भी लेना पसन्द नहीं करता, क्योंकि चार बजे तो यह खत्म होगा ही और शिक्षा मंत्री जी को सुनने के लिये सदन लालायित रहेगा, मैं भी उनके श्रीमुख से कुछ सुनना चाहता हूं। श्रीमन्, समय है नहीं और इसलिये बारबार जाना असंभव है तो मैं अपनी

भावनाओं को थोड़े ही में व्यक्त करना चाहता हूं। यह जो खास-खास बातें थीं जिनके बारे में संशोधन हुए जैसे एक्जीक्यूटिव कौंसिल के बारे में, सेलेक्शन कमेटी के बारे में, डीन्स आफ दि स्टूडेंट्स के बारे में, एक्सटर्नल एक्टिविटीज को जो अनुशासित करने के लिये जो संशोधन पास हुए हैं, उनके बारे में नारायणदत्त जी ने अपनी सम्मति व्यक्त कर दी। अब हमको थोड़े में इतना ही निवेदन करना है विद्यार्थियों से, अध्यापकों से और उस विद्वत्जगत से जो कि सही मानों में भारतवर्ष का उत्थान चाहता है और भारतवर्ष के अच्छे और स्वतंत्र नागरिक विश्वविद्यालयों से निकालना चाहता है कि वह भी अपनी शक्ति और अपनी ताकत और अपना प्रभाव लगाये और जितनी जल्दी इस विधेयक को जो कानून के रूप में स्टैटचूट पर जायगा वहां से हटा देने के लिये परिस्थिति पैदा करे उतनी ही जल्दी कल्याण होगा। मैं आपके द्वारा यह आश्वासन जरूर देना चाहता हूं सबको, इस सदन में जो लोग हैं उनको भी और बाहर की दुनिया को भी कि जब भी हमारी ताकत होगी ऐसे काले कानून को शिक्षा के क्षेत्र में कभी भी हम लागू नहीं रहने देंगे। इसको जल्दी से जल्दी हटायेंगे और हमारी यह अभिलाषा पूरी हो यही हमारी कामना है। यदि विद्वत् समाज, विद्यार्थी, अध्यापक यह चाहते हैं कि ऐसा काला कानून शिक्षा के क्षेत्र में न रहे.....

एक सदस्य—ऐसा नहीं कहना चाहिये।

श्री राजनारायण—तो उनका फर्ज है कि वह ऐसी परिस्थिति पैदा करें श्रीमन्, मैंने तो कल ही कह दिया था वह रावण का उदाहरण देते हुए कि जब सीता का हरण हो गया और हनूमान के लौट आने पर राम ने सीता के दुःख के बारे में पूछा हनूमान से, तो हनूमान ने कहा था कि "सीता कर दुःख विपत्ति विशाला, बिना कहेउ भल दीन दयाला।"

अब इस कानून की किन-किन कमजोरियों को, किन-किन अवगुणों को आपकी सेवा में निवेदन करूं। यह तो अवगुणों से भरा हुआ है। एक पोथा है और इतना भरा हुआ पोथा है कि अगर इसको देखा जायगा तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इससे शिक्षा की प्रगति नहीं होगी। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि मैंने तो पैरिटी कर दी कौंसिल में, पैरिटी के माने क्या। राधाकृष्णन् कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था? मैं शिवनाथ काटजू जी की बातों का जवाब नहीं देना चाहता, मगर उनके एक भाव के साथ अपने को पाता हूं जैसा यह विधेयक है चाहे उसमें काउन्सिल में पैरिटी हो जाय, चाहे सेलेक्शन कमेटी के आगे चल कर स्टेट्यूट्स बनने वाले हों, कुछ उसमें संशोधन की बात आ जाय, मगर जब बुनियाद ही गलत है तो ऊपर का भवन कितना अच्छा बन सकता है। इसीलिये मैं ज्यादा जोर बुनियादी बातों पर बराबर देता रहता हूं कि जब तक बुनियाद अच्छी नहीं होगी तब तक उस पर खड़ा हुआ भवन कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। और कुछ इधर-उधर की धाराओं में कुछ वाक्य रचना करके उसको सजाने की कोशिश होगी, मगर उससे वह बात नहीं निकल सकती है जिस बात को आज अपना देश निकालना चाहता है माननीय शिवनाथ काटजू जी ने कहा, शायद माननीय शिक्षा मंत्री जी भी कहें आगे किसी की ख्वाहिश नहीं है कि विद्यादान न हो, किसी की ख्वाहिश नहीं है कि शिक्षा की प्रगति न हो। मैं तो उनसे ज्यादा दूर तक जा सकता हूं कि तमाम आस्तिक दर्शन पढ़ लें, नास्तिक दर्शन पढ़ डालें, इस देश के तमाम साधु-मुनियों, ऋषियों की बातें देख डालें सबने समाज के उत्थान की बात कही है। अब जहां तक समाज से विषमता मिटाने की बात है तो मुझे वही चौपाई याद आती है जो रामचन्द्र जी ने विद्वत् समाज में कही थी कि :—

'बैर न करे काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई।'

[श्री राजनारायण]

उसके लिये शर्त लगाई है कि विषमता का लोप हो तभी बैर भाव मिटेगा। मगर यहां तो हर जगह पर विषमता बढ़ती चली जा रही है। चांसलर साहब को कितने अधिकार हैं। सर्वेसर्वा हैं और चांसलर साहब की मनोवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिये कहीं कोई पाबन्दी इसमें नहीं है और साल भर के लिये तो इतने अधिकार चले गये हैं सरकार के हाथ में कि सरकार जिस तरह से चाहे उस तरह से पौढ़े और फिर काटजू साहब कहते हैं कि किसी की शिक्षा में हस्तक्षेप करने की इच्छा नहीं है आज समाज की यह दुर्गति है? इसके उत्थान की क्या बात होती है? श्रीमन्, मैं एक बात और सफाई के साथ कह देना चाहता हूं आज के जमाने में हर आर्थिक लड़ाई राजनीति की लड़ाई है। आज के जमाने में सरकार शिक्षा में वही ढांचा कायम करेगी जिस तरह की राजनीति चलाना चाहती है और समाज में उसी तरह की व्यवस्था भी करेगी। यह कह देना कि माननीय शिक्षा मंत्री की राजनीति कुछ और है और उनकी शिक्षा नीति कुछ और है, इसमें कोई तारतम्य नहीं है। जिस तरह से आज समाज का उत्थान सरकार चाहती है, जिस तरह का सामाजिक ढांचा सरकार चाहती है, उससे भिन्न उसकी राजनीति नहीं हो सकती है और उसी तरीके के नागरिकों को पैदा करवायेगी विश्वविद्यालय में। मैं सफाई के साथ रखना चाहता हूं कि आज दुनिया में कोई ऐसा विषय नहीं है जिसका एक दूसरे से लगाव न हो, जो एक दूसरे का पूरक न हो। इसलिये शिक्षा के क्षेत्र में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय उसी तरह का विधेयक लायेंगे जैसी उनकी राजनीति है जिस तरीके से उनकी सरकार के द्वारा समाज के निर्माण की बात सोची जाती है। वरना यदि समाज के निर्माण की बात जनतांत्रिक ढांचा हो तो शिक्षा के क्षेत्र में एकाधिपत्य स्थापित करने की क्या बात है? बार-बार कहा जाता है, श्रीमन्, मुझे ऐसे अवसर याद हैं जिसमें कि यदि किसी एक सदस्य ने अनुचित तरीके से किसी कोर्ट की मीटिंग में कुछ अपने जजबात का इजहार करना चाहा है तो उसी कोर्ट ने कम्पेल (मजबूर) किया है उसको और उसको अपने प्रस्ताव को वापस लेने के लिए निवेदन करना पड़ा, याचना करनी पड़ी है, मगर कोर्ट ने यहां तक हिम्मत के साथ कहा है कि नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी कि तुमने ऐसा रिजोल्यूशन रखा, तुम्हारे रिजोल्यूशन को हम टर्न डाउन करते हैं और उसी कोर्ट ने दूसरा रिजोल्यूशन बिल्कुल उसके विपरीत पास किया। तो ऐसे-ऐसे उदाहरण मौजूद हैं हमारे सामने। कोई कोर्ट अपने अधिकारों के प्रति इतना आगाह हो, तो कोर्ट के अधिकारों को छीनना और चांसलर महोदय के ऊपर नियुक्ति का भार दे देना, कोई तर्कसंगत बात नहीं है। इसी तरीके से एक्जीक्यूटिव कौंसिल की बात है। यदि एक्जीक्यूटिव कौंसिल ने या उसके किसी सदस्य ने किसी मंत्री विशेष की विशेष अनुकम्पा से कहीं कुछ करना चाहा है तो एक्जीक्यूटिव कौंसिल ने डटकर के उसका विरोध किया है और अब उसके उदाहरणों को रखने का समय तो नहीं है। श्रीमन्, यह हमारे पास टाइप्ड कापी है जो कि चीफ मिनिस्टर को मैं आज दूंगा। इसमें माननीय मंत्री जी के कारनामे हैं जिस तरीके से कि वह शिक्षा व्यवस्था को चलाना चाहते हैं। मैं उस पर जाना नहीं चाहता, थोड़े में ही निवेदन करना चाहता था संकेत के लिए, फतेहपुर का बंशगोपाल जी का पत्र है, इसको चीफ मिनिस्टर को दूंगा और मैं अपने हाथ से ही चीफ मिनिस्टर को यह देना चाहता हूं।

श्री शिवनाथ काटजू—प्वाइंट आफ आर्डर। अभी माननीय राजनारायण जी ने 'माननीय मंत्री जी के कारनामे' शब्द का प्रयोग किया है, यह क्या पार्लियामेंटरी भाषा है?

श्री उपाध्यक्ष—'कारनामे' शब्द तो मैं कोई एतराज के लायक नहीं समझता हूं गो कि वह दूसरा शब्द इस्तेमाल करते तो अच्छा होता।

श्री राजनारायण—अब अगर आप कोई अच्छा शब्द, श्रीमन्, बता दें तो...

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। थर्ड रीडिंग में तो जो इस बिल से सम्बन्धित बातें हैं, वही कहने की आवश्यकता है। जो इससे असंगत बातें हैं उन्हें कहना तो उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य के एतराज से सहमत हूं, मैं भी कहने ही जा रहा था कि माननीय सदस्य उसी पर बोलें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, आर्थिक कंट्रोल के सम्बन्ध में मैं कह रहा था और उदाहरण दे रहा था कि आर्थिक कंट्रोल रख करके सरकार वहां की प्रत्येक गतिविधि पर अपना कंट्रोल रखेगी।

डीन आफ स्टूडेंट्स की बात ले लीजिए। मैं बिल्कुल यह सफाई के साथ कह देना चाहता हूं कि मुझे यह सन्देह है, मुझे यह बराबर डर है कि कहीं डीन आफ स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिये आयेगा वह स्टूडेंट्स के वेलफेयर का फेयरवेल तो नहीं कर देगा, हमें यह डर है। नारायणदत्त जी ने उसके बारे में अपनी कुछ शंकायें यहां पर जाहिर कर दी हैं और यूनिवर्सिटी की शिक्षा से सम्बन्धित जो लोग हैं उनसे भी हमारी इस सम्बन्ध में बातें हुई हैं। हमने उनसे कहा कि सरकार तो एक डीन आफ स्टूडेंट्स रखने जा रही है और वह विद्यार्थियों के वेलफेयर की बात देखेगा। माननीय नारायणदत्त जी ने कह दिया कि वह सुई से लेकर बड़ी से बड़ी बात उनके वैवाहिक सम्बन्ध तक की बात को देखे, इतना अधिकार आप उसको दें, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह तो उसके टेम्परामेंट की बात होती है, उसके स्वतः की बात होती है, गांधी जी थे, गांधी जी छोटी से छोटी बात से लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बड़ी से बड़ी बात तक उनके वैवाहिक सम्बन्ध आदि में पड़ा करते थे और उनको निपटाया करते थे। यह किसी कानून से उनको अधिकार नहीं मिला था। तो इसी तरह यह तो देखा जायगा इससे कि डीन आफ स्टूडेंट्स होगा कौन, डीन आफ स्टूडेंट्स की नियुक्ति कैसे होगी? डीन आफ स्टूडेंट्स अगर ऐसा व्यक्ति होगा जो कि विद्यार्थियों का विश्वासपात्र हो, जो कि समाज का विश्वासपात्र हो और जो अध्यापकों का विश्वासपात्र हो, तभी वह यूनिवर्सिटी में जाकर अच्छी तरह से भलाई कर सकता है। तो इन शब्दों के साथ मैं फिर अपने उन डरों को दुहराना चाहता हूं। आज उनका बहुमत है और वे चाहे जैसे इस विधेयक को पास करा लें लेकिन भविष्य ही बतायेगा कि उनका यह विधेयक शिक्षा की प्रगति में साधक है या बाधक है। हमारा निश्चित विश्वास है कि जो विधेयक संशोधित रूप में पास हुआ है, यह कानून बन कर कल शायद आपकी ही मौजूदगी में, हमने कारटून दिखाया था, उसकी तरह से बुल यानी सांड बन कर शिक्षा रूपी पौधा को चर जायगा।

*श्री जोरावर वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, इस अप्रजातांत्रिक प्रणाली के पोषक और भारत की शिक्षा पद्धति के विरोधी विधेयक के प्रति अपने विचार प्रकट करने के पूर्व मैं यह कहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने एफीलियेटेड कालिजों की सीमा निर्धारित करने का जो हमने संशोधन रखा था उसे उन्होंने ४ कर दिया है, उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। दिन भर का भूला भटका शाम को वापस घर आने पर भूला भटका नहीं कहलाता है। लेकिन जिस प्रकार इस यूनिवर्सिटी के कलेवर को चेन्ज करके इसे विकृत किया गया है उसका परिणाम तो भविष्य ही बतायेगा या आने वाली सन्तान बतायेगी। जिस प्रकार कोर्ट में डीनर्स की अनलिमिटेड नम्बर करके उसे पैसे वालों की पाठशाला बनाने का जो प्रयास करने का इन्तजाम किया गया है उसे तो भविष्य ही देखेगा। माननीय मंत्री जी का यह प्रयास ऐसा ही है जैसा कि एक बार, आपको याद होगा, राधारानी जी ने कहा था जिस समय कृष्ण जी की बंशी ने अपनी आवाज़ से संसार को मोहित कर लिया था तो राधारानी ने प्रण किया कि मैं बांस को ही, उसके वंश को ही नष्ट कर दूंगी तो यह बंशी कहां से बनेगी। तो जिस प्रकार उसे कृष्ण जी की बंशी ने नष्ट किया था तो मुझे आशा है, यद्यपि इस बिल में नाना प्रकार के प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं, यद्यपि इससे वहां दासता का रूप पैदा कर दिया गया है, इन बन्धनों के बीच में भी वह विश्वविद्यालय अपने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जोरावर वर्मा]

ज्ञान की नीति से संसार को विमोहित करेगा और माननीय मंत्री जी का यह प्रयास जो मान और गौरव से पैदा हो गया है उसके बारे में वह यह सिद्ध कर देगा कि चाहे कोई कितने ही बन्धन क्यों न लगा दे, लेकिन जिसे प्रगति करनी है वह करके रहेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के टीचर्स को, वहां के विद्यार्थियों को और आने वाले विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी के इस राधा रूपी मान को दूर करने की कृपा करेंगे और कोशिश करेंगे ।

(श्री तेज प्रताप सिंह के खड़े होने पर ।)

श्री उपाध्यक्ष—मैं आपको सिर्फ १ मिनट ही दे सकूंगा ।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—धन्यवाद । यह जो बिल पास हो रहा है मैं समझता हूं कि हमारे सदन के लिये, हमारे शिक्षा मंत्री के लिये और हमारे प्रदेश के लिये यह दुर्भाग्य का दिन है । भविष्य ही इसे बतलावेगा । मैं समझता हूं कि शिक्षा विशारदों की अवहेलना करके हमने जो विचार यहां प्रस्तुत किये हैं और जो धारायें इस विधेयक में हमने रखीं उनसे हमने यूनिवर्सिटी की जो आटोनोमी को छीना है तो उससे जो हमारा अनहित होने वाला है उसको आगे चलकर भविष्य बतलायेगा । मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इसको ध्यान में नहीं रखा है कि किसके साथ यह खेल हो रहा है । हमारे उच्चतर शिक्षा के स्तर को देखते हुये उस स्टैंडर्ड पर ध्यान रख कर हमें गौर करना चाहिये था । यह शिक्षित समाज के लिये चैलेंज है, यह यूनिवर्सिटी के लिये चैलेंज है और यह उत्तर प्रदेश की जनता के लिये चैलेंज है और उसको हमारे टीचर्स, अध्यापक और उच्च शिक्षा से सम्बन्ध रखने वाले लोग स्वीकार करेंगे । और इसके स्वीकार करने में सफल हो सकेंगे और वह दिन ला सकेंगे कि जब हमारा यह विधेयक यहां से हट सकेगा और यूनिवर्सिटी की आटोनोमी की रक्षा हो सकेगी, जिससे भारतवर्ष का मस्तक ऊंचा हो सकेगा और उत्तर प्रदेश का मस्तक ऊंचा हो सकेगा ।

मैं माननीय मंत्री जी को केवल एक चेतावनी देना चाहता हूं । भले ही वह सुनी जाय या न सुनी जाय । उन्हें आग से खेलना नहीं चाहिये । अभी उनका हाथ आग में नहीं पहुंचा है । अभी समय है कि वह अपने हाथ को पीछे हटा लें वरना आग में हाथ ले जाने पर क्या होता है यह सबको मालूम है ।

श्री हरगोविन्दसिंह—श्रीमन्, इस विधेयक के सम्बन्ध में अन्तिम भाषण के समय इतने भाव हमारे मस्तिष्क में आ रहे हैं मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा हूं कि उनको किस प्रकार से व्यक्त करूं और श्री राजनारायण जी, श्री जोरावर जी वर्मा और श्री तेज प्रताप सिंह जी के भाषण को सुनकर मुझे भी तुलसीदास जी की शरण लेनी पड़ती है कि "तुलसी बुरा न मानिये "आगे की आप जानते ही हैं, इसलिये मैं इन बातों में नहीं जाता । श्री राजनारायण जी के भाषण में आज ही नहीं, बल्कि आज से पूर्व भी इस सम्बन्ध में जितने भाषण हुये हैं उनको मैं बड़े गौर से सुनता रहा और ढूंढता रहा कि कुछ बुनियादी बात मिले, लेकिन कभी नहीं मिली । श्री नारायण दत्त जी ने बड़े सुन्दर भाव व्यक्त किये और उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी किसी राजनीति का अखाड़ा नहीं होनी चाहिये । ठीक है, मैं उनके भावों का आदर करता हूं मैं समझता था कि उनके बाद राजनारायण जी यह धृष्टता नहीं करेंगे । लेकिन उन्होंने कहा कि जब कभी भी उनकी सरकार आयेगी तो यह काला कानून नहीं रहेगा ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, आन दी प्वांइट आफ आर्डर, मंत्री जी ने मेरे लिये धृष्टता शब्द कहा है, वैसे मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह शब्द अनपार्लियामेंटरी नहीं है ।

श्री हरगोविन्दसिंह—मैं यह समझता हूं कि लोगों को खुश करने के लिये ऐसे भाव व्यक्त किये गये हैं यदि मैं इसका इस विधेयक के अंशों को लेकर विश्लेषण करूं तो दो ही बात मुख्य हैं ? एक बात तो यह कही गयी कि वाइस चांसलर के सम्बन्ध में है इसमें संदेह नहीं है कि सभी लोगों के लिये यह सर्वमान्य है कि यह स्थान सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान है और इस स्थान की रक्षा हमें अधिक से अधिक करनी चाहिये जिसमें वह विद्यालय में एक स्वच्छ वातावरण स्थापित करने में सफल हो सके । इसलिये उसकी नियुक्ति के सम्बन्ध में जितना विवाद हुआ वह इस माने में शिक्षा-प्रद था और इसमें इस बात का प्रयत्न किया गया कि अच्छी से अच्छी जो रीति निकले वह इस विधेयक में रखें लेकिन जो उनका सुझाव था और जो इस विधेयक में रखा गया उसका महान अन्तर यह है कि उसमें एग्जीक्यूटिव कौंसिल के लिए कोई स्थान नहीं था । एग्जीक्यूटिव कौंसिल इसके सिवाय कि दो आदमियों को चुन दें जो यूनिवर्सिटी से किसी प्रकार से सम्बन्धित नहीं थे, जो न एग्जीक्यूटिव के मेम्बर थे, न कोर्ट के मेम्बर, न टीचर्स के रिप्रेजेन्टेटिव थे । उस संशोधन द्वारा उनके ऊपर एक अछूत पन लग गया था कि वे वाइस चांसलर के चुनाव में कोई हिस्सा नहीं ले सकते थे क्योंकि एग्जीक्यूटिव कौंसिल को इतना ही अधिकार दिया गया था कि उस संशोधन में वह दो ऐसे व्यक्ति को चुन दे जो यूनिवर्सिटी से किसी प्रकार से सम्बन्धित न हों और उन व्यक्तियों के हाथ में यह अधिकार दे दिया गया था कि वह वाइस चांसलर का चुनाव कर दें । श्रीमन्, मैंने यह समझा कि इस संशोधन को मान लेने से हम यूनिवर्सिटी के आटोनोमी का गला घोट देते हैं । जहां हम यह कहते हैं कि हमारे इन विश्वविद्यालयों का सुधार हमारे अध्यापकों द्वारा होगा, हमारे आचार्यों द्वारा होगा, हमारे गुरुजनों द्वारा होगा वहां यह हम अगर संशोधन मान लेते कि वाइस चांसलर के चुनाव में उनको कोई अधिकार नहीं होगा तो यह ठीक उसके वितरीत होता । लेकिन आज तो एक मसल और मशहूर है कि उल्टे हम ही डाटे जा रहे हैं इसके लिये यूनिवर्सिटी की आटोनोमी का हमने वध किया है इसलिये हमने यह संशोधन नहीं माना कि यूनिवर्सिटी से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह ऊंचे से ऊंचा हों कोई हक न दिया जाय । श्रीमन्, यह इस सम्बन्ध में मैंने कहा था कि यदि आचार्य नरेन्द्र देव जी ऐसे व्यक्ति भी किसी यूनिवर्सिटी के कोर्ट या एग्जीक्यूटिव कौंसिल के मेम्बर हो जायं तो उनके ऊपर एक अछूतपन हो जाता है कि वाइस चांसलर के एलेक्शन में उस संशोधन को मान लेने से उनको कोई अधिकार नहीं था । तो इसके लिये हमसे कहा जाता है कि हमने यूनिवर्सिटी की आटोनामी का गला घोंटा । जोरावर जी और तेजप्रताप जी के भी एक्जीक्यूटिव के सम्बन्ध में जो दो संशोधन आज थे और जिन्हें इस सदन ने नहीं माना उस समय नारायणदत्त जी के कहा कि एग्जीक्यूटिव में पैरिटी तो मैंने कर दी और इस बात को भी उन्हें मान लेना चाहिये कि यह उनके दबाव से नहीं किया, उस पर इस सदन में वाद-विवाद भी नहीं हुआ, यह भी इन्कार नहीं कर सकते कि बहुत से संशोधन जो माने गये वह उनके नाम में रखाये गये कि आप अपनी तरफ से दे दीजिये मुझे स्वीकार हो जायंगे, तो एग्जीक्यूटिव कौंसिल का जो संशोधन है यह हमने अपना माना और आप यह देख सकते हैं कि उसमें यह भाव नहीं है कि हम यूनिवर्सिटी को दबाना चाहते हैं । उन्होंने कहा कि उसमें बराबरी तो हो गई लेकिन अधिकांश टीचर नहीं हुये । मैं समझता हूं कि यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित लोगों को उसमें एक सीट ज्यादा मिल गई है । उसमें ४ डीन, १ प्रिंसिपल, १ डीन आफ स्टूडेंट्स, १ रिप्रेजेन्टेटिव आफ दि वार्डेन्स और दो टीचर्स आफ दि यूनिवर्सिटी होंगे, तो इस प्रकार से वे ९ हो जाते हैं और ६ से ५ ये हो गये और ३ इधर हो गये । ८ ये रहे । तो इस तरह से ९ और ८ रहे और एक ट्रेजरर को ले लीजिये तो यह भी ९ हो गये और वाइस चांसलर को आप यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित मान लीजिये तो १० और ९ हो गये । तो इस प्रकार से वह बैलेन्स उन्हीं की तरफ है । तो यह भी इस बात को

[श्री हरगोविन्दसिंह]

साबित करता है कि हम किसी ऐसे नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहते जो कि शिक्षा विशेषज्ञों ने बताया है कि जिससे यूनिवर्सिटी की सुरक्षा हो सकती है। लेकिन मालूम होता है कि जो अभी लंच हुआ था उसमें शायद जोरावर वर्मा जी लायब्रेरी में चले गये और शब्द ढूंढ़ कर ले आये कि किन-किन शब्दों से इस बिल को संबोधित किया जा सकता है। लेकिन जरा उनके संशोधन को सुन लीजिये। यूनिवर्सिटी आटोनामी के आप बड़े भारी हामी हैं और चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में सब अधिकार वहां के प्रोफेसर्स को दिये जायं, लेकिन उनका संशोधन सुन लीजिये जो इस संशोधन विधेयक में नहीं माना गया। एग्जीक्यूटिव कौंसिल के निर्माण में वे कहते हैं वाइस-चांसलर रहे, ट्रेजरर रहे और डीन आफ फैकल्टीज रहे, एक कालिज का प्रिंसिपल रहे, जो सीनियारिटी से रहे, यूनिवर्सिटी का प्राक्टर रहे, एक रिप्रेजेंटेटिव वारडेन्स का रहे और

"Four representatives of the teachers excluding Professors and Heads of Departments"

यह आपका संशोधन था। आगे यह था—

"Four persons to be elected by members of the Court from among themselves, provided that no employee of the University shall be eligible for election."

यह आप आटोनोमी के रक्षक हैं और मैं उसका बड़ा भारी भक्षक हूं। यह आपने एग्जीक्यूटिव कौंसिल के निर्माण का संशोधन दिया था, जिसको मैंने नहीं माना।

श्री राजनारायण—किसका था?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी, श्री जोरावर वर्मा का। और इसलिये नहीं माना कि वे आटोनामी के भक्षक थे।

और तेजप्रताप सिंह का भी संशोधन लीजिये। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि आखिर आदमी को कम से कम यह तो सोचना चाहिये कि मैं क्या चाहता था, और क्या हुआ और दोनों का मुकाबला करके ही अपना निश्चय करना चाहिये कि यह सचमुच में यूनिवर्सिटी की रक्षा होती है या नहीं होती है। आपको भी जरा सुन लीजिये। आपने जो दिया था वह यह था—

"Three teachers of the University, excluding professors and Heads of Departments of the University. Four persons to be elected by the members of the Court, provided that no person in the service of the University shall be eligible for election."

तो आपने संशोधन तो यह दिया एग्जीक्यूटिव कौंसिल के लिए और कहा यह गया कि इस आज के बिल के पास होने का यह दिन इतिहास में बड़े अफसोस का दिन होगा, इसलिये कि यूनिवर्सिटी की आटोनामी की रक्षा नहीं हुई। श्रीमन्, मुझे अफसोस है कि मेरे पास बहुत कम समय है, लेकिन आखिर यह आटोनोमी जो कही जाती है वह है क्या चीज? मूथम ने स्पष्ट कहा है कि यूनिवर्सिटी आटोनोमी वहां कभी भी नहीं हो सकती। विश्वविद्यालय में कोई स्वतंत्रता कभी हो ही नहीं सकती। अगर वहां पार्टी काकसेज है और यह यूनिवर्सिटी की आटोनोमी पर सबसे बड़ा प्रहार है, यह खतरा अगर किसी दिशा से हो सकता है तो बाहर से नहीं हो सकता, अन्दर ही से हो सकता है। और इसी सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि यदि किसी यूनिवर्सिटी में पार्टीबन्दियां हैं, अगर प्रत्येक यूनिवर्सिटी के टीचर को यह डर है कि मैं एक माइनारिटी पार्टी को बिलांग करता हूं, आज मेजारिटी पार्टी आयेगी तो हमको निकाल देगी, तो आज कोई सुनने वाला नहीं है। उसकी स्वतंत्रता क्या है, यह मैं नहीं जानता।

तो इसलिये इस बिल में जो मूल सिद्धान्त रखा गया, वह यह रखा गया कि किसी तरह से इस बात का प्रयत्न किया जाय कि ये पार्टी काकसेज इस यूनिवर्सिटी में न बनें। मैंने पहले कहा था कि चाहे इस बिल में हमको १० दफा संशोधन ले आना पड़े, लेकिन अगर कोई सुझाव ऐसा आया कि जिससे यह संभव हो सकेगा कि यूनिवर्सिटी की काकसेज टूटें तो मैं पहला आदमी हूंगा जो वह संशोधन लाऊंगा।

मेरे सामने एक कठिनाई है और मैं नहीं चाहता था कि जो एक महान् व्यक्ति है उसका नाम यहां लूं, लेकिन फिर भी आज जो उसकी निस्बत कहा गया तो वह मेरी समझ में ठीक नहीं कहा गया। जिस कोर्ट का आपने जिक्र किया है, उस कोर्ट में जब यह प्रस्ताव आया कि एक प्रस्ताव पेश किया जाय या नहीं किया जाय .....

श्री राजनारायण—हमने किस कोर्ट का जिक्र किया है उनको पता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि हाउस समझ गया जिस कोर्ट से आपका मतलब था।

श्री हरगोविन्दसिंह—जिस मीटिंग का जिक्र है उसमें एक इंटरमीडियट कालेज के प्रिंसिपल ने एक प्रस्ताव दिया था। उस प्रस्ताव की शब्दावली मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं। अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं उनको दिखा सकता हूं। उस प्रस्ताव की शब्दावली बड़ी निन्दनीय थी और जिस व्यक्ति के ऊपर कही गयी थी उसने स्वतः कहा कि निन्दनीय है। और वह उस कारण मीटिंग से उठ गये, यह कह कर कि मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर जो प्रस्ताव आया है उस पर मेरी अनुपस्थिति में विचार किया जाय। जब उस व्यक्ति ने उस प्रस्ताव को वापस लेने का प्रस्ताव किया तो मैं समझता हूं कि शायद ६८ या ३८ सदस्य इस राय के थे कि उस प्रस्ताव को वापस न लें। वह वोटिंग मेरे पास है। मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। एक महान् व्यक्ति के व्यक्तित्व को इसमें नहीं लाना चाहिये और मैं समझता हूं कि राजनारायण जी मेरे लिये नहीं तो उनके लिये बड़ी कृपा करके उस मसले को कम से कम न उठाया करें क्योंकि बड़ा भारी व्यक्तित्व है। चूंकि आपने कहा इसलिये मैंने जिक्र कर दिया।

श्री राजनारायण—आप फिर असत्य बोल रहे हैं।

श्री हरगोविन्दसिंह—तो श्रीमन्, यह यूनिवर्सिटी के नाम की रक्षा हुई है। हमने उसमें केवल इस बात का प्रयत्न किया है कि दलबन्दी न हो सके। चुनाव में हमारे टीचर्स और प्रोफेसर न पड़ सकें। और वाइस चांसलर को इसलिये हमने अधिकार दिया है कि जब हम मानते हैं कि वह केन्द्र बिन्दु है विश्वविद्यालय का, जब हम यह समझते हैं कि सारी यूनिवर्सिटी उसके चारों ओर घूमेगी, जब यह समझते हैं कि उसके ऊपर यूनिवर्सिटी का भाग्य अवलंबित है। जिस प्रकार से वह चाहेगा यूनिवर्सिटी को बना सकता है। तो इसलिये यह आवश्यक है कि उसको ऐसे अधिकार भी दिये जायं जिससे वह यूनिवर्सिटी में एक शक्ति उसके हाथ में रहे जिससे वह यूनिवर्सिटी के वातावरण को शुद्ध कर सके। मुझे अफसोस है कि और समय नहीं है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि जो इन लोगों के संशोधन हैं और जो विधेयक मंजूर हुआ है, उनको किसी के सामने रखा जायगा तो यह निर्णय देगा कि वह संशोधन प्रतिक्रियावादी है और यही विधेयक सबसे अच्छा है, जो आज की स्थिति है और जो आज का वातावरण है, उसमें यदि किसी सुधार की आशा हो सकती है तो इसी विधेयक द्वारा हो सकती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—एक बात एक्सप्लेन करूंगा। श्रीमन्, मुझे दुख है कि माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में एक बात बाई इम्पलीकेशन यह सजेस्ट की कि जिन्होंने कुछ संशोधन हमारे पास भेजे और हमने उन संशोधनों को मंजूर कर लिया। क्या बताऊं, माननीय मंत्री जी शायद यह समझते हैं कि वह जिस बात को कहते हैं, सौ

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

फीसदी उनका विरोध करना चाहिये। शायद माननीय मंत्री जी स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि जितनी बातें वह कहते हैं सभी गलत कहते हैं। डीन आफ स्टूडेन्ट्स में एक संशोधन था कि उसमें 'वेलफेयर' बढ़ा दिया जाय। हमने उसको मंजूर कर लिया तो क्या बुरा किया 'वेलफेयर' बढ़ाना कोई बुरा काम नहीं है। ऐसी ही दो एक संशोधन और थे। श्रीमन्, इस प्रकार कहना उनको शोभा नहीं देता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री हरगोविन्दसिंह--संशोधनों के बारे में पहले कहा गया कि आप अपने नाम से दे दीजिये, क्योंकि उस रोज वह संशोधन जो इधर से दिया गया था छपा नहीं। तो उन्होंने कहा कि मेरी ओर से था, दूसरे के नाम में से दिला दिया, जबकि वह संशोधन पहले ही से पहुंच गया था, लेकिन यह दिखलाने के लिये कि वह संशोधन मेरी ही ओर से दिया गया था उन्होंने यह कह दिया।

श्री तेजप्रतापसिंह--पर्सनल एक्सप्लेनेशन। अभी मंत्री जी ने एग्जीक्यूटिव काउन्सिल की चर्चा की उन्होंने मेरे उस पूरे पिक्चर के केवल एक अंग पर प्रकाश डाला और यह निकालना चाहा कि एक्सटर्नल आदमियों को लाकर और इंटर्नल सदस्यों को निकालकर मैं विश्वविद्यालय की आटोनामी खुद से खत्म करना चाहता हूं। लेकिन यह तो फैक्ट्स का डिस्टोर्शन है। मैंने एक्जीक्यूटिव कौंसिल में पैरिटी को रखते हुये इन्टर्नल सदस्यों की संख्या करीब दो से अधिक ही रक्खी है। और फिर चांसलर को तो मेरे संशोधन के द्वारा चुनाव द्वारा मनोनीत करने की व्यवस्था है। इस प्रकार अर्थ लगाना कि मेरा संशोधन आटोनामी को खत्म करने वाला सत्य से परे है.....

श्री उपाध्यक्ष--आप कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं स्पीच के लिये इस समय कोई आज्ञा नहीं दी जा सकती।

श्री तेजप्रतापसिंह--एक्जीक्यूटिव कौंसिल के बारे में यहां पर कुछ कहा गया था।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल (जिला हरदोई)--यह पर्सनल एक्सप्लेनेशन को पूछते हुये भाषण जारी कर रहे हैं तो क्या इस अवसर पर इसकी आज्ञा दी जा सकती है?

श्री उपाध्यक्ष--आप तो भाषण देने लग गये हैं तो इस समय उसके लिये कोई मौका नहीं है।

श्री तेजप्रतापसिंह--मैं तो यह निवेदन करना चाहता था कि.....

श्री उपाध्यक्ष--अब आप कृपा कर बैठ जायं। प्रश्न यह है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ जैसा कि वह अब इस सदन से संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ।

पक्ष में--१०९
विपक्ष में--१७१।)

श्री राजनारायण--श्रीमन्, इस समय बड़ा क्लेपिंग हुआ। मैं इस समय एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल में ३७ क्लाज थे जिनमें से केवल १३ क्लाजेज पर वादविवाद हुआ। इसलिये आप जब तक यह घोषणा करें कि यह विधेयक यहां पास हुआ, उतने समय के लिये हम चाहते हैं कि हम लोग इस सदन में न रहें क्योंकि यूनिवर्सिटीज के सम्बन्ध में यह विधेयक इतना प्रतिक्रियावादी है। और इसने आंतरिक स्वतंत्रता का अपहरण किया है, हम इसे पारित होना सुन नहीं सकते।

(इसके उपरान्त विरोधी दल के सदस्य सदन से उठ कर चले गये, किन्तु कुछ समय बाद पुनः सदन में आ गये।)

*उत्तर प्रदेश विधान मण्डल सदस्य (राष्ट्रीय नियोजन ऋण) (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५४

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (राष्ट्रीय नियोजन ऋण)(अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५४, पर जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(इस समय ४ बजकर १० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न। मैं आपकी आज्ञा से प्रक्रिया नियमावली के नियम ९६ को पढ़ देना चाहता हूं—

"९६—विधेयक से सम्बद्ध पत्र मांगने की शक्ति—(१) जब यह प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाय स्वीकृत हो जाय तो कोई भी सदस्य यह मांग कर सकता है कि ऐसे पत्रों की प्रतियां, यदि कोई हों, जिन पर विधेयक आधारित हो और जो गोपनीय न हों, सदन की मेज पर रख दी जायं।"

अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक हमारे सामन है इसी किस्म के और भी विधेयक यहां उपस्थित किये गये हैं लेकिन सरकार की तरफ से उनके बारे में कोई भी सूचना नहीं दी जाती है कि ऐसे विधेयक को पारित करने की क्यों आवश्यकता हुयी तथा इस कार्य में कितने व्यक्ति लगे हुए हैं जिनके डिसक्वालीफाई (अयोग्य) हो जाने की संभावना है। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि पूर्व इसके कि इस विधेयक पर वादविवाद हो, इसके कागजात हमारे सामने उपस्थित कर दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—(न्याय मंत्री से) आपके पास ऐसे कागजात हैं जिनके आधार पर यह विधेयक यहां लाया गया है।

श्री सैयद अली जहीर—जिस वक्त यह विधेयक यहां रक्खा गया था उस वक्त उनके बारे में कोई ऐसी मांग नहीं की गयी और न अब तक मेरे पास कोई इस तरह की चिट्ठी ही आयी जिसमें यह कहा गया हो कि ऐसे कागजात की जरूरत है। इस वक्त सिवाय फाइल के मेरे पास कुछ नहीं है।

श्री अध्यक्ष—जिस बुनियाद पर यह आधारित है, उसको तो आप बता सकते हैं और उस बीच में आप अपने दफ्तर से उन कागजात को मंगवा सकते हैं।

श्री सैयद अली जहीर—जो आब्जेक्ट्स एंड रीजन्स हैं उनमें लिखा हुआ है नीजबाद में और भी अर्ज कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष—जिन लोगों की अनर्हता निवारण करना चाहते हैं उनके बारे में कुछ लोग जानना चाहते हैं कि ऐसे कितने सदस्य हैं।

श्री सैयद अली जहीर—जिस वक्त यह कौंसिल में था उस वक्त दरियाफ्त किया गया था। उस वक्त तक की फिगर्स तो मुझे मालूम हैं। उसके बाद की फीगर्स नहीं मालूम। उस वक्त तकरीबन २२ आदमी ऐसा काम कर रहे थे, जिनकी डिसक्वालीफिकेशन दूर करने के लिये ऐसा किया गया है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इतना काफी है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—श्रीमन्, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन माननीय मंत्री जी को हमें यह बता देना चाहिये कि अपने प्रारंभिक भाषण में कि कौन-कौन सदस्य

---

*उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक ११ अक्तूबर, १९५४ को छपा है

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

इससे संबंधित हैं और वे किस-किस पद पर काम कर रहे हैं और उनको क्या लाभ हो रहा है। अगर वे हमें इसको नहीं बतायेंगे और हमें अंधेरे में रखकर वे जो कानून बनायेंगे तो यह अनुचित होगा।

श्री अध्यक्ष—अभी आप अपनी बहस जारी रखें और इसी बीच में आप किसी को भेज कर उन कागजात को मंगवा लें और यदि आपके कोई ऐसे कागजात हों तो आप माननीय सदस्य को दिखला भी दें। मैं यह तो उचित नहीं समझूंगा कि आप हरएक आदमी का नाम अपने भाषण में लें लेकिन उनकी जो फेहरिस्त आपके पास हो उसको माननीय सदस्य के पास भेज दें।

*श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल का ताल्लुक है इसकी गरज सिर्फ इतनी थी कि जो नेशनल लोन्स फ्लोट किये गये हैं और जो कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने कई बार पहले भी जारी किया था और अब भी है, उनकी खिदमात मेम्बरान असेम्बली भी कर सकें। और इस तरह से अगर वे उनको बेंचने में मदद दें तो उससे महज यही नहीं कि वे देश की सेवा करते होंगे बल्कि उससे कुछ उनको भी थोड़ा बहुत लाभ, जो कि मुकर्रर है पहले से, जिसमें यह कोई सवाल नहीं है कि किसी शख्स को कोई फायदा पहुंच सकेगा या किस शख्स को मुनाफा हो रहा है, इससे उनको लाभ भी हासिल हो सकेगा। यह गरज इस बिल का था। अब यह कितने मेम्बरान इस वक्त तक उसमें लगे हुए हैं जिन्होंने इससे फायदा उठाया है और कितने इससे लाभ नहीं हासिल कर सके हैं उसके मुताल्लिक मेरा ख्याल है कि अगर इत्तिला मांगी जाय स्पेसिफिकली तो बाद में तफसील के साथ दी जा सकती है लेकिन जहां तक इस बिल की गरज है वह यह है कि जो लोग अभी तक इस काम को नहीं कर रहे हैं वे भी इस प्रकार के काम को करना चाहें तो वे कर सकेंगे और इससे वे डिस्क्वालिफाइड नहीं होंगे। इस विधान सभा को यह मालूम है कि जो हमारा कास्टीट्यूशन है इसकी दफा १९१ के मातहत अगर कोई भी सदस्य कोई ऐसा काम करे जिससे कि उसको मुनाफा हो और वह मुनाफा केन्द्रिय सरकार से हो या प्रान्तीय सरकार से हो तो ऐसी सूरत में वही इस असेम्बली का मेम्बर नहीं रह सकता है। और उसमें यह है कि इसकी इजाजत है हर प्रांत की विधान सभा को कि वह मुस्तस्ना कर दे कि किसी खास तरह की खिदमात अंजाम देने पर उसके एवज में मुनाफा लेने पर दफा १९१ के मातहत कोई मेम्बर डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा। तो इस बात को देखते हुए ऐसा कानून लाने की जरूरत हुयी। ऐसे कानून जहां तक कि दूसरी इस तरह की सभायें हैं वहां बराबर पास होते रहते हैं और जो लोग कि ऐसी खिदमात अंजाम देते हैं और जरूरी समझ कर कि इसके करने में कोई हर्ज नहीं है ऐसे को करने देने के लिये उसी सिलसिले में यह कानून भी पेश किया गया है। खुद हमारे इस सूबे में दो एक कानून इस किस्म के पास हो चुके हैं जिसमें मुख्तलिफ ओहदे पर अगर कोई शख्स हो या कोई सदस्य उसको प्राप्त कर सके तो वह डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा। उसी बुनियाद पर यह कानून भी पेश किया जा रहा है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस बिल का घोर विरोध करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की यह आदत हो गयी है कि एक तरफ तो वे विधान सभा की सैंक्टिटी पवित्रता को स्वीकार करती है और जब हम विधान की धाराओं को बदलने की बात कहते हैं तो यह शिकायत की जाती है कि हम विधान सभा की सैंक्टिटी को नहीं मानते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अक्सर सरकार की तरफ से ही रुकावटें डाल कर उस विधान का उल्लंघन किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, अभी आप भूले नहीं होंगे कि विन्ध्य प्रदेश में कुछ कांग्रेसी पार्टी के मेम्बरों को ऐडवाइजरी कमेटी में वहां की सरकार ने नियुक्त किया जिसमें उनको अपनी असेम्बली के रिन्युमरेशन के अलावा शायद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

१० रु० या ५ रु० डेली एलाउन्स और उसके अलावा कुछ मार्ग व्यय भी दिया जाता था। यह केस भारतीय जनतंत्र के राष्ट्रपति को भेजा गया और जैसा कि नियमानुकूल विधान की धारा है उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था दी कि इस पर एलेक्शन कमीशन की राय ले ली जाय। और एलेक्शन कमीशन ने बिलकुल ही स्पष्ट मत यह दे दिया था कि इन तमाम सदस्यों, जिनकी संख्या लगभग १२ थी, उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाय, लेकिन आपने देखा और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कांग्रेसपार्टी के द्वारा पार्लियामेंट, एलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट के निर्णय के विरुद्ध एक बिल पास कर लिया जिससे सारे के सारे मेम्बर अलग नहीं किये गये और उन मेम्बरों को अलग न करके यह कानून एक ऐसा बनाया गया जिसके जरिये कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा हमारे संविधान का निरादर हुआ। हमारी सरकार की एक आदत ऐसी हो गयी है कि सदन को पूरी सूचना न देकर भी विधेयक पास करा लिया करती है। आपके सामने ही श्रीमन् इस सदन में टेरिटोरियल आर्मी का कानून पास हुआ, एन० सी० सी० का कानून इसी सदन में पास हुआ, इसी सदन में कानून पास हुआ और लेकिन हम नहीं जान सके कि कितने सदस्य टेरिटोरियल आर्मी या एन०सी०सी० में किन पदों पर हैं और उन को वहां से क्या लाभ होता है। मैं फिर कहूंगा कि हमारे प्रदेश में ६ करोड़ ३२ लाख जनता है और हजारों सरकारी कर्मचारी हैं और यदि हम विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या को जोड़ दें तो ५१२ सदस्य सब मिलाकर होते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि उन में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं कि इस तरह का कानून पास करके संविधान की धाराओं की मन्शा के विरुद्ध उन की डिसक्वालिफिकेशन को हटाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह हर्गिज मुनासिब नहीं है, हमारी ड्यूटी तो दूसरी ही है, हम जनता के प्रतिनिधि होने के नाते और सार्वजनिक सेवा का कार्य कर सकते हैं। यह कहां तक मुनासिब है कि टेरीटोरियल आर्मी में जाकर हम अपने को लाभान्वित करें और वहां जाकर वेतन और डी०ए० वगैरह लें यह ठीक नहीं है। हम को यह भी नहीं बतलाया गया कि कौन किस पद पर कहां काम कर रहा है और क्या लाभ पा रहा है। अगर हम जरा देर को मान लें कि नेशनल लोन प्लान में बड़े-बड़े सौ व्यापारियों ने एक-एक हजार या एक लाख या दो लाख रुपया लगाया और किसी पार्टी या कांग्रेस पार्टी के सदस्य के कहने से लगाया या उनकी एजेंसी में वह रुपया गया तो क्या इसकी सम्भावना नहीं है कि अगली बार जब वोट देने का समय आये तो जब एलेक्शन हो तो वह हजारों व्यापारी जो कि रुपया देते हैं वह समझ लें कि उनका तमाम धन उन माननीय सदस्य के जरिये से हुआ है, उन्हीं की सरकार है अगर उन को वोट न देंगे तो हमारा रुपया मुमकिन है मारा जाय इससे कांग्रेस पार्टी को ही वोट दो। इस तरह की दिक्कत हो सकती है और इस तरह से ऐसा करने से राजनीतिक लाभ उठाये जा सकते हैं। मैं जानता हूं कि आफिस आफ प्राफिट एक कठिन शब्द है और इसकी अभी तक परिभाषा नहीं हुयी है, लेकिन अगर किसी भी पद पर रहने से अगर आर्थिक लाभ नहीं भी मिलता है तो वह आफिस आफ प्राफिट कहा जा सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरह से कांग्रेस पार्टी इस तरह के कानून को राजनीतिक कार्यों के लिये प्रयोग कर सकती है। अतः मैं चाहता हूं कि संविधान की धाराओं की मंशा का उल्लंघन न किया जाय और इस विधेयक को पास न किया जाय। विधान सभा के सदस्यों के लिये और दूसरे महत्वपूर्ण कार्य ही काफी हैं। हम कांग्रेस पार्टी के प्लान्स से चाहे सहमत न हों लेकिन सरकार अपने तरीके से जो कुछ भी करना चाहे वह प्रजातंत्र प्रणाली में कर सकती है, हमें उसमें कोई एतराज नहीं हो सकता, लेकिन विधान मंडल के सदस्यों को इस योजना से संबंधित किया जाय और इस तरह का कानून बनाया जाय तो मैं समझता हूं कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की धाराओं को सदन पास न करे क्योंकि ६ करोड़ ३२ लाख की आबादी के बीच में हम ५१२ अन्य लोग इस कार्य को काफी आसानी से कर सकते हैं। हमारे सामने इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण काम हैं।

*श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। आज की परिस्थिति में देश को समृद्धिशाली

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री केशव गुप्त]

और समुन्नत बनाने के लिये रुपये की आवश्यकता है। हमारी पहली पंचवर्षीय योजनायें चल रही हैं और दूसरी पंचवर्षीय योजना को दोबारा हम शीघ्र शुरु करने जा रहे हैं। इन सब के लिये बहुत बड़े धन की आवश्यकता है और धन को हासिल करने के लिये ३ तरीके हो सकते हैं, गवर्नमेंट के लिये। या तो वह दूसरे देशों से कर्जा ले या टैक्स लगाये या यहीं अपने देश के लिये लोग ही उस काम को कर्जा या सहायता देकर अपनी हुकूमत कामयाब बनायें। जहां तक टैक्स का सम्बन्ध है हम देख रहे हैं कि हमारे जो टैक्स लगे हुए हैं उन्हीं से लोगों को कष्ट होता है इसलिये टैक्स लगाना भी इस समय उचित नहीं मालूम होता जब तक उस की नितांत आवश्यकता न हो, टैक्स लगाते समय हमें टैक्स देने वालों की शक्ति को देखना पड़ता है कि जनता उस को दे सकती है या नहीं। जहां तक दूसरे देशों से कर्जा लेने का सम्बन्ध है वह भी किसी हालत में ठीक नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि जिस देश से कर्जा लेना पड़ता है कुछ न कुछ उस देश की नीति का प्रभाव जो कर्जा लेता है उस पर पड़ता है और इसलिये वह नीति समझ में नहीं आती, सबसे अच्छी नीति अगर कोई हो सकती है तो वह यही हो सकती है कि अपने देशवासियों से ही जिनके पास रुपये हैं, फालतू हैं इस काम के लिये कर्ज लें, सहायता लें, और हमसे जो भी इस काम में, इस पुण्य काम में हाथ बटावें वे वास्तव में पुण्य के भागी हैं। हमारे भाई रामनारायण जी ने कहा कि इससे संविधान की अवहेलना होती है। मैं कहता हूं कि संविधान ने हमको बतलाया है कि अगर इस प्रकार की डिस्क्वालिफिकेशंस जो संविधान में दी गयी हैं ऐसे कार्यों के सम्पन्न करने में आती हैं तो वह हम कानून के जरिये से रफा कर सकते हैं और वह हम कर रहे हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी जब-जब लड़ाई के जमाने में आवश्यक हुआ इस प्रकार के डिस्क्वालिफिकेशंस को रिमूव करने के विधान बने हैं। हमारा आज का जो समय है वह लड़ाई से कम नहीं है, लड़ाई से भी ज्यादा है। हमें अपने मुल्क की गरीबी को दूर करना है, देश की बेकारी को दूर करना है। और इस कारण यह पंचवर्षीय योजना को चलाने का काम लड़ाई से कहीं अधिक महत्व रखता है और इसलिये इस काम में सब का हाथ बटाना आवश्यक है और भाई भी इस में हाथ बटाते हैं, वे शुक्रिया के मुस्तहक हैं और यदि इस हाथ बटाने में कोई दिक्कत हो, कोई रुकावट हो तो उनको दूर करना हमारा कर्त्तव्य हो जाता है। भाई रामनारायण जी ने फरमाया कि उससे मेम्बरान फायदा उठायेंगे मैं कह सकता हूं और मुझे मालूम है कि बहुत से मेम्बरान इसमें हाथ बटा रहे हैं। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सदस्य है यह ठीक नहीं है और यों तो सभी सदस्यों को इसमें कार्य करना चाहिये, यह सदस्यों में डेप्रेशियेशन नहीं करता, सभी को मौका देता है, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों उनको मौका देता है और सभी की डिस्क्वालिफिकेशंस को हटाता है। एक बात में मैं माननीय मंत्री जी से भी अपना इख्तिलाफ प्रकट करता हूं और वह यह है कि इससे कोई लाभ पहुंचेगा। मुझे मालूम है कि बहुत से सदस्य इधर के भी और उधर के भी इसमें भाग ले रहे हैं। लेकिन सभी ने पुण्य कार्य समझकर ही भाग लिया है और ले रहे हैं। जो प्राफिट इसमें मिलता है उसको हर एक भाई ने लेने से इन्कार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि चाहे कानून इजाजत देता है लेने की लेकिन हम इसे सेवा का पुण्य कार्य समझते हैं और हम लाभ हासिल करने के लिये तैयार नहीं हैं इस काम में रुपया लाने के लिये देशसेवा समझकर लगे हुए हैं और जो यह मंत्री जी ने कहा है कि लाभ पहुंचाने का इसमें इशारा है, मतलब है मैं इससे बिलकुल इत्तिफाक नहीं करता। और इसमें मैं अपने माननीय सदस्यों का अपमान भी समझता हूं, क्योंकि हमारे विधान सभा के सदस्य इस लोभ से काम करने वाले नहीं हैं। पूंजीवादी मनोवृत्ति विधान सभा के मेम्बरों की हो जाय मैं ऐसा नहीं समझता। वे इसको पुण्य कार्य समझ कर ही नेशनल प्लान लोन इकट्ठा करते हैं, वे देशसेवा की भावना से प्रेरित होकर ही भाग ले रहे हैं और इसको इकट्ठा कर रहे हैं। भाई रामनारायण जी ने यह भी कहा कि ६ करोड़ आदमी हमारे सूबे में हैं और हमारे आफिसर्स हैं तब इन पांच सौ आदमियों की क्या जरूरत है। इसकी सबसे बड़ी जरूरत है। यह काम आफिसरों से नहीं हो सकता। आफिसरों का दबाव हो सकता है। आफिसर तो दूसरे तरीके से वसूल करता है। जिसको हम पसन्द नहीं करते। मुझे मालूम

है कि एक जगह एक डिप्टी कलेक्टर साहब रुपया वसूल करने के लिये गये। मैं भी मीटिंग में था। उन्होंने कहा कि यह पुण्य का कार्य है तुम लोग इसमें सहायता करो और रुपये को अदा करो। उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं भी अदा करोगे तो दूसरा तरीका है जिससे हम वसूल कर लेंगे। मैंने कहा उस समय कि चाहे जितना ही पुण्य कार्य क्यों न हो अगर आप दूसरे तरीके से वसूल करते हैं तो हम एक पैसा भी नहीं वसूल होने देंगे। तो वास्तव में बात यह है कि यह चीज जबरदस्ती वसूल करने की नहीं, यह तो हमारा और आपका काम है। हम और आप लाख, डेढ़ लाख जनता के प्रतिनिधि हैं, इतनी बड़ी जनता के प्रतिनिधि हो कर हम यहां आये हैं, हमारे शब्दों में, हमारे कहने में लोगों का विश्वास है, अगर हम और आप इस काम में जुटेंगे तो बहुत ज्यादा काम हो सकता है। एक अफसर जहां सौ रुपया वसूल कर सकता है वहां हम एक हजार और दो हजार रुपया देश के लिये और सरकार के लिये, सरकार के धनकोष के लिये जमा कर सकते हैं। हमारा अच्छा प्रभाव पड़ता है और इसलिये इस काम में हमें काफी सहूलियत होगी और इसलिये हमारे इस काम में हाथ बंटाने की नितांत आवश्यकता है। अगर इसको करने में कोई डिस्क्वालिफिकेशन आती है संविधान की धाराओं के अनुसार, चाहे हम उसका पैसा न लेते हों, वह एक आफिस आफ प्राफिट होते हुए भी चाहे वह हमारे लिये आफिस आफ प्राफिट न हो, लेकिन अगर ऐसा है तो यह उनके ऊपर एक ज्यादती होती है और इसको दूर करने के लिये इस प्रकार का यह विधेयक लाना हमारी सरकार के लिये नितांत आवश्यक था, जरूरी था और यह विधेयक एक अच्छे समय पर लाया गया है इसलिये मैं इसका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हम एक मत हो कर इस विधेयक को पास करेंगे।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज माननीय न्याय मंत्री जी ने जो हमारे सामने राष्ट्रीय ऋण योजना का विधेयक पेश किया है मैं उसका स्वागत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे खुशी है कि इस राष्ट्रीय ऋण योजना के लिये आज देश में इसकी भारी आवश्यकता है। जब कभी भी देश को धन की जरूरत हुयी है तब तब देशवालों ने अपने को इस कार्य में पीछे नहीं रखा है। मैं एक दृष्टांत इस सम्बन्ध में देना चाहता हूं कि जब महाराणाप्रताप सिंह को रुपये की, धन की आवश्यकता हुयी तो उस समय भामाशाह ने अपना खजाना खोल दिया था अपने देश को बचाने के लिये, अपने देश की गरीबी को बचाने के लिये, अपने मान-सम्मान को बचाने के लिये और उसके उत्थान के लिये। तो आज यह राष्ट्रीय योजना का बहुत भारी महत्व इसलिये है कि हमारे देश के सामने जैसा कि माननीय केशव गुप्त जी ने कहा कि पंच वर्षीय योजना है उसको पूरा करने के लिये, जिसमें कि देश की उन्नति की बहुत सी योजनायें हैं, धन की आवश्यकता है। धन चाहे गरीबों से आये अथवा धनपतियों से, इसमें हमें गरीब से लेकर अमीर तक जितना जिससे हो सके लेना है और यह एक उनके लिये पुरुषार्थ का कार्य है, क्योंकि इससे उनको भी लाभ होगा। उनका भी रुपया सुरक्षित रहेगा और उनको लाभ भी पहुंचेगा और साथ ही दूसरों को भी लाभ पहुंचेगा। हमें अपने देश की उन्नति में ही अपनी उन्नति समझना है। जो दूसरों की उन्नति में अपनी उन्नति समझता है वह पुरुषार्थ का भागी होता है तो यह सारी चीजें हमारे सामने हैं। हमें इन सब बातों को देखते हुए और अपने सामने रखते हुए इस काम को पूरा करना है। यह आवश्यकता हम दूसरे देशों से भी पूरी किया करते थे लेकिन उसके लिये पता नहीं क्या-क्या चीजें उनसे वायदा किया करते थे, पता नहीं किस-किस तरह उनके ऋणों को चुकाया करते थे और उन देशों की नीति का असर भी, ऐसा करने में, हमारे देश की नीति पर पड़ता था उन बातों से बचने के लिये, अपने को एक स्वतंत्र कहलाने के हकदार होने के नाते भी जरूरी है कि अपनी आवश्यकताओं को अपने देश में ही पूरा किया जाय। हर अमीर और गरीब की यह भावना होनी चाहिये हमें अपने देश की योजना को कामयाब करना है, अपने देश को दूसरे देशों से ऊंचा ले जाना है, उन्नति करना है और इसमें सभी का सहयोग होना चाहिये, उन भाइयों का भी जो इसके विरोधी हैं, जो किसी ढंग से या किसी प्रेरणा से इसका विरोध कर रहे हैं। इसमें कोई पक्षपात किसी कांग्रेसी सदस्य या गैर-कांग्रेसी सदस्य या किसी पार्टी का नहीं है। तो जो कि अधिकार

[श्री रामदास आर्य]

किसी कांग्रेसी सदस्य को प्राप्त हैं वही दूसरों को भी हैं। इसमें कोई विचार लाभ का मैं भी समझता हूं कि नहीं होना चाहिये। यह तो एक पुरुषार्थ का कार्य है कि हम नम्रतापूर्वक इस स्कीम को दूसरों तक पहुंचायें, इसका प्रचार करें, प्रचार के द्वारा उन को, जनता को यह सारी बातें बतायें कि आज धन की आवश्यकता है देश के उत्थान के लिये। तो मैं समझता हूं कि इसके उद्देश्य बताते हुए जनता में प्रेम पैदा करें और जब इस प्लान योजना को और इस ऋण योजना को हमारे देशवासी समझेंगे तो इसका सत्कार करेंगे और इस थोड़े से ही समय में हमारा देश दूसरे देशों से जो ऋण लेते थे उससे उऋण हो जायगा और हम अपने पैरों पर खड़े होंगे और देश की योजना को सफल बना सकेंगे।

हमारे देश में बेरोजगारी है, गरीबी है, हमारा एक गरीब तबका जो शेड्यूल कास्ट कहलाने वाला है, उसको जो आर्थिक समस्यायें हैं उनको दूर कर सकेंगे। दूसरे और गरीब भाई जो और प्रकार से उन्नति नहीं कर पाये हैं, नाना प्रकार के उद्योग-धंधे खोल करके उनको हम इस तरफ लायेंगे और उनको भी इससे लाभ होगा। जो इसमें थोड़ा बहुत ऋण देंगे उनका धन सुरक्षित रहेगा। तो यह सारी बातें इस प्रकार की हैं, जो हमारे सब देशवासियों में एक प्रेम भाव पैदा करेगी। मैं रामनारायण जी का ध्यान इस तरफ दिलाता हूं कि वह कोई द्वेष भावना इस बात से न सोचें और अपने हृदय में इस बात का अन्दाजा न लगायें कि इससे कोई ऐसा वातावरण पैदा होने वाला है जिससे उनके हृदय को तकलीफ हो। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इससे किसी को कोई कष्ट नहीं होने वाला है। अपितु इससे सारे देश को लाभ होगा। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं और सब साथियों से आशा करता हूं कि अपने-अपने क्षेत्रों में जा करके समझायें और इससे लाभ उठाने की कोशिश करें।

(श्री अध्यक्ष ने श्री अवधेश प्रताप सिंह का नाम पुकारा।)

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--अध्यक्ष महोदय, मैं क्लोजर मूव करता हूं।

श्री अध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य को (श्री अवधेश प्रताप सिंह) को अवसर दे चुका हूं।

*श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के विरोध में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैं चाहता हूं यह था जबकि माननीय मंत्री जी भाषण दे रहे थे कि वह इस विषय पर अधिक प्रकाश डालने का प्रयास करते। परन्तु दुर्भाग्यवश वह इस पर बहुत ही मुख्तसर तकरीर करके बैठ गये जिससे निश्चयात्मक रूप से इस विधेयक पर विचार प्रकट करना कुछ मात्रा में कठिन प्रतीत होता है। मान्यवर, मुझे आज सदन में यह पहला अवसर है जबकि विशेष रूप से मुझे यह हर्ष प्राप्त हुआ हो कि हमारे माननीय रामनारायण जी भारत के संविधान की दुहाई दे रहे हैं। आज उसकी सैंक्टिटी पर उनका भरोसा हुआ, उसके रक्षक बने। जो कल तक उसके भक्षक थे तो मैं समझता हूं कि यह भारत और प्रदेश की उन्नति में बहुत कुछ अच्छा दिखायी दे सकता है। श्रीमन्, जहां तक संविधान में इस बात के लिये डिस्क्वालिफिकेशन थी जहां पर यह अधिकार दिया गया पार्लियामेंट को और प्रदेशीय विधान सभा को कि वह मुस्तसना कर सके, एग्जेम्पट कर सके। परन्तु मैं यह नहीं समझ पाया कि जहां तक इस विधेयक का प्रश्न आता है माननीय मंत्री महोदय को किसलिये यह आवश्यकता प्रतीत हुयी। श्रीमन, इसके लिये आज बिल में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से लेकर और जितने भी दूसरे पदाधिकारी हैं, वह इसका प्रोपेगेंडा, इसका प्रचार भली-भांति कर सकते हैं और श्रीमन्, जो माननीय सदस्य इसके विषय में अपना विचार प्रगट करना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहते हैं, जहां तक इस प्रदेश या भारत के निर्माण का प्रश्न है, जब तक कि वह व्यक्ति देशद्रोही न हो, तब तक उसको इस नीति में किसी भी माने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, उसका विरोध किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता है। परन्तु क्या आवश्यकता है कि हमको किसी प्रकार का कमीशन मिले या सम्भवतः भविष्य में चलकर कहीं उनको किसी तरह की तनख्वाह भी दी जा सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में जबकि जनसेवा का यह जो विचार हमारा है, हम उसको प्रगट करना चाहते हैं तो कोई कठिनाई हमें नहीं है। हमारा यह मौलिक अधिकार है कि हम उन विचारों को व्यक्त कर सकें, कांस्टीट्यूशन में यह गारन्टीड है, श्रीमन्, तो जहां तक कमीशन देने का प्रश्न उठता है, यही नहीं बल्कि मेरे जिले में भी इसकी कमेटी हुयी थी उस समय भी मैंने कहा था जिलाधीश महोदय से कि व्यक्तिगत रूप से मैं इसका विरोधी हूं क्योंकि यह कमीशन लेना हमारे लिये किसी प्रकार से भी उचित नहीं माना जा सकता है। अगर कोई रकम देना चाहे, यदि उचित भी हो लेना तो भी इस सम्मानित सदन के सदस्य होने के नाते हमें सदैव यह सोचना चाहिये, इस पर विचार करना चाहिये और गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये कि कोई ऐसा मुनाफा इस तरह का न हो जिससे कि दूसरे हम पर उंगली उठा सकें। श्रीमन्, वह सिद्धांत की बात अलग है। धन की आवश्यकता है। इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई विरोध नहीं है। इसके लिये आपके पास अनेकानेक साधन और उपाय हैं। और कोई भी सदस्य यदि वह यह चाहता है कि इसके लिये प्रयत्न और प्रयास करे तो कोई बाधा उसके सामने नहीं है। श्रीमन्, मैंने माना, एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि हाउस आफ कामंस में या विलायत में भी जबकि ऐसी परिस्थिति आयी महायुद्ध के समय में तो इस तरह के नियम वहां भी आये। श्रीमन्, मैं उनका इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उस परिस्थिति में और इसमें बहुत ही अन्तर है। मैं ने यह माना कि वह एक ऐसी इमर्जेंसी थी और यह भी ठीक है कि इस चीज को हम वार फूटिंग समझकर, उस आधार पर काम करें, प्रयास करें लेकिन यह कहना कि वार फूटिंग है, वार कंडीशन है, यह गलत है। उस लगन के साथ आप भले ही काम कर लें लेकिन आज वह इमर्जेन्सी नहीं है। आज इसी जगह नहीं, बल्कि सारे भारत में सब जगह बावजूद इसके कि लोग कानून बनाते हैं, लायक हैं, काबिल हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश जहां तक इमर्जेंसी शब्द की परिभाषा का प्रश्न है, श्रीमन्, मैं नहीं समझता, कभी नहीं समझ पाता कि इसको समझने में क्यों लोग असमर्थ हैं। इमर्जेंसी एक ऐसी परिस्थिति है जबकि उसमें हर प्रकार से चारों तरफ एक विशेष बातों का आभास मिलता हो, जबकि आर्डिनरी कंडीशन से बहुत ही परे दूसरी कंडीशन रहती है। आज डिक्शनरी को अगर देखा जाय तो मालूम पड़ेगा कि भारत वर्ष में आज उसको कुछ दूसरे ही माने दे दिये गये हैं। दुर्भाग्यवश जब कि कांस्टीट्यूशन अमेंड किया गया, कुछ तो गलती हम लोगों की हुयी, कुछ समझने और बूझने में भी फर्क हुआ और आज तक यह समझ में नहीं आता है कि इमर्जेंसी किसको कहते हैं और साधारण स्थिति क्या है। श्रीमन्, जहां तक उनकी नेकनीयती का सम्बन्ध है, मुझे उनकी नेकनीयती पर हमला करने का कोई भी अवसर नहीं दिखायी देता है। अगर यह होता कि केवल कांग्रेसी सदस्य के लिये यह ह तो तब उस समय तो यह कहा जा सकता था कि आप एक दल के साथ पक्षपात कर रहे हैं उनके लिये आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं।

मगर इस समय कोई ऐसी परिस्थिति है नहीं। मुझे उनकी नेकनीयती पर आक्षेप करने का कोई मौका नहीं है। आज जबकि जनता की पुकार और देश की डिमांड है कि त्याग होना चाहिये और उसके साथ हम जनता की सेवा में आगे बढ़ें और २४ घंटे अग्रसर रहें, तो मैं नहीं समझता कि आपकी यह कोशिश संलग्न होने में कैसे बाधक है। क्या जरूरत है कि जब तक कोई मुनाफा न हो, चाहे वह कुछ सौ रुपये का ही क्यों न हो, उसके बिना कोई काम ही न किया जाय? हजार या २ हजार रुपये से भी कोई अमीर से गरीब या गरीब से अमीर नहीं बन जाता है मगर हमको ऐसा काम करना चाहिये कि कोई हमारे सदन के माननीय सदस्यों की ओर उंगली न उठा सके। हमारा स्तर थोड़ी सी रकम को छोड़ देने से ऊंचा

[श्री अवधेशप्रतापसिंह]

होगा। लोग यह कह सकें कि जो कुछ भी धन हमको आप देने जा रहे थे हमने उसे सहर्ष अस्वीकार किया। जहां तक विधान की आपत्तियां हैं, मैं पहले ही कह चुका हूं कि कोई एमर्जेंसी नहीं है। जहां तक उनकी तकरीर का ताल्लुक इससे है कि इस सदन को अधिकार है, वह ठीक है। लेकिन जो यदि १०, १२ लोग इसमें काम कर रहे हैं वह भी अगर इससे अलग हो जावें कि मुनाफा न लें तो इस सदन का स्तर और भी ऊंचा होगा। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री रामनरेश शुक्ल---मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है मगर यह अपील करना चाहता हूं कि जो १५ मिनट बाकी हैं उनमें से ५-६ मिनट नेता विरोधी दल को और बाकी मंत्री जी को दे दिये जावें क्योंकि माननीय मंत्री जी तो बहुत छोटी तकरीर करने के आदी हैं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---(श्री रामनारायण जी की ओर संकेत करके) अब मैं इस समय भाषण के लिये अवसर तो नहीं दूंगा। पहले तो आप उत्तर देंगे। जिस वक्त थर्ड रीडिंग होगी उस समय मैं राजनारायण जी को मौका दूंगा कुछ अपने मत का एक्सप्रेशन करने का।

*श्री सैयद अली जहीर---अध्यक्ष महोदय, जहां तक उस गरज का ताल्लुक है जिसके लिये यह बिल पेश किया गया है, यानी यह कि अगर माननीय सदस्य इस कौमी काम में हाथ बंटावें और देश के सामने अपनी आर्थिक हालत को दुरुस्त करने की जरूरत दरपेश है, इसमें शरीक हों, इसमें तो किसी को एतराज नहीं है। जहां तक मैं तकरीरों के माने समझा ज्यादातर यह कहा गया है कि अगर माननीय सदस्य यह बगैर मुआवजे के करें और यह समझ कर कि यह देश का काम है और उनका फर्ज है तो ज्यादा अच्छा हो और इसके लिये इस कानून की जरूरत नहीं है। मैं माननीय सदस्यों की इन दफात की तरफ तवज्जुह दिलाऊंगा जो रखी गयी हैं। इसके माने यह नहीं है कि जो शख्स एजेंट बनेगा या कर्जा जमा करने का काम करेगा तो उसको लाजमी होगा या जरूरी तौर पर उसको कमीशन लेना पड़ेगा क्योंकि दफा तीन के आखरी अल्फाज यह हैं कि "चाहे वह ले या न ले" तो यह उसकी खुशी पर है। बात यह है कि जिस वक्त कोई सदस्य रुपये पैसे की जिम्मेदारी लेता है तो तरह तरह की जिम्मेदारियां उसके ऊपर आजाती हैं। इस तरह से काम नहीं होता है जिस तरह से चाहे करें या जितना चाहे करें बाकी की परवाह न करें। इसलिये आब्जेक्ट यह है कि जो काम करे वह बहैसियत एजेंट के करें, चाहे मुआवजा ले या न ले। लेकिन एजेंट होने पर हर शख्स पर जिम्मेदारी आजाती है। वही हम चाहते हैं कि जो शख्स कर्जा जमा करने का काम अपने ऊपर ले, देश का रुपया पैसा जमा करने का काम अपने हाथ में ले तो उसको इस काम में एजेंट की हैसियत होनी चाहिये।

जब वह एजेंट होगा तो यकीनन यह सवाल उठेगा कि कांस्टीट्यूशन की १९१ के मातहत वह लेजिस्लेचर का मेम्बर रह सकता है या नहीं। आफिस आफ प्राफिट के जो अल्फाज हमारे कांस्टीट्यूशन में लिखे गये हैं वह यह हैं कि---

"A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament:—

(a) If he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State, other than an office declared by Parliament by law not to disqualify its holder"

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यानी अगर वह गवर्नमेंट आफ इंडिया में या सूबे की गवर्नमेंट आफिस आफ प्राफिट होल्ड करता है तो वह इसके मातहत मेम्बर नहीं रह सकता है। सिर्फ एक बात से मुस्तसना हो सकता है कि स्टेट लेजिस्लेचर कानून पास करके मुस्तसना कर दे। आप गौर करें कि अगर कोई शख्स एजेन्सी लेता है तो यह कहा जा सकता है कि यह आफिस आफ प्राफिट होल्ड कर रहा है चाहे वह मुआवजा ले या न ले और इसकी तारीफ कहीं नहीं है। इसको तय करना पड़ेगा हवालों से, उन फैसलों और कानून के मातहत जो इंगलिस्तान में हुये हैं और उसमें तय हो चुका है। इसके माने यह नहीं है कि उसके साथ कोई मुआवजा लगा है। ऐसी सूरत में जो उत्तर प्रदेश की सरकार से कर्जा जमा करने की एजेंसी लेगा तो यह कहा जा सकता है कि वह आफिस आफ प्राफिट होगा और उसका मुआवजा ले या न ले यह तो उसका काम है तो उसे इससे मुस्तसना करना है ताकि कोई शख्स यह न कह सके कि मेम्बर इसमें हिस्सा न लें। अगर यह ख्याल हो कि माननीय मेम्बर्स इसमें हिस्सा न लें तब तो इसकी मुखालिफत हो सकती है लेकिन अगर आप यह कहें कि यह इतना बड़ा काम है और जरूरी काम है और इसमें खास तौर से माननीय सदस्यों को हिस्सा और दिलचस्पी लेना चाहिये और रुपया जमा करना चाहिये तो मैं कहूंगा कि इस कानून की जरूरत है और इसको पास करना चाहिये। इस कानून को लाने की यही वजह है। इसमें मुआवजे या मुनाफे की बात नहीं है। एजेन्ट बनकर अगर कोई रुपया जमा करेगा तो वह आफिस आफ प्राफिट हो जायगा और उसको मुस्तसना कराने के लिये हमें कानून लाना पड़ेगा। इसलिये इसकी जरूरत है इसलिये इसको हमें पास करना पड़ेगा। इसके माने यह बिलकुल नहीं है कि जो शख्स इसमें काम करे वह लाजमी तौर पर मुनाफा हासिल करे या कमीशन ले। इसीलिये इसमें विदआउट प्राफिट अल्फाज रखे हैं। जो शख्स इस काम को एवज में गवर्नमेंट से रुपया नहीं लेना चाहते हैं वह न लें। मैं इन अल्फाज के साथ यह अर्ज करता हूं कि इसकी जरूरत आप हजरात समझ गये होंगे और इसे मंजूर फरमायेंगे।

श्री रामनरेश शुक्ल—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन ५ बजे के बाद भी तब तक बैठा रहे जब तक यह विधेयक पास न हो जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं इसके ऊपर राय बाद में लूंगा पहले इस पर ले लूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (राष्ट्रीय नियोजन ऋण) (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५४ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन तब तक ५ बजे के बाद भी बैठा रहे जब तक यह विधेयक पारित न हो जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

२—इस अधिनियम में विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल होने पर: परिभाषाएं।

(क) "गवर्नमेंट सिक्योरिटी" का वही अर्थ होगा जो इंडियन सिक्योरिटीज ऐक्ट, १९२० में उसे दिया गया है,

(ख) "नेशनल प्लैन सर्टिफिकेट" (राष्ट्रीय नियोजन प्रमाण-पत्र) में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

[१] बारह वर्ष का नेशनल सेविंग्स सर्टीफिकेट (12 years National Savings Certificate);

[२] दस वर्ष का नेशनल प्लान सर्टीफिकेट (10 years National Plan Cerificate);

[३] अन्य कोई बचत का प्रमाण-पत्र (Savings Certificate) या गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसे राज्य सरकार इस सम्बन्ध में विज्ञापित करे; और

(ग) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

राज्य विधान मंडल की सदस्यता के लिये अनर्हता का निवारण।

३—एतद्द्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है कि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश विधान सभा अथवा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने के लिये और सदस्य रहने के लिये इस कारण अनर्ह (disqualified) नहीं होगा और न कभी अनर्ह हुआ समझा जायगा कि वह नेशनल प्लैन सर्टीफिकेट की, भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निश्चित कमीशन पर अथवा बिना ऐसे कमीशन के, बिक्री कार्यान्वित करने अथवा उनके निमित्त चन्दा एकत्रित करने के लिये अभिकर्त्ता (agent) है अथवा भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन इस प्रकार का अन्य पद ग्रहण किये हुए हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खण्ड १

उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (राष्ट्रीय नियोजन ऋण, (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५४

उत्तर प्रदेश विधान मंडल के सदस्यों को राष्ट्रीय नियोजन ऋण योजनाओं में अपना उचित योग देने के लिये समर्थ बनाने के निमित्त तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद १९१ के खंड (१) के उपखंड (क) के अधीन उक्त प्रकार के योग देने के कारण उन्हें उत्पन्न होने वाली अनर्हता के विरुद्ध व्यवस्था करने का

विधेयक

देश के उत्थान के निमित्त परियोजनाओं (projects) को वित्त-पोषित करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार ने नेशनल सेविंग्स सर्टीफिकेट जारी करने की योजना (Scheme) प्रचलित की है,

इस राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में विधान मंडल के सदस्यों को अपना उचित योग देने के लिये समर्थ बनाने के निमित्त भारत के संविधान के अनुच्छेद १९१ के खंड (१) के उपखंड (क) के अधीन उक्त प्रकार का योग देने के कारण (by so partaking) उन्हें उत्पन्न होने वाली अनर्हता के विरुद्ध तत्काल व्यवस्था करना आवश्यक है;

अतएव भारत के गणतंत्र के पांचवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (राष्ट्रीय नियोजन ऋण) (अनर्हता निवारण) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सैयद अली जहीर—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (राष्ट्रीय नियोजन ऋण) (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५४, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, यों तो यह छोटा सा विधेयक है और इस विधेयक में माननीय मंत्री जी ने जो अपनी मंशा जाहिर की वह भी एक तरह से अच्छी ही है। राष्ट्र के उत्थान और देश के विकास के लिये जो नेशनल प्लान लोन लिया जा रहा है और उसके लिये जो सर्टिफिकेट्स जारी किये जा रहे हैं उसके सम्बन्ध में कुछ एजेन्ट्स की नियुक्ति होगी। माननीय मंत्री जी ने और सरकारी पक्ष के एक दो सम्मानित सदस्यों ने इस विधेयक के औचित्य को साबित करने के लिये ब्रिटिश पार्लियामेंटरी पद्धति को भी वादविवाद में रख दिया। मैं चाहता हूं कि यह सदन उस भाव को दूर कर दे कि ब्रिटेन में भी ऐसा ही होता रहता है इसलिये यहां भी यदि हो जाय तो कोई बहुत बड़ी आफ़त नहीं है। अगर यहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंटरी हिस्टरी (इतिहास) को देखा जाय जिसकी कि क़रीब हिन्दुस्तान में अब भी नक़ल हो ही रही है तो सम्मानित सदस्य इस बात को देखेंगे कि हर मौक़े पर जब यह बात आयी है कि डिसक्वालिफ़िकेशन (अनर्हता) को हटा दिया जाय तो यहां तक वहां बहस में बातें आयी हैं कि डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज, इन लोगों तक को भी वहां बहस में यह माना गया है कि इनकी प्लेस भी प्राफ़िट की प्लेस है और वहां पर उनकी तादाद मुक़र्रर कर दी गई है। जब यह देखा गया कि नहीं, ऐसे मौक़े आ सकते हैं कि मिनिस्टर को डिप्टी मिनिस्टर की ज़रूरत पड़े तब भी वहां के हाउस ने यह छूट नहीं दे दी कि जितने चाहें उतने डिप्टी मिनिस्टर या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी बना दिये जायं। उन्होंने तादाद निश्चित कर दी। कहीं कहीं ५ कर दी, कहीं ७ कर दी और मैं एक डिबेट पढ़ रहा था, उसमें भी यह बात आई कि नहीं, इसको अनलिमिटेड नहीं छोड़ा जा सकता। इसमें तादाद मुकर्रर हो जानी चाहिये कि मिनिस्टीरियल पोस्ट्स में भी लोग लें तो कितने लोगों को लें। आख़िर इस डिसक्वालिफिकेशन का क्या मतलब होता है, इसको पहले गौर कर लेना चाहिये। यह मतलब होता है कि एक्जिक्यूटिव या सरकार इन विधान सभा के सदस्यों को, जिनका काम कि कानून बनाना होता है, उसमें प्रभावित न करते रहें और उनको येन-केन-प्रकारेण ऐसी ऐसी जगहों पर न रखते रहें जिससे वह अपनी स्वतंत्रता और आजाद तबियत को छोड़ करके सरकारी इच्छा की पूर्ति में बराबर लगे रहें। इसलिये कि यदि वह सरकार के हर समय अपने को नजदीक पायेंगे, सरकार की नीति-रीति के समर्थक होंगे, तो सरकार उन्हें ऐसी जगहों पर रख दिया करेगी। इसलिये बड़ा जोर दिया गया है ब्रिटिश पार्लियामेंट की हिस्ट्री में कि इन डिसक्वालिफिकेशंस का क्लाज रहना चाहिये और इसमें ढिलाई नहीं होनी चाहिये।

श्रीमन्, मैं इस सम्बन्ध में एक वाद-विवाद पढ़ रहा था और उसमें से थोड़ा सा आप की इजाजत से सुना देना चाहता हूं ताकि सदन के सम्मानित सदस्य इस बात को जान लें कि किस तरीके से इसके जो विशारद लोग हैं वह परेशान होते हैं और किस तरह से वह डिसक्वालिफिकेशन को रहने देने के हामी हैं। मैं उसका अनुवाद कर दूंगा। इसमें एक, दो-तीन, चार-पांच, छः कर के आपत्तियां हैं। एक आपत्ति है जो कि करीब-करीब सबको कवर करती है, उसी को मैं पढ़ देना चाहता हूं —

"Sixthly it is, in my opinion highly improper that members of a Legislature should be nominated qua members to the Boards or Commissions

[श्री राजनारायण]

appointed by the Executive. It is even more undesirable that they should be serving on the Boards of the Quasi-Commerical concerns set up by a State in India. A member elected to serve on a Legislature should keep clear of all such activities. In principle the association of members is open to serious objection, in practice their work as Legislators is bound to suffer and may appear to be not altogether as disinterested as the public has a right to expect from those in whom the electors have reposed their trust."

यदि इसके भाव को देखें सम्मानित सदस्य तो वह जान पायेंगे कि विधान सभा के सदस्यों के लिये यह बहुत ही अनुचित बताया गया है कि वह सरकार के द्वारा नियुक्त किसी भी व्यापार के ढंग पर या किसी भी बोर्ड में अपने एसोसियेशन को दें और इस तरीके से बहुत अनुचित बताया गया है कि यदि वह इन जगहों पर जायंगे तो वह अपने कानून बनाने के काम को भी ठीक तरीके से नहीं कर पायेंगे और जिस पब्लिक ने जिस उम्मीद और आशा से अपना विश्वास उनको देकर विधान का काम करने के लिये भेजा है उसको भी वह पूरा नहीं कर पायेंगे।

तो जब मैं इस विधेयक को देखता हूं तो मुझे यह बहुत ही आपत्तिजनक लगता है और मैं यह जरूर निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी से कि इस विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव वापस लें। मैं निवेदन करूंगा कि २२ आदमी हैं कुल। जैसी कि अभी तक सरकार की सूचना है। माननीय रामनारायण जी ने, यह जानना चाहा था कि वह किस पोस्ट पर हैं, कैसी ड्यूटी परफार्म करते हैं, उनके क्या कर्त्तव्य हैं, इसकी सूचना तो मिली नहीं। मान लीजिये कि वह २२ आदमी हैं, तो उनके लिये हम एक इतना बड़ा विधेयक ला दें और उसमें इतना बड़ा स्कोप खोल दें, जगह दे दें राम नरेश जी इशारा कर रहे हैं कि मैं नहीं हूं। वह नहीं होंगे। उससे हमारा कोई मतलब नहीं था, चाहे रामनरेश जी हों या न हों। किसी व्यक्ति से मेरा सम्बन्ध नहीं है। और जब कि हम लोग इस तरह के विधेयक पर विचार-विनिमय करें तो मैं पहले ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं रहता न तो हमारा आक्षेप का जरिया वही व्यक्ति विशेष होता है हम तो उसूल की बात कहते हैं और उस प्रिंसिपल में जो भी आ जाय, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी और छोटे से छोटा व्यक्ति भी उस अटेक का जरिया हो सकता है। लेकिन जब कभी इस सदन में प्रिंसिपल की बात होती है तो माननीय मंत्री जी किसी न किसी मिनिस्टर से उसको जोड़ देते हैं।

श्री अध्यक्ष—श्री रामनरेश शुक्ल कोई मंत्री नहीं हैं।

श्री राजनारायण—वह मैंने पुरानी बात कह दी। यहां पर कुछ चर्चा दूसरी हुयी है। एक मंत्री किसी विशेष मंत्री की कृपा पाने के लिये उनका जिक्र कर देते हैं। मैं उस पर अधिक नहीं कहना चाहता। यदि नेशनल प्लान लोन आज अच्छी चीज है तो विधान सभा के हम सदस्य हैं और देश के उत्थान के लिये प्रयत्नशील हैं। हम अपनी मेमोरी को छोड़ दें, इसी काम में पूरा समय देकर, अपना दिल दिमाग लगाएं, हम तभी अपना कार्य कर पायेंगे। लेकिन सरकार चाहती है कि नहीं दो सौ रुपया महीना भी लेते रहें, आने जाने का भत्ता भी लेते रहें, जब तक विधान सभा की कार्यवाही हो दस रुपया रोज भी लेते रहें और इधर-उधर जा कर कुछ सर्टिफिकेट दे दें तो वह भी बड़ा भारी राष्ट्र के उत्थान के काम में सहायक हो जायेंगे। यह मनोवृत्ति बिलकुल ग़लत है। हमारा बड़ा मुल्क है। डिवीजन आफ वर्क (काम का बटवारा) करना हम कब सीखेंगे? मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि हमारे सामने बहुत बुनियादी बातें आ जाती हैं। बहुत से लोगों को एतराज होता है कि हर बात को राजनारायण बुनियादी बात कहते हैं। लेकिन बिना बुनियाद के कोई चीज हो ही नहीं सकती। फिर यहां एक बुनियादी बात आती है। हम सेंट्रलाइज करना चाहते हैं सब बातों को, चन्द व्यक्तियों को ही हम जिम्मे-

दार बनाना चाहते हैं। चाहे वह विकास का कार्य हो, चाहे कृषि का कार्य हो, चाहे शिक्षा का कार्य हो, और चाहे व्यापार का काम हो, हर स्कीम में उन्हीं पर बोझा देते हैं।

श्री अध्यक्ष—कृपया भाषण को संक्षेप में कर दीजिये।

श्री राजनारायण—इसलिये मैं जरूर निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर ग़ौर करें और अगर वह गौर करेंगे तो वह जरूर हमारे साथ होंगे। कुछ लोग निकल जायं यहां से, नये लोग आ जायं। इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी और विकास का काम भी चलेगा। सर्टिफिकेट्स भी काफी बिकेंगे। लेकिन इस तरीके से दरवाजा खोल देना कि लेजिस्लेटर्स जो विधान बनाने के जिम्मेदार हैं उनमें लालच की मनोवृत्ति पैदा करना और हम लालच में पड़ जाते हैं। माननीय मंत्री जी यह कह सकते हैं कि यह कोई जरूरी नहीं है कि वह कुछ लें ही। इस में दो रायें तो रह नहीं गयीं कि वह पोस्ट आफ प्राफिट है या नहीं। इसको मान करके ही यह विधेयक लाया गया है। अगर इस पर भी किसी को एतराज होता कि यह मुनाफे का स्थान नहीं है तब तो बड़ा विवाद बढ़ जाता। लेकिन सदन इसमें सर्वसम्मत है कि वह पोस्ट आफ प्राफिट है और इसलिये विधेयक लाया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि उन बाइस सौ में से किसी ने जिसको कमीशन मिला हो न लिया हो और सरकार को दे दिया हो। हम माननीय मंत्री जी से इतना ही निवेदन करेंगे कि थियरी और प्रैक्टिस दोनों का मेल होना चाहिये ऐसा तो नहीं होना चाहिये कि थियरी में हम यह बात मानते हैं लेकिन हो अव्यावहारिक। तो वह थियरी ग़लत हो जाती है। इसलिये ऐसा कानून बनायें जिसके जरिये सिद्धान्त अमल में आये। यहां जो उसमें काम करते हैं कमीशन के लिये काम करते हैं। अगर कमीशन पर काम करने की बात है तो मेम्बरी को छोड़ दें और उसी काम को करें। इसलिये माननीय मंत्री जी के तर्क में दम नहीं मालूम होता। हां, माननीय मंत्री जी यह कह दें कि हमारे देश में मारेल कैरेक्टर (नैतिकता) इतना नीचा हो गया है कि जब तक हम किसी को खाने कमाने के लिये पोस्ट आफ प्राफिट नहीं देंगे तब तक देश का काम कोई नहीं करेगा। यह कह कर विधेयक लायेंगे तो हम उनकी मनोवृत्ति को भी समझ पायेंगे और समय सदन का लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वह सिद्धांत की बात तो जरूर करते हैं लेकिन व्यवहार में उसके बिल कुल उल्टी बात पायी जाती है। जब वह कुछ इस प्रकार की बातें करेंगे तो हम उसका समर्थन करेंगे। अब तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को पारित करने का जो प्रस्ताव उन्होंने सदन के सामने रखा है उसको वह वापस लेने की कृपा करें।

*श्री नाजिम अली (जिला सुल्तानपुर)—श्रीमन्, जिस वक्त यह चीज कही गयी कि एजेन्ट बनों तो मैं एजेन्ट बन कर अपने एक दोस्त के पास गया और उससे ५ हजार रुपया जमा करने को कहा। वह मेरे साथ गये लेकिन जहां पर रुपया जमा करना था वहां पर यह कहा गया कि उसकी रसीद मुझको दी जायगी और उसका कमीशन भी मुझको ही दिया जायगा। मैंने उनसे कहा कि मैं कमीशन नहीं लूंगा। उसने कहा कि कमीशन आप लें चाहे फिर किसी को दें दे क्योंकि उसकी रसीद मुझको ही दी जायगी। लिहाजा उस दिन वहां पर जमा नहीं हो सका और वह शख्स वापस चला आया। मैं इसका काम करता रहा और दूसरे एजेन्ट जो थे उनके जरिये से वह रुपया जमा कर दिया गया और उसकी रसीद भी उसको दी गयी। मैंने एक पैसा भी नहीं लिया लेकिन रसीद मुझको भी और रुपये की दी गयी। इसलिये मैं रुपये का काम करता रहा लेकिन कमीशन नहीं लिया और दूसरों के जरिये से रुपया जमा कराता रहा और वह आदमी लेते रहे। मैंने उनसे कह दिया था कि मैं नहीं लूंगा। कोई ऐसी मिसाल भी है तो उसके लिये मैंने यह अर्ज किया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री सैयद अली जहीर-- अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल ने यहां के ऊपर उसूल का भी सवाल उठा दिया। मैं यह समझता था कि इस विधान सभा में कई बार इसका तजकिरा आ चुका है तो शायद इसकी जरूरत नहीं होगी कि इसके उसूल पर बहस की जाय। लिहाजा मैं भी इसके मुताल्लिक़ थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूं। और वह यह है कि जहां तक आफिस आफ प्राफिट की इब्दता का ताल्लुक़ है अगर इसकी तारीख देखी जाय तो यह उस वक्त से शुरू होती है जब से इंगलिस्तान में एक तरफ बादशाह था और दूसरी तरफ जनता थी। दोनों में यह लड़ाई हुआ करती थी कि जो मेम्बर पार्लियामेंट हो वह बादशाह के साथ रहे या जनता का साथ दें। यह तारीख थी और उस वक्त यह कानून बनाया गया कि अगर कोई माननीय सदस्य ऐसा हो जो मेम्बर आफ पार्लियामेंट हो तो अगर क्राउन के मातहत उसको कोई ओहदा प्राप्त हो तो वह पार्लियामेंट का मेम्बर नहीं हो सकता है। बहुत अरसे तक ऐसा होता रहा कि किसी को इसकी इजाजत नहीं हो सकती है और किसी को भी इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिये। यह पुरानी हिस्ट्री आफिस आफ प्राफिट की है। ज्यों ज्यों जनता के पास ताक़त ज्यादा आती गयी उसकी पाबन्दी आयद करती गयी। लेकिन जब से जनता का राज जम्हूरियत की बिना पर वहां पर कायम हुआ है उस वक्त से इसकी अहमियत बहुत कुछ घट गयी। अब पार्टी एलेक्ट हो कर वहां पर जाती है। उसमें तो एलेक्शन वोटिंग के द्वारा होता है और वह हाउस में पहुंच जाती है। उनकी कुछ जिम्मेदारी होती है और उनको कुछ मेम्बरों की जरूरत पड़ती है कि मुख्तलिफ ओहदों पर उनको मुकर्रर करें। सिर्फ कानून इतना है कि जब किसी को ओहदों पर मुकर्रर करना चाहें तो उसके मुताल्लिक़ कानून आना चाहिये विधान सभा के सामने और जब वह कानून आ जाय और वह मंजूर हो जाय तब उसके बाद इसमें किसी किस्म की बात नहीं रहती है। वह शख्स वह ओहदा प्राप्त कर सकता है यह चीज मान ली गयी है। इसके ऊपर हमारे संविधान में भी कहा गया है और इसके लिये यह चीज रखी गयी है और वही तरीका हमने यहां पर रखा है कि अगर मेम्बरों से काम लेना हो तो उसके लिये इस किस्म का कानून पास कर दिया जाय जिससे वह लोग काम कर सकें। राजनारायण जी ने यह भी कहा कि यह भी सदस्य कर सकते हैं कि वह यहां पर मेम्बरों को छोड़ दें और फिर जाकर कर्ज के काम में हिस्सा लें। जो लोग जहां से और जिस जगह से नुमायन्दा होकर यहां आये हैं, उनका यह फर्ज है कि जितनी नेशनल एक्टीविटीज हैं और जितनी ऐसी कार्यवाही हैं जिनसे देश का हित होता हो तो उसमें उनको दिलचस्पी लेनी चाहिये इसी के साथ ही साथ उस फरायज को भी अंजाम देना चाहिये। उसमें विरोधी दल के सदस्यों के लिये भी कोई आपत्ति नहीं है, इस काम में वे भी हिस्सा ले सकते हैं अगर वे देश की भलाई के लिये काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यह खाली कांग्रेसी मेम्बरों के लिये बन रहा हो ऐसी बात नहीं है। ऐसा कानून न तो बनाने का ही इरादा है और न ऐसी कोई इनएबीलिटी ही इसमें रक्खी गयी है। इसकी यह भी गरज नहीं कि कोई सरकारी दबाव में रहे, मंत्रियों के करीब रहे। यह तो देश की एक जरूरत है उसको पूरा करने के लिये इसकी जरूरत हुई कि इस किस्म का कानून बनाया जाय, जनता से कर्जा लिया जाय। और कर्जा लेने का जो इन्तजाम है, जो ढांचा है, उसमें एजेन्टों की जरूरत है। इसलिये यह सोचा गया कि चुने हुये लोगों को ही इस काम के लिये रक्खा जाय जिससे वे अपने इलेक्टर्स के टच में रहें व उसके साथ ही साथ वे अपने देश का काम भी कर सकें। लोगों से श्रमदान नीज ऐसे कामों में दिलचस्पी लेने के लिये कहें। इन सब बातों को देखते हुये मैं समझता हूं कि इसमें कोई ऐसा एतराज नहीं किया गया है जो अहम हो या जिसकी वजह से कानून में कोई खराबी मालूम होती हो। लिहाजा मैं समझता हूं कि इसको पारित किया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (राष्ट्रीय नियोजन ऋण) (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५४ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बज कर १५ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
२१ अक्तूबर, १९५४।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६९ पर)

कृषि

उन्नत बीज या खाद का वितरण

(१)

(क)	रबी	..	..	..	३९,३३७ मन
(ख)	खरीफ	..	..	..	१५,५४५ ,,
(ग)	आलू	..	..	..	१७,६९७ ,,
(घ)	रासायनिक खाद	..	..	..	१३४ टन
(ङ)	औजार	..	..	..	१८३

(२)

प्रदर्शन कार्य

बीज सम्बन्धी	..	..	..	१५५९
औजार	..	..	..	७३५
खाद	..	..	..	३०५३
हेर-फेर सम्बन्धी	..	..	..	८६७
टिलेज	..	..	..	३९५
पम्प	..	..	..	१८४

उसके अतिरिक्त खाद तैय्यार करने के लिये २६१६ गढ़े खोदे गये।

सिंचाई

१३ मील लम्बी नयी गूल खोदी गई तथा १९ मील लम्बी गूल की मरम्मत की गई।

पशुपालन

पशुओं की नस्ल सुधार के लिये साड़ व भैंसा व बकरा सांड़ वितरित किये गये और गायों को गर्भाधान, पशुओं को बधिया करना तथा टीके लगाने का कार्य विस्तार पूर्वक किया गया। पशुओं के संक्रामक रोग के निवारणार्थ एक केन्द्र रानीबाग में खोला गया तथा एक विस्तृत पशुप्रदर्शिनी भीमताल में हुई, जिसमें पुरस्कार भी वितरित किये गये।

चिकित्सा

गेटिया सेनीटोरियम का प्रांतीयकरण, रामगढ़ में सरकारी चिकित्सालय तथा प्राइवेट अस्पताल में कम्पाउन्डरों के प्रशिक्षण का केन्द्र खोलने के कार्य किये गये तथा स्थान-स्थान में चिकित्सा की गई।

शिक्षा

२९ पुस्तकालय व वाचनालयों की स्थापना तथा ४ जूनियर हाई स्कूल भवन तथा १६ प्राइमरी पाठशाला भवनों का निर्माण किया गया।

सार्वजनिक निर्माण

११ मील मोटर मार्ग का निर्माण किया गया। २४ पक्के पंचायत घर तथा १२ गांधी चबूतरों का निर्माण किया गया।

सहकारिता

३८ ग्राम समितियों की स्थापना की गई। नये सदस्य बनाये गये तथा शेयर धन में वृद्धि हुई। संघों व समितियों तथा स्टोर्स द्वारा क्रय-विक्रय का कार्य सुचारु रूप से किया गया।

विविध

सर्गाखेत में एक राष्ट्रीय प्रसार खंड खोला गया तथा भीमताल में एक वन निर्माण शिविर संचालित किया गया।

उत्तराखण्ड पर्यटन विभाग

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७२ पर)

नेशनल एक्सटेन्शन सर्विस ब्लाक, भोजीपुरा जिला बरेली में ३० अगस्त, १९५४ तक होने वाले कामों की सूची--

१--नई कच्ची सड़कें बनायी गईं	१७५५	गज
२--पुरानी सड़कों की मरम्मत	४	मील
३--बनाई गई नई पुलियों की संख्या	१	
४--श्रमदान द्वारा जनता की दी हुई सहायता (रुपयों में) ..	८२५	रुपया
५--बनाये गए पक्के कुओं की संख्या	४	
६--लगाये गये पम्पिंग सेटों की संख्या	१	
७--पुराने कुएं जिनकी मरम्मत की गई	२५	
८--तालाब जिनको गहरा किया गया	२	
९--पानी के बहाव के लिये नदियों और नाले जिनको ठीक किया गया	११५०	गज
१०--सिंचाई में लाया गया नया क्षेत्र	३००	एकड़
११--लगाये गये फलदार पेड़ों की संख्या	२५००	
१२--ईंधन और इमारती लकड़ी के पेड़ों की संख्या जो लगाये गये ..	२००	
१३--वह क्षेत्र जिनमें नये बग़ीचे लगाये गये	१२०	एकड़
१४--वह क्षेत्र जिसमें दरख्त लगाये गये	५	एकड़
१५--वह क्षेत्र जिनमें नई पौधशालायें खोली गईं	४	एकड़
१६--नई पौधशालाओं की संख्या	१२	
१७--पंचायत, सहकारी तथा बेसिक सीड स्टोरों से बांटे गये बीजों की मिक़दार	२१७६	मन
१८--वह क्षेत्र जिसमें अच्छे किस्म के बीज बोए गये ..	५२२५	एकड़
१९--वह अधिक क्षेत्र जिसमें तरकारियां बोई गईं	४०	एकड़
२०--हाथ से चलाई जाने वाली चारा काटने की मशीनें जो बेची गईं ..	२	
२१--बैलों द्वारा चलाये जाने वाले प्रजा हल जो बेचे गये ..	१	
२२--मशीन द्वारा चलाये जाने वाले हारिस हल जो बेचे गये ..	६	
२३--किसानों के खेतों में किये गये डिमांस्ट्रेशनों की संख्या ..	६२	
२४--कृषि संबंधी साइट सीड्स प्रोग्रामों की संख्या	२५	
२५--उन लोगों की संख्या जिन्होंने इन प्रोग्रामों में भाग लिया ..	१२५	
२६--वह क्षेत्र जिसमें हरी खाद इस्तेमाल की गई	३५९८	एकड़
२७--रासायनिक खाद जो बेची गई	१९१६	मन
२८--वह क्षेत्र जहां रासायनिक खाद इस्तेमाल की गई	२२५०	एकड़
२९--बधिया किये गये बैलों की संख्या	११०	
३०--उन मवेशियों की संख्या जिनके टीका लगाया गया ..	३११५	
३१--वह मवेशी जिनका इलाज किया गया	३१२	
३२--अच्छी नस्ल के बैल जो बांटे गये	१	
३३--पानी पीने के नये कुयें जो बनाये गये	२०	
३४--पुराने कुएं जिनकी मरम्मत की गई	२७	
३५--हाथ से चलाये जाने वाले पम्प जो लगाये गये	८०	
३६--बनाई गई पक्की नालियों की लम्बाई	१३२	गज
३७--बनाये गये सोख्तों की संख्या	१६	
३८--उन गांवों की संख्या जहां मलेरिया से बचने की दवा छिड़की गई	६०	
३९--पुस्तकालय और वाचनालय जो खोले गए	४	

४०--इन पुस्तकालयों और वाचनालयों में पुस्तकों और पत्रिकाओं आदि की संख्या ५०५
४१--लगाये गये रेडियो सेटों की संख्या १
४२--वह स्कूल जिनके लिये जनता द्वारा जमीन का बन्दोबस्त किया गया १
४३--पंचायत घर जो बनाये गए २
४४--गांधी चबूतरे जो बनाये गये १०
४५--स्कूल जिसकी इमारत बनाई गई १
४६--अखाड़े १४
४७--मनोरंजन केन्द्र १०
४८--हरिजनों के लिये बनाये गये कुओं की संख्या १
४९--हरिजनों के लिये लगाये गये हाथ के पम्पों की संख्या .. ३
५०--प्राइमरी कोआपरेटिव सोसाइटियां जिन्हें संगठित किया गया .. ४४
५१--कोआपरेटिव द्वारा बांटे गये बीज .. .. २१७६ मन

जिला बरेली के भोजीपुर नेशनल एक्सटेन्शन सर्विस ब्लाक में ३१ अगस्त, १९५४ तक होने वाले खर्च की सूची--

	रु०	आ०	पा०
१--वेतन आदि पर खर्च	२,३८९	९	०
२--यातायात, बीज, औजारों, स्टोर और इमारत पर खर्च ..	७,७३३	२	३
३--स्थानीय कार्यों पर व्यय	१२,६३०	०	०
४--सामाजिक शिक्षा पर व्यय	२,०३१	१४	६
५--छोटे सिंचाई के कामों के लिये दिया गया क़र्ज़ ..	५,५००	०	०
कुल व्यय ..	३०,२८४	९	९

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७४ पर)

जिला बस्ती के बहादुरपुर कम्युनिटी प्रोजेक्ट में ३० सितम्बर, १९५४ तक किये गये तथा आगामी वर्ष में प्रस्तावित कामों की सूची

मदें	काम जो किये जा चुके हैं		१९५५--५६ में किये जाने वाले काम	
१--सिंचाई के कारण अतिरिक्त क्षेत्र ..	६,६९८	एकड़	९,७०७	एकड़
२--अच्छी किस्म के बीज का वितरण	१,६८५	मन	३,५५०	मन
३--डिमांस्ट्रेशनों की संख्या ..	८००		१,१६०	
४--रासायनिक खाद का वितरण ..	५,४२२	मन	१,९१०	मन
५--हरी खाद के बीज का वितरण ..	९२	मन	४००	मन
६--नया क्षेत्र जिस पर बागीचे लगाये गये या लगाये जायेंगे	३९	एकड़	४०	एकड़
७--बोये गये फलदार पेड़ों की संख्या ..	७,७८८		८,०७५	
८--बोये गये ईंधन के पेड़ों की संख्या ..	१,३०,५८२		१५,७००	
९--फलों और तरकारियों के पौधों की पौधशालायें	३६		५	
१०--तरकारी के बीज का वितरण ..	३४८	पौंड	१६	पौंड
११--आलुओं का वितरण ..	३३	मन	२००	मन
१२--तरकारियों का अतिरिक्त क्षेत्र ..	२८२	एकड़	११०	एकड़
१३--अच्छी नस्ल के मवेशी जो बांटे गये और आगामी वर्ष बांटे जायेंगे--				
(अ) गाएं और भैंसें ..		..	५०	
(ब) बैल	१		५५	
(त) दूसरे मवेशी ..	४		८०	
(क) चिड़ियां	१६५		१,४५०	
१४--मवेशी का इलाज ..	२९६		५,०००	
१५--मवेशी जिनके टीके और सुइयां लगाई गईं या लगाई जायेंगी ..	१४,५३३		३०,०००	
१६--बालिगों की शिक्षा की कक्षाओं की संख्या	४०		१२	
१७--बालिग जिन्हें साक्षर बनाया गया या बनाया जायेगा	१,६००		१,५००	
१८--पुस्तकालय और वाचनालय जिन्हें खोला जा चुका है या जो आगामी वर्ष खोले जायेंगे	२१		५०	
१९--सामुदायिक केन्द्र ..	४		११	

मदें	काम जो किये जा चुके हैं	१९५५–५६ में किये जाने वाले काम
२०—इमारतों की संख्या ..	७	३६
२१—कच्ची सड़कें ..	३ मील ३ फर्लांग	२० मील
२२—कच्ची सड़कों की मरम्मत ..	१२ मील ५ फर्लांग	७५ मील
२३—सैनिटरी वेल (हाथ पम्प समेत)	२८	१२५
२४—जिन मनुष्यों के सुइयां या टीके लगाये जायंगे उनकी संख्या	५,६०८	२१,०००
२५—गांवों की संख्या जहां मलेरिया से बचने की दवा छिड़की जायगी	..	५०
२६—ईंटों के भट्ठे ..	२	४
२७—ईंटों की संख्या	२० लाख	८० लाख

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७९ पर)

उत्तर प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

संख्या ११७६ एम० जी०/३--८७१-१९५०,

लखनऊ, १८ अक्तूबर, १९५४ ई०

विज्ञप्ति

भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०९ के प्रतिबन्धात्मक वाक्य (proviso) द्वारा प्राप्त अधिकारों को काम में लाकर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल उत्तर प्रदेश में विलीन भूतपूर्व देशी रियासतों तथा अन्तर्क्षेत्रों (enclaves) के कर्मचारियों के उत्तर प्रदेश के अधीन गजेटेड तथा नान-गजटेड नियुक्तियों में संविलयन हो जाने पर उनकी ज्येष्ठता (seniority) अवधारित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

संविलीन (absorbed) कर्मचारियों की ज्येष्ठता निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जायगी :—

१—गजटेड नियुक्तियों में संविलीन कर्मचारी

किसी विलीन रियासत के उत्तर प्रदेश की गजटेड सेवाओं में संविलीन अधिकारी की स्थिति अवधारित करने के लिये सर्वप्रथम वह दिनांक अवधारित किया जाना चाहिये जब उस अधिकारी को उक्त सेवा के जिसमें वह संविलीन किया गया हो टाइम स्केल में न्यूनतम प्रारम्भिक वेतन मिला होता जिससे उसे वह वेतन प्राप्त हो जाय तो उस सेवा में उसके संविलीन होने के दिनांक को उसे दिया गया था। यदि किसी विशेष मामले में संविलीन होने के समय कोई अधिकारी उस ग्रेड में नियुक्त किया गया हो जो उस ग्रेडेशन लिस्ट में जिसमें उसकी स्थिति निश्चित की जानी है उसके ग्रेड से ऊंचा हो तो लोअर सर्विस (अवर सेवा) के टाइम स्केल में प्रारम्भ का कल्पित (assumed) दिनांक उस वेतन के अनुसार अवधारित किया जायगा जो उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन उसके संविलयन के दिनांक को उस लोअर सर्विस (अवर सेवा) में मिला होता और उच्च ग्रेड में उसको वास्तव में दिये गये वेतन के समनुरूप होता। इस प्रकार सम्बद्ध टाइम स्केल में न्यूनतम देय वेतन-क्रम की अवस्था के प्रारम्भ का कल्पित दिनांक अवधारित हो जाने के पश्चात् अधिकारी का नाम उन नए भर्ती किये गये अधिकारियों के दल (batch) में रक्खा जायगा जो विलीन देशी रियासत के अधिकारी के प्रवेश के कल्पित दिनांक के पूर्व सेवा में भर्ती किया गया था और तब विलीन देशी रियासत के अधिकारी को ग्रेडेशन लिस्ट (अनुक्रम सूची) में उस दल के सबसे नीचे स्थान दिया जायगा। यदि विलीन रियासतों के दो या उससे अधिक ऐसे अधिकारी हों जो इस प्रकार उसी दल में स्थान पा गये हों, तो परस्पर उनकी स्थितियां उम्र के अनुसार रक्खी जायंगी, बड़ी उम्र वाले को छोटी उम्र वाले के ऊपर स्थान दिया जायगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी मामले में सेवा में प्रवेश का कल्पित दिनांक जैसा ऊपर हिसाब लगा कर निकाला गया हो उस दिनांक से पूर्व हो जिस दिन वह उस सेवा की प्रतियोगिता परीक्षा अथवा चुनाव में द्वितीय अवसर पर सीधे भर्ती किये गये अधिकारी के रूप में सेवा में प्रवेश कर सकता था तो इस विज्ञप्ति में इसके पूर्व उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी उस दिनांक को जब कि वह इस प्रकार भर्ती किया जा सकता था उस अधिकारी की ज्येष्ठता निश्चित करने के प्रयोजनों के लिये प्रवेश का कल्पित दिनांक समझा जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि विलीन देशी रियासत के किसी विशेष अधिकारी के मामले में किसी सेवा की ग्रेडेशन लिस्ट (अनुक्रम सूची) में उक्त प्रकार से गणना के अनुसार उसकी स्थिति में कोई गभीर विपरीतता (anomaly) हो गई हो तो राज्य सरकार ऐसे समाधान कर सकती है जिन्हें वह मामले की परिस्थितियों को देखते हुए उचित तथा न्याय संगत समझे।

टिप्पणी (१)—यह सूत्र (formula) विलीन रियासतों के उन अधिकारियों के मामले में प्रवृत्त न होगा जिनकी ज्येष्ठता उस सेवा के जिसमें वे संविलीन किये गये ह किसी विशेष मामले में अनुसरण किये गये किसी विशिष्ट सिद्धान्त के अनुसार इस प्रकार के अधिकारियों और सेवा के अन्य सदस्यों में किसी प्रकार का भेद भाव किये बिना अवधारित की जा चुकी हो अथवा अवधारित की जानी हो।

टिप्पणी (२)—सेवा में प्रवेश के कल्पित दिनांक का हिसाब लगाते समय टाइम स्केल की गणना की जाने वाली न्यूनतम अवस्था वह अवस्था होगी जिस पर संविलयन के समय प्रभावशील आज्ञाओं के अनुसार सेवा में सीधे भर्ती किये गये अधिकारी नियुक्त किये गये हों, न कि टाइम स्केल का न्यूनतम वेतन।

इस प्रकार उदाहरणार्थ यू० पी० सिविल सर्विस (जुडीशिल ब्रांच) या यू० पी० सिविल सर्विस (इक्जीक्यूटिव ब्रांच) में संविलीन अधिकारियों के मामलों में सेवा में प्रवेश करने के कल्पित दिनांक का हिसाब लगाने के लिये सेवा के टाइम स्केल में ३०० रु० (न कि २५० रु०) की अवस्था संबद्ध न्यूनतम अवस्था होगी।

२—नान गजटेड नियुक्तियों में संविलीन कर्मचारी

(क) उत्तर प्रदेश सरकार के नियमित (regular) कर्मचारियों और संविलीन कर्मचारियों की परस्पर ज्येष्ठता—

किसी ऐसे संविलीन कर्मचारी को, जो विलयन के ठीक पूर्व किसी विलीन देशी रियासत में किसी स्थायी पद पर कार्य कर रहा था, संविलयन के दिनांक को संबद्ध काडर के अन्तिम नियमित स्थायी (यू० पी०) कर्मचारी के ठीक नीचे रखा जायगा। संविलयन का दिनांक वह दिनांक होगा जिसको कर्मचारी ने उस सेवा के काडर में, जिसमें उसकी ज्येष्ठता अवधारित की जानी हो, अपनी नई नियुक्ति का कार्यभार ग्रहण किया हो।

टिप्पणी—नियमित (यू० पी) सेवा के वे सभी व्यक्ति, जो विलीन देशी रियासत के कर्मचारी के संविलयन के दिनांक को वास्तव में स्थायी न हों, उक्त दिनांक को स्थायी समझे जायंगे, यदि उनका ऐसे दिनांक को पुष्टीकरण (confirmation) हुआ हो जो संविलयन के दिनांक के बाद का न हो।

(ख) विलीन देशी रियासतों के ऐसे कर्मचारियों की ज्येष्ठता—

जो विलयन के पूर्व अस्थायी पदों पर कार्य कर रहे थे, और जिन्हें इस सरकार के अधीन अस्थायी पदों पर नियुक्त किया जाय, अस्थायी कर्मचारियों में इस सरकार के अधीन उनकी नियुक्ति के दिनांक से अवधारित की जायगी। यदि नियुक्ति का दिनांक एक ही हो तो ज्येष्ठता उस क्रम से अवधारित की जायगी जिसके अनुसार नियुक्तियां की गई हों।

(ग) संविलीन कर्मचारियों की परस्पर (interse) ज्येष्ठता—

यदि एक ही विलीन देशी रियासत अथवा विभिन्न विलीन देशी रियासतों के एक से अधिक स्थायी कर्मचारी एक ही काडर में संविलीन किये जायं, तो उनकी ज्येष्ठता निम्निलिखित ढंग से विनियमित होगी :—

(१) एक ही विलीन देशी रियासत के कर्मचारियों की ज्येष्ठता परस्पर वही रहेगी, जो विलीन देशी रियासत में सेवा करते समय उनकी थी।

(२) किन्तु यदि वे एक ही देशी राज्य की विभिन्न किन्तु बराबर हैसियत की सेवाओं में कार्य कर रहे थे तो उनकी ज्येष्ठता उन सेवाओं में उनकी स्थायी नियुक्ति के दिनांक से अवधारित की जायगी। इसके विपरीत यदि सेवायें विभिन्न हैसियत की थीं, तो वह व्यक्ति जो प्रवर सेवा (higher service) में था, उस व्यक्ति से जो अवर सेवा (lower service) में है, ज्येष्ठ समझा जायगा।

(३) उन व्यक्तियों के मामलों में, जो विभिन्न विलीन देशी रियासतों के हों, किन्तु जो एक ही काडर में संविलीन किये गये हों, उनकी ज्येष्ठता बराबर की सेवा या पद पर उनकी स्थायी नियुक्ति के दिनांक से अवधारित की जायगी, यदि विलियन के पूर्व प्रत्येक देशी रियासत में जिन पदों पर वे कार्य कर रहे थे, वे हैसियत में बराबर की थीं। किन्तु यदि उनकी सेवायें विभिन्न हैसियत की थीं तो वे व्यक्ति जो प्रवर सेवा (higher service) में हैं अवर सेवा (lower service) के व्यक्तियों से ज्येष्ठ समझे जायंगे।

टिप्पणी—यह अवधारित करने के लिये कि किन्हीं दो सेवाओं में, कौन सी प्रवर (higher) और कौन सी अवर (lower) है, अन्य बातें समान या अनिर्धारित होने की दशा में सेवा से सम्बद्ध वेतन क्रम या वेतन की दर निर्णायक (determining factor) होगी।

आदित्यनाथ झा,
मुख्य सचिव।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६० का उत्तर पीछे पृष्ठ १८० पर)

व्यक्तियों के नाम जिनको कानपुर शहर व जिले में पेंशन दी जाती है :—

क्रम-संख्या	नाम	रुपया प्रति माह
१	श्री श्यामलाल गुप्त	५०
२	श्री माधव प्रसाद	१५
३	श्रीमती कनीज	२०
४	श्रीमती विध्यावती कतियार	२०
५	श्री बलभद्र प्रसाद द्विवेदी	२०
६	श्रीमती जनक किशोरी देवी मिश्रा	५०
७	श्री राजनारायन त्रिवेदी	२०
८	श्रीमती रामदुलारी	१५
९	श्रीमती जानकी देवी	१०
१०	श्री गाजी बाबा	३०
११	श्रीमती तुलसा कुंवर	१४
१२	श्रीमती रामवती देवी	१२
१३	श्री मंगली प्रसाद शुक्ल	१४
१४	श्रीमती चंदन देवी	१५
१५	श्री बद्री प्रसाद	२०
१६	श्री शंकर दयाल	२०
१७	श्री जोर सिंह	१०
१८	श्री वेंकट राव	१४
१९	श्रीमती पार्वती देवी	१२
२०	श्रीमती विलासा देवी	२०
२१	श्री विंध्या चरन	१२
२२	श्री राधे लाल शुक्ला	२०
२३	श्री देवनारायन पांडे	४०
२४	श्री मुख्तार अहमद	२०
२५	श्री गंगा महेश	२०
२६	श्रीमती राधारानी	१५
२७	श्री सुखराम गोपाल अभियंकर	२०
२८	श्रीमती हंसमुखी देवी	२०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८० पर)

शहर कानपुर में रजिस्टर्ड कोआपरेटिव सोसायटीज की सूची :—

क्रम-संख्या	सोसायटी का नाम
१	लाल इमली कोआपरेटिव सोसाइटी लि०
२	हार्नेस ऐंड सैडलरी को० सो० लि०
३	कानपुर अध्यापक को० आ० लि०
४	क्रिश्चियन को० अ० सो० लि०
५	इन्डस्ट्रीज डियो, इम्पलाइज को० सो० लि०
६	कानपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस को० सो० लि०
७	हजारी को० सो० लि०
८	दि क्लेक्टरेट स्टाफ को० को० लि०
९	काकोमी को० को० लि०
१०	रिजर्व बैंक आफ इंडिया इम्पलाइज को० को० लि०
११	एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट को० को० लि०
१२	कानपुर म्यूनिसिपल बोर्ड को० को० लि०
१३	जे० के० मिल्स को० को० लि०
१४	शुगर डिपार्टमेंट को० को० लि०
१५	यू० पी० को० आ० निटिंग एडवीविंग को० को० लि०
१६	एल्गिन को० सो० लि०
१७	ग्वालटोली मजदूर हितकारी को० सो० लि०
१८	जुही मजदूर हितकारी को० सो० लि०
१९	जरीब की चौकी हितकारी को०
२०	डिप्टी का पड़ाव को० सो० लि०
२१	कानपुर टेक्सटाइल को० सो० लि०
२२	सी० ई० एस० सी० सोसाइटी को० सो० लि०
२३	चमनगंज लेबर वेलफेयर को० सो० लि०
२४	कोसटर लैंड को को० सो० लि०
२५	गुरेया को० डैव यूनियन को० सो० लि०
२६	दि सेंट्रल फैलकट्री कम्पैलक्स होम्योपैथिक को० सो० लि०
२७	आर्मी फैक्टरी एकाउन्ट्स को० सो० लि०
२८	इरिगेशन बांच को० इस्टोर्स को० सो० लि०
२९	गैन्जेज को० स्टोर्स को० सो० लि०
३०	हलीम मुसलिम कालेज को० सो० लि०
३१	कानपुर पोस्ट टेलीग्राफ को० स्टोर
३२	पीपुल्स को० सो० लि०
३३	पायनियर को० हाउस
३४	सिविल कोर्ट बा० ब्रि० सो०
३५	कानपुर क्ल० को० सो० लि०
३६	बिहारीलाल रामचरन इम्प० को० सो०
३७	लेबर एन्ड फ्लाइड को० इन्ड० लि०
३८	कानपुर कु० स्टोर लि०

विधान सभा

क्रम संख्या	सोसाइटी का नाम
३९	सप्लाई सोल्जर्स फार मैन को० सो०
४०	कानपुर स्वदेशी अरबन्द को० बूबैंक० लि०
४१	दि० विक्टो० मिल्स इम्पा० कु० सु०
४२	क्रिश्चियन को० स्टोर लि०
४३	अर्डिनेंस इलेक्ट्री० को० स्टोर्स
४४	लेबर डि० इम्पा० को० सो०
४५	सब्जीमंडी घास मंडी को० सो०
४६	इंडियन स्मिथ को० स्टोर्स लि०
४७	दयानन्द कालेज को० हाउस सो०
४८	जे० के० जूट मिल्स इम्पा० को० सो०
४९	माडल को० बी० एन० एस० डी० कालेज हाउस सो०
५०	रिफायान को० डा० सो०
५१	कानपुर हैन्ड पिन्टर्स को० सो०
५२	ए० सी० प्रो० को० स्टोर्स लि०
५३	कलेक्टरगंज को० स्टोर्स
५४	चुनरी गर्ल्स को० सो० लि०
५५	स्यातगंज कलां को० सो०
५६	फेतफुलगंज कर्घा को० सो०
५७	लान्डरर्स को० सो०
५८	डकिम को० हाउस सो०
५९	आदर्श को० हाउस सो०
६०	कानपुर शुगर वर्क्स को० हा० सो०
६१	सटकैया मुतपिसगंज कर्घा को० सो०
६२	सुजातगंज फन्ड बाबू पुरवा को० सो०
६२	तलाक महल कर्घा को० सो०
६४	कर्नलगंज कर्घा को० सो०
६५	गोशाला कर्घा को० सो०
६६	फतेनलगंज खास कर्घा को० सो०
६७	चमनगंज कर्घा को० सो०
६८	कानपुर सहकारी परिषद्
६९	श्री नागर जी को० हाउस सो०
७०	गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल कालेज को० स्टोर्स
७१	कानपुर को० हाउस सो०
७२	दि पंजाब आयरन स्टील मर्चेन्ट्स हाउस एसोसियेशन
७३	कानपुर डेवल० बोर्ड को० सो०
७४	हरसहाय जगदम्बा सहाय कन्जूमर्स को० स्टोर्स
७५	प्रेमनगर सब एरिया कन्जूमर्स को० स्टोर्स
७६	फजलगंज सब एरिया कन्जू० को० स्टोर्स
७७	नवाबगंज कन्जू० को० स्टोर्स
७८	कम्पनीबाग को० स्टोर्स
७९	रामकृष्ण नगर कन्जूमर्स को० स्टोर्स
८०	हालीम कालेज कन्जूमर्स को० स्टोर्स

अखिल भारतीय सहकारी संघ

क्रम-संख्या	नाम
८१	श्री कृष्ण को० हा० सा० लि०
८२	छगकड़ा इन्डस्ट्रियल को० सो०
८३	वालटोलोखलासो लाइन सब एरिया को० स्टोर्स
८४	फेथफुलगंज सब एरिया को० स्टो०
८५	इटावा बाजार ए० बी० कन्जूमर्स स्टोर्स
८६	तलाक महल कन्जू० को० स्टोर्स
८७	बेनीमाधव धर्मशाला कन्जू० को० स्टोर्स
८८	सदर बाजार कन्जूमर्स को० स्टोर
८९	मूसाटोली सब एरिया कन्जू० को० स्टोर
९०	लाटूशरोड क० को० स्टोर्स
९१	जी० टी० रोड कन्ज० को० स्टो०
९२	गुरु नारायण खत्री स्कूल कन्जू० को० स्टोर
९३	दि० को० विविंग एन्ड वोर्डिंग इन्डस्ट्रीज
९४	कानपुर सहकारी होजरी उद्योग सो०
९५	सहकारी निर्माण परिषद
९६	मित्र मंडल हाउसिंग सो०
९७	पंजाब हा० मो० सो०
९८	पर्मट कन्जू० को० स्टो०
९९	कन्टूनमेंट कन्ज० को० स्टो०
१००	दि० ईश्वर डोलतानी इन्द्र० को० सो०
१०१	दि पेशावरवर्कर्स को० सो०
१०२	आर्यनगर सभा कन्जू० को० सो०
१०३	श्रीमती दास स्टोर को० सो०
१०४	श्री गणेशशंकर विद्यार्थी छात्र को० सो०
१०५	पटेलनगर को० हाउस सो०
१०६	कानपुर यातायात सहकारी परिषद् लि०
१०७	पाण्डुनगर हाउस को० सो०
१०८	चौधरी वर्क्स को० सो०
१०९	यू० पी० स्टील फैबरीकेशन को० सो०
११०	दि स्मोल आर्म्स फैक्टरी अस्पताल को० सो०
१११	फेजा म्यू न्यूट्रिनल को० सो०
११२	आदर्श को० हा० सो०
११३	पवरकोर्स सिविलियन छा० को० सो०
११४	आर्डिनेंस पैराशूट फैक्टरी को० सो०
११५	स्वदेशी काटन मिल्स वर्क्स को० सो०
११६	सहकारी बस, निर्माण समिति
११७	रेल बाजार सब एरिया को० कन्जू० स्टो०
११८	हिन्दुस्तान न्यूटिनल को० स्टो०
११९	फसीमाबाद चमनगंज सहकारी समिति
१२०	हिन्दी पत्रिका संघ निर्माण
१२१	वाटर बैंक इञ्जन स्टाफ को० सो०
१२२	आदर्श बालक सिविलियन इम्पलाईज को० स्टो०

विधान सभा

क्रम-संख्या	नाम
१२३	सी० ओ० डी० सैलरी वर्कर्स को० सो०
१२४	कर्नलगंज सब एरिया कन्जू० को० सो०
१२५	दर्शनपुरवा सब एरिया कन्जू० को० सो०
१२६	मिडिल क्लास छा० को० सो०
१२७	जय भारत को० सो०
१२८	कंट्रोलर आफ स्टो० इम्पलाइज को० सो०
१२९	दि इम्पलाइज स्टोर को० सो०
१३०	शिडनी शुगर को० हाउसिंग सो०
१३१	आल सर्वि० प्रेन न्यूटिकल को० सो०
१३२	नगर निर्माण सहकारी समिति
१३३	कुंवर हाउस को० सो०
१३४	मेंजर मिल्स कर्मचारी सो०
१३५	पोइटल एन्टी परिषद् सोसाइटी
१३६	मजदूर गृह निर्माण समिति
१३७	दि राष्ट्रीय मजदूर को० हाउसिंग
१३८	दि एपालिया को० सो०
१३९	कानपुर परसपुर सहकारी मंडली लिमिटेड।

पी० ए० यू० पी० ए० पी०—२०२ एल० ए० १९५४—८५०।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश